असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

17 मार्च, 2017

टर्न–1/राजेश

षोडश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 17 मार्च, 2017 ई0
पंचम सत्र — 26 फाल्गुन,1938(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, यह अति महत्वपूर्ण विषय है .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अल्पसूचित प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण होता है । श्री तारकिशोर प्रसाद ।

देखिये, फिर लोग पर्चा लेकर आये हैं, अब आप देखिये न । अब आप देखिये तो । प्रेम जी, आप समय पर न उठाईयेगा ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: महोदय, लाईन तो दिलवा दिया जाय ।

अध्यक्ष: लाईन तो आपको मिलेगा ही ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, यह जो घोटाला कांड हुआ है .....

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष इतने तानाशाह हो गये हैं कि ये अपने भारतीय जनता पार्टी के तारकिशोर प्रसाद जो अपने प्रश्न को पूछने के लिए खड़े हुए हैं उनको बैठने का धमकी दिया जा रहा है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या: 15 (श्री तारकिशोर प्रसाद)

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री: महोदय, खण्ड 1: उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विगत तीन सालों में बालिका शिशु मृत्यु दर में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

खण्ड 2: उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वर्तमान में 36 स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट क्रियाशील है ।

खण्ड 3: नवजात बालिका शिशुओं के मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं । बेटी रक्षक रथ द्वारा ऑडियो एवं विडियो के माध्यम से समाज में जागरुकता लाने का कार्य किया जा रहा है । नवजात बालिकाओं को स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में भर्ती के लिए आशाओं को प्रोत्साहन

राशि देने पर विचार किया जा रहा है । नवजात बालिकाओं के माता-पिता को वेज लॉस देने पर विचार किया जा रहा है । 36 स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट कार्यरत हैं और 6 नये क्रियाशील करने का प्रयास किया जा रहा है । 39 एन0बी0एस0यू0 क्रियाशील हैं और 2 खोलने का प्रयास किया जा रहा है । 550 एन0बी0सी0सी0 खोले जा चुके हैं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूरे प्रदेश की बालिकाओं से जुड़ा हुआ है और अध्यक्ष महोदय आपको पता ही है कि नारी सशक्तिकरण में बालिकाओं की मृत्यु दर में कमी और बालिकाओं की शिक्षा आदि, सारी चीजों पर काम हो रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अभी आपने विस्तार से इस बिन्दु पर जो कार्य किये जा रहे हैं, वह बताया और यह भी बताया कि सारे चीजों पर कार्य किये जा रहे हैं लेकिन जब इतने सारे कार्य किये जा रहे हैं, तो इसके बावजूद इसके प्रतिशत में कोई कमी नहीं आयी है, तो सरकार इस संबंध में क्या ठोस कदम उठा रही है, क्योंकि यह बच्चियों से जुड़ा हुआ विषय है, जो इस राज्य के, इस देश के भविष्य हैं और इसके तहत कार्य भी हो रहे हैं और सरकार ने इसके लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया है महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, तो क्या सरकार प्रत्येक जिला में जिला स्तर पर या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र मेरा ज्यादा है, 80, 90 प्रतिशत हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, तो क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर सरकार कोई ऐसा कदम उठाना चाहती है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज्यादा निवास करते हैं, तो तत्काल तेजी से चिकित्सा सुविधा मुहैया कराकर इस प्रतिशत को कम किया जा सके ।

अध्यक्ष: ठीक है । माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि ग्रामीण इलाके में भी बेटियों के या नवजात बालिका शिशुओं की रक्षा के लिए उपाय किये जाने चाहिए, वह माननीय सदस्य कह रहे हैं ।

श्री नंदकिशोर यादव: महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, उसका माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है । उन्होंने कहा है कि विचार किया जा रहा है कई पहलू पर । महोदय, मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जिस समाचार-पत्र का हवाला देकर माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है वह समाचार पत्र 25 जनवरी, 2017 को छपा है महोदय अर्थात् दो महीने पहले यह समाचार छपा है, तो दो महीने के बाद भी अगर सरकार यह जवाब देती है कि बच्चों के मृत्युदर को कम करने के लिए विचार किया जा रहा है, तो महोदय निर्णय कब होगा ? यह हम सब की चिंता है, पूरा देश इस बात से चिंतित है कि स्त्री और पुरुष का अनुपात गड़बड़ा रहा है, बच्चियों की संख्या कम होते जा रही है, तो इस अनुपात को ठीक रखने के लिए बच्चियों की मृत्यु दर में कमी होना चाहिए महोदय और इसके लिए केवल जो मुझे लग रहा है, मंत्री जी का जो जवाब है कि विचार किया जा रहा है, यह बड़ा ही विचित्र जवाब है, इसलिए मैं आपके

माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस भीषण समस्या के समाधान के लिए कब तक आप निर्णय कर पायेंगे और निर्णय करके सूचित कब कर पायेंगे ?

अध्यक्ष: नहीं-नहीं । निर्णय के लिए तो माननीय मंत्री जी ने बताया कि तीन-चार कार्यक्रम तो चल रहे हैं, बेटी रक्षा कार्यक्रम है, नवजात बालिका शिशु बचाने का कार्यक्रम है, बालिका के जो माता-पिता होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उनमें जागरुकता के स्तर को बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है, इसके अलावा स्पेशल न्यू बॉर्न चाईल्ड केयर यूनिट भी सरकार कर रही है, यह सब माननीय मंत्री ने बताया । यह कोई मैं नहीं कह रहा । आप माननीय मंत्री जी का जवाब सुने नहीं ठीक से, ये सारी चीजें माननीय मंत्री जी ने बताया है, तो यही सब न कार्यक्रम होते हैं ।

श्री नंदकिशोर यादव: महोदय, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मंत्री महोदय ने जिन बातों की चर्चा की है.....

(व्यवधान)

महोदय, जिन बातों की चर्चा आपने की है वह ठीक है और यह काम पहले से चल रहा है .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य नंदकिशोर जी, आप इस विभाग के अनुभवी मंत्री भी रहे हैं, इसलिए आप अपने सुझाव से माननीय मंत्री जी को अवगत करा दीजिये ।

श्री नंदकिशोर यादव: वही तो मैं कर रहा हूँ । ये जितने केयर यूनिट की चर्चा कर रहे हैं, यह कोई इनके जमाने में नहीं चालू हुआ है, यह पहले से चल रहा है लेकिन पहले से चलने के बावजूद महोदय, अगर स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 17 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है, यह चिंता का विषय है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब यह सब यूनिट पहले से चल रहा है, उसके बावजूद इसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है, तो यह चिंता का विषय है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: इसमें सजगता और सक्रियता आनी चाहिए ।

श्री नंदकिशोर यादव: महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि हम प्रोत्साहन राशि देने पर विचार कर रहे हैं, कई चीजों का जिक्र किया, जिसपर विचार कर रहे हैं । मेरी चिंता यह है कि विचार कब तक समाप्त होगा, कब निर्णय .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: इसपर जल्द फैसला ले सरकार ।

श्री नंदकिशोर यादव: महोदय, कब फैसला होगा, इसपर कब निर्णय करेंगे ताकि इस काम को रोका जा सके ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, इसमें सरकार के साथ उनके भी सहयोग की जरुरत है.....

(व्यवधान)

महोदय, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ, मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूं । महोदय, बेटियों के प्रति जो समाज में हमारी हीन भावनाएँ हैं, इसके लिए सोसायटी में जागरुकता भी लाना होगा, केवल हेल्थ केयर बना देने से और स्वास्थ्य की केवल नीतियाँ बना देने से .... (व्यवधान)

अध्यक्ष: यह तो माननीय मंत्री जी ने कहा है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: जी । तो माननीय नंदकिशोर बाबू जो कार्य किये होंगे अपने स्वास्थ्य मंत्री काल में, सरकार उसको और द्रुतगति से आगे बढ़ायेगी ।

अध्यक्ष: चलिये हो गया । आप और विजेन्द्र बाबू बात कर लिये, तो हो गया ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-16 (श्री संजय सरावगी)

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, खण्ड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में कैंसर सहित अन्य गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग हेतु पाँच जिलों यथा वैशाली, मुजफ्फरपुर, रोहतास, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण का चयन किया गया है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत साधारण कैंसर (मुँह, स्तन एवं सरवाईकल कैंसर) की स्क्रीनिंग भी सम्मिलित है । इसे वर्ष अप्रैल, 2017 से शुरु किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है ।

टर्न-2/सत्येन्द्र/17-3-17

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय,मेरा प्रश्न देखा जाय। पहला प्रश्न है कि क्या यह बात सही है कि प्रत्येक साल बिहार में 90 हजार कैंसर के मरीज होते हैं जिसमें 40 हजार मर जाते हैं । माननीय मंत्री जी का कोई जवाब ही नहीं आया है अध्यक्ष महोदय, पहले मंत्री जी प्रश्न-1 जो है अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है या अस्वीकारात्मक है, इतना गंभीर विषय है और मंत्री जी गम्भीरता से जवाब नहीं दे रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, पहला खंड का जवाब दिलवाईए, पहले खंड का अध्यक्ष महोदय जवाब ही नहीं आया है ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये न?

श्री संजय सरावगी: जवाब आ जाये तब न पूरक पूछें हुजूर ।

अध्यक्ष: संख्या आगे पीछे होने से क्या फर्क पड़ता है ।

श्री संजय सरावगी:फर्क पड़ता है हुजूर, इतना गंभीर बात है सरकार जो है इसको स्वीकार कर रही है कि नहीं स्वीकार कर रही है,मतलब कोई जवाब नहीं है अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण विषय कैंसर का है अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: आपका तो प्रश्न है स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ।

श्री संजय सरावगी: मेरा पहला प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, 90 हजार बिहार में कैंसर के मरीज हैं जिसमें 40 हजार की मृत्यु हो जाती है अध्यक्ष महोदय, इसका कोई जवाब मंत्री जी नहीं दिये अध्यक्ष महोदय तो प्रश्न का जबतक जवाब नहीं देंगे तबतक पूरक जो हैं अध्यक्ष महोदय कैसे होगा, आप बतलाईए ।

अध्यक्ष: अगर 90 हजार से कम या अधिक हो तो प्री स्क्रीनिंग छोड़ देना चाहिए । आप क्या कह रहे हैं इसलिए असली बात पर आईए न, स्क्रीनिंग तो होने दीजिये ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिभेंसन ऐंड कंट्रोल ऑफ कैंसर/डायबिटीज एन0पी0डी0सी0एस0 के तहत बिहार में भी भारत सरकार ने यह योजना चलायी है और अध्यक्ष महोदय इसकी गंभीरता कितनी है, इसे हम एक मिनट में बतलाना चाहता हूँ जो सरकारी आंकड़ा है उसमें 2013 में 41792 मरीज कैंसर के मर गये और 2014 में 43272 मरीज कैंसर के और अनुपात में 40 हजार से अधिक मरीज बिहार में मर रहे हैं और यह जागरूकता अभियान जो है मैंने कहा है अध्यक्ष महोदय, यह केवल जागरूकता अभियान नहीं है कि जाकर प्रचार कर दिया, इसके अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय कैंसर के अस्पताल में सरकार कितनी गंभीर है यह मैं बतलाना चाहता हूँ दो साल पहले आई0जी0आई0एम0एस0,पटना में भारत सरकार ने 130 करोड़ का कैंसर अस्पताल के लिए स्वीकृत किया ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये न ।

श्री संजय सरावगी: उसी पर आ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, आप गंभीरता को समझ लीजिये डेढ़ साल पहले 33 करोड़ रू0 भारत सरकार ने आई0जी0आई0एम0एस0 को दिया और एक साल तक प्रबंध समिति की बैठक नहीं हुई जिसके कारण जो है एक रू0 आजतक खर्च नहीं हुआ । सरकार कितनी गंभीर है कैंसर पर तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि कैंसर के इतने गंभीर मरीज है और बिहार सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है । महोदय, डेढ़ साल पहले 33 करोड़ रू0 आया और आई0जी0आई0 एम0एस0 के प्रबंध समिति की बैठक नहीं हुई जिससे एक रू0 इसमें से खर्च नहीं हुआ तो क्या राज्य सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम में प्रचार-प्रसार स्क्रीनिंग प्रोग्राम में क्या क्या कार्य जो है एन0पी0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत क्या क्या कार्यक्रम राज्य सरकार को चलाने हैं जरा माननीय मंत्री जी बतलावें अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप सब लोग क्यों बोलते हैं ? माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सब लोग को तो जवाब देने की आवश्यकता होती नहीं है और संजय जी का जो प्रश्न है माननीय मंत्री जी आप कुछ कहिये ।

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्रीः आई0जी0आई0एम0एस0 में कैंसर संस्थान बहुत जल्द ही चालू कराया जायेगा ।

अध्यक्षः चलिये आपका संज्ञान हो गया ।

श्री संजय सरावगीः नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा हूॅ समझिये अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो बतला रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं, डेढ़ साल पहले 33 करोड़ रू0 भारत सरकार ने दिया 130 करोड़ में से ..

अध्यक्षः ये आप तीन बार बोल चुके हैं।

श्री संजय सरावगीः नहीं महोदय,माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं जल्द चालू करवा दिया जायेगा, अभी तक प्रबंध समिति की बैठक जो है एक साल के बाद 20 दिन पहले हुई है, अभी तक टेंडर नहीं निकला है, काम प्रारम्भ नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय, 30 हजार स्कवायर फीट में भवन निर्माण होना है और अभी तक काम प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

अध्यक्षः अब देखिये,आगे भी प्रश्न है,आपकी चिन्ता यही है न कि आई0जी0आई0एम0एस0 में ..

श्री संजय सरावगीः नहीं।

अध्यक्षः नहीं है चिन्ता, आप बीच में नहीं नहीं क्या करते हैं । इतने उतावलेपन में तो कुछ होता नहीं है । हम कह रहे हैं आपकी चिन्ता जो 33 करोड़ भारत सरकार ने दिया है उसके बारे में है तो कह रहे हैं नहीं, तो क्या चिन्ता है बतलाईए ?

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की चिन्ता है कि जो 33 करोड़ रू0 भारत सरकार से यहां आये हैं कैंसर मरीजों के इलाज के लिए या प्री स्क्रीनिंग के लिए, जो वहां की कमिटी की बैठक नहीं हो सकने के कारण यूटिलाईज नहीं हो रहा है, यही न आप कह रहे हैं ।

श्री संजय सरावगीः अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 130 करोड़ रू0 स्वीकृत किया कैंसर के अस्पताल के निर्माण के संबंध में ।

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्रीः इसमें सिंगल टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द इसको करा दिया जायेगा।

अध्यक्षः टेंडर हो चुका है । चलिये आपकी चिन्ता पूरी हो चुकी है।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 17(श्री नितिन नवीन)</u>

श्री अरूण कुमार सिन्हाः पूछता हूॅ।

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्रीः उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। एनीमिया से बचाव के लिए प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 360 आयरन एवं फोलिक ऐसिड टैबलेट दिये जा रहे हैं जो पहले 100 टैबलेट दिया जाता था । पहले तीन बार गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती थी जिसे अब चार बार किया जाता है ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-18(विनोद कुमार सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः 1-महोदय,आंशिक स्वीकारात्मक है। प्रश्न में वर्णित 22 जिलों में से 7 जिले साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 15 जिले नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लि0 के क्षेत्राधीन है।

भोजपुर जिला के ग्रामीण विद्युतीकरण की स्वीकृति राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के 11वीं योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत फरवरी,12 में की गयी थी जिसके अन्तर्गत 3 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य भी था । बक्सर, जमुई, अरवल, लखीसराय, शेखपुरा और भागलपुर के ग्रामीण विद्युतीकरण की स्वीकृति राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 12वीं योजना के अन्तर्गत जनवरी,14 में की गयी थी जिसमें बक्सर, जमुई, अरवल, लखीसराय, शेखपुरा जिले में एक-एक विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण एवं भागलपुर जिले में दो विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य भी शामिल था। अद्यतन बक्सर जिला का विद्युत उपकेन्द्र एवं भोजपुर जिला के तीन में से दो विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लि0 के क्षेत्राधीन पूर्णियां एवं सिवान जिला के ग्रामीण विद्युतीकरण की स्वीकृति राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के 11वीं योजना के फेज-2 अन्तर्गत हुई थी । पूर्णियां जिले के अधीन कुल स्वीकृत 9 विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों में से 8 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण कार्य एवं सिवान जिले के अधीन कुल स्वीकृत 10 विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों में 9 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है । उक्त जिले के अधीन एक-एक विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माणाधीन है ।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के 12वीं योजना अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिले में 6 स्वीकृत विद्युत शक्ति उपकेन्द्र में से 6 में कार्य प्रगति पर है । बेगुसराय में स्वीकृत 3 में से 3 पर कार्य प्रगति में है । पश्चिम चम्पारण में स्वीकृत तीन में कार्य पूर्ण कर लिया गया है । कटिहार में 9 स्वीकृत में से 1 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । शेष 8 में कार्य प्रगति पर है सीतामढ़ी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में एक-एक स्वीकृत कार्य प्रगति पर है । सहरसा में एक स्वीकृत कार्य पूर्ण कर लिया गया है । गोपालगंज में स्वीकृत 2 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । सारण में 4 स्वीकृत कार्य प्रगति पर एवं दरभंगा और शिवहर जिले में दो-दो विद्युत शक्ति उपकेन्द्र कार्य प्रगति पर है।

2-अस्वीकारात्मक है। विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों से विद्युत उपलब्धता के आधार पर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्त्ति की जाती है।

3- शेष बचे कुल 38 विद्युत शक्ति उप केन्द्रों का निर्माण दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है कि 2012 में माननीय मंत्री जी ने स्वीकृति की बात कही है और चार साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है जिन 24 जिलों की चर्चा इसमें की गयी है प्रश्न में तो उन 24 जिलों के अन्दर किन-किन कम्पनियों के द्वारा पावर सब-स्टेशन का निर्माण कराया जाना था और उन कम्पनियों के द्वारा इन चार वर्ष बीत जाने के बाद भी आधा-अधूरा पावर सब-स्टेशन का निर्माण मात्र कराया गया है । ...क्रमशः...

टर्न-3/मधुप/17.03.2017

...क्रमशः .....

श्री विनोद कुमार सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाह रहा हूँ कि वैसे आधे-अधूरे काम करने वाले कम्पनी को ब्लैक-लिस्टेड करके उसपर कार्रवाई करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने जिक्र किया कि विभिन्न तरह की समस्याएँ थीं, जमीन का कुछ प्रोब्लेम हो गया, कम्पनियाँ कटिहार में थोड़ा डिले की थी, उसपर कार्रवाई की जा रही है । लेकिन मैंने कहा कि 2017 दिसम्बर तक जितने भी 8-9 बचे हुये हैं, सबको पूर्ण कर लिया जायेगा ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल । मेरा एक और सप्लीमेंट्री है कि इस कार्य को पूरा करने के लिये विभाग के जिन पदाधिकारियों को मोनिटरिंग करना था, मोनिटरिंग करने में शिथिलता बरती गई है और आज तक मोनिटरिंग करके कोई बैठक नहीं की है तो क्या ऐसे पदाधिकारी के विरूद्ध सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अगर माननीय सदस्य प्रोपर देंगे कि अधिकारी हमारे जिम्मेवार हैं तो निश्चित रूप से हम उसकी जाँच करके अपेक्षित कार्रवाई करेंगे ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर विषय है और माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है...

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, आप तो जो भी बोलते हैं, गम्भीर ही बोलते हैं ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : बोलना जरूरी न है महोदय !

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूँ, इन्होंने स्वीकार किया है कि दो दर्जन जिलों में उच्च पावर सब-स्टेशन का काम पूरा कर लिया गया है, शेष कामों को पूरा नहीं किया गया । तो वर्क-ऑर्डर जो दिया गया था, विभाग ने कम्पनी को जो टेन्डर के माध्यम से दिया है, उन संवेदकों ने जो काम पूरा नहीं किया, वास्तव में जो कार्रवाई होनी चाहिये, सरकार ऐसे लोगों को बचाने का काम क्यों कर रही है ?

हमारा आग्रह होगा माननीय मंत्री जी से कि क्या ऐसे कम्पनियों को, संवेदकों को ब्लैक-लिस्टेड करके कार्रवाई करना चाहते हैं ? नम्बर एक और जो आधा-अधूरा काम पड़ा हुआ है, कबतक सरकार पूरा करायेगी ? बताइये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने उत्तर में साफ कहा कि कटिहार में 8 है, बाकी 1-2 करके विभिन्न जिलों में है । कहाँ ज्यादा काम बाकी है ? 2017 दिसम्बर तक टारगेट है कि उसको कम्पलीट कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न । प्रश्न संख्या-1912, श्री मुद्रिका प्रसाद राय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1912 (श्री मुद्रिका प्रसाद राय)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर एवं पानापुर प्रखंडों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के 12वीं योजना के अन्तर्गत प्रगति पर है । मे0 ई0एम0सी0 द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण निविदा की शर्त्तों के अनुरूप एक अन्य एजेन्सी मे0 लेजर पावर इंडिया प्रा0 लि0 द्वारा भी सारण जिले में कार्य को कराया जा रहा है । शेष बचे गॉव को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य दिसम्बर, 2017 निर्धारित है ।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : ई0एम0सी0 द्वारा जो कार्य कराया गया है, सिर्फ पोल गाड़ दिया गया है, तार कहीं नहीं लगाया गया है, कोई भी विद्युतीकरण का कार्य उसके द्वारा नहीं किया गया है । कब तक सरकार इसको पूरा करायेगी ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि ई0एम0सी0 से कार्य लेकर दूसरी कम्पनी को सेम रेट पर मे0 लेजर पावर इंडिया प्रा0 लि0 के द्वारा सारण में कार्य को कराया जा रहा है और दिसम्बर, 2017 इसका टारगेट है ।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : इसुआपुर एवं पानापुर प्रखंडों का लेजर कम्पनी को कार्य दिया गया है ?

अध्यक्ष : आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : हम जानना चाहते हैं कि सारण जिला के अन्तर्गत तो इन्होंने बता दिया कि दूसरे कम्पनी को दिया जा रहा है लेकिन पानापुर और इसुआपुर का पार्टिकुलर हम जानना चाह रहे हैं चूंकि ई0एम0सी0 अभी भी कार्य कर रहा है लेकिन धीमी गति से कर रहा है, तो क्या उससे काम लेकर लेजर कम्पनी को दिया जा रहा है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अब माननीय सदस्य इसका जिक्र कर रहे हैं, हम इसकी समीक्षा कर लेंगे, देखेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1913 (श्री अरूण कुमार सिन्हा)

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : स्वीकारात्मक है । रिक्त पदों के विरूद्ध सामान्य चिकित्सकों के 1798, विशेषज्ञ चिकित्सक की 641 एवं जी0एन0एम0 के 3800 की नियुक्ति की जा चुकी है।

7 हजार ए0एन0एम0 के पदों के लिये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा साक्षात्कार लिया जा चुका है । अनुशंसा प्राप्त होने पर ए0एन0एम0 की शीघ्र नियुक्ति कर दी जायेगी ।

शेष रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सभी अधीक्षक एवं सिविल सर्जन को निर्देश दिया जा चुका है ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, अभी ए0एन0एम0 का साक्षात्कार चल रहा है और बी0एस0एस0सी0 का घोटाला आज भी अखबार में आया है, इसके विषय में कौन-सी सावधानी बरती जा रही है ? इसपर जरा प्रकाश डाला जाय ।

अध्यक्ष : किस चीज के बारे में सावधानी पूछ रहे हैं ?

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या- 1914 (श्री नारायण प्रसाद)

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारी राशि दे दी गई है - सहाय्य अनुदान का भी और गृह क्षति मुआवजा का भी ।

माननीय सदस्य का एक प्रश्न और है, पुनर्वास देने का या पुनर्वासित करने का। वह अगलगी की घटना में नहीं दी जाती है, वह सिर्फ बाढ़ विस्थापितों के लिये है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1915 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर प्रखंड के कतालपुर पंचायत में मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में परियोजना में एक अदद 63 के0वी0ए0 का नया ट्रांसफर्मर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से अधिष्ठापित कर विद्युत आपूर्त्ति सुचारू पूर्वक की जा रही है ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, अभी तक नहीं हुआ है, वहाँ ट्रांसफर्मर नहीं लगा है । कतालपुर में उपभोक्ताओं की अत्यधिक संख्या होने के कारण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा लो-वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिये एडीशनल ट्रांसफर्मर लगाने का प्राक्कलन अनुमोदित कर 2015 में ही भेजा गया था लेकिन आज तक ट्रांसफर्मर नहीं लगाया गया है । इसका क्या औचित्य है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जो जवाब आया था, मैंने दिया । माननीय सदस्या कह रही हैं, इसको आज ही हम देखवा कर अविलम्ब इसको करायेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र का है । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है, प्रश्न है कि 2015 में यह ट्रांसफर्मर वहाँ गया था और वहाँ

मस्जिद के पास सड़क पर रखा गया है और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत लगाया जा रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, यह मामला एक ही जगह का नहीं है, हमारे क्षेत्र में बैकुंठपुर.....

अध्यक्ष : यह मामला अभी एक ही जगह का है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी में एक जोड़ना चाहता हूँ, दो और स्थान हैं जहाँ ट्रांसफर्मर पिछले डेढ़ साल से सड़क पर रखे गये हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि 2015 में चुनाव के ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से यह ट्रांसफर्मर खरीद की गई, पौने पाँच करोड़ रूपये का ट्रांसफर्मर खरीदा गया और जहाँ आवश्यकता नहीं थी, जहाँ उसके लिये कोई सृजित जगह नहीं था, ट्रांसफर्मर सड़क पर रख दिये गये, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से इसकी जाँच कराने की माँग करता हूँ कि जहाँ आवश्यकता नहीं थी वहाँ ट्रांसफर्मर सड़क पर क्यों पड़ा है और डेढ़ साल से वह ट्रांसफर्मर सड़क पर क्यों पड़ा है ? जबकि दूसरे जगह ट्रांसफर्मर के लिये लोग त्राहिमाम कर रहे हैं । इसकी जाँच माननीय मंत्री जी करायें और जो भी उसके लिये दोषी हो उसपर कार्रवाई हो ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1916 (श्री राजीव नन्दन)</u>

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पाँचो अग्नि पीड़ितों को राशि मुहैया करा दी गई है और उसका चेक संख्या 186138 से सीक्वेंस में 142 तक है ।

श्री राजीव नन्दन : महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि यह भुगतान कितने तारीख को की गई है ? दूसरी चीज है कि इन लोगों का घर जलकर पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गया है तो क्या आप उनके घरों के लिये भी कुछ विचार करेंगे ?

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि उनको राशि मुहैया नहीं की गई है, राशि मुहैया करा दी गई है, आपके संज्ञान में और सदन के संज्ञान में माननीय महोदय के माध्यम से रखना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न में पूछा है कि अग्नि पीड़ितों को मुआवजा राशि आपने प्रदान की कि नहीं ? अग्नि पीड़ितों के मामले में मुआवजा राशि देते हैं कि सहायता राशि देते हैं ?

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : जी नहीं, हम सहाय्य राशि देते हैं, मुआवजा राशि नहीं ।

अध्यक्ष : वह पहले बताइये न । मुआवजा राशि की माँग कर रहे हैं ।

टर्न-4/आजाद/17.03.2017

श्री चन्द्रशेखर,मंत्री : हम साहाय्य राशि देते हैं और गृह क्षति मुआवजा देते हैं और कोई अलग तरह का मुआवजा नहीं देते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1917(श्री मो0 नेमतुल्लाह)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । बेलसंड स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हो रहा है । जहां एक चिकित्सक एवं ए0एन0एम0 के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । राशि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण कराया जायेगा ।

बेलसंड से लगभग 10 कि0मी0 की दूरी पर मांझा प्रखंड स्थित नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बेहतर सुविधा दी जा रही है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1918(श्रीमती प्रेमा चौधरी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, इसे नगर विकास विभाग को स्थानान्तरित किया गया है ।

अध्यक्ष : नगर विकास विभाग को स्थानान्तरित ।

तारांकित प्रश्न सं0-1919(श्री नीरज कुमार सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, सुपौल जिलान्तर्गत छातापुर प्रखंड के राजेश्वरी राजस्व ग्राम में दो पंचायत है । राजेश्वरी पूर्वी एवं राजेश्वरी पश्चिमी, राजेश्वरी पश्चिमी का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है तथा राजेश्वरी पूर्वी पंचायत का भी कार्य प्रगति पर है । कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य जून,2017 है ।

श्री नीरज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कार्य पूर्ण नहीं किया गया, अभी जो हमारा क्वोश्चन है पूर्वी का, उसमें मात्र एक वार्ड में पोल गिराया गया है, पूरा पंचायत अभी खाली है और कार्य पूर्ण करने का महोदय लक्ष्य है इसी माह मार्च में । 418 गांव महोदय ठीकेदार को मिला था, जिसमें मात्र 361 गांव अभी तक कमप्लीट कर पाया है । महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक कमप्लीट हो पायेगा ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : हम इसको देख लेंगे पूर्ण समीक्षा करके ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, संवेदक को दो बार एक्सटेंशन मिल चुका है, इसी मार्च में संवेदक का लास्ट टाईम है, अभी पूरा का पूरा गांव बाकी है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : हम इसको देख लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । जिला निवासी होने के नाते आपको कह रहे हैं, अलग से इसको देख लेंगे।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, अलग से देख लेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें मेरा एक और पूरक है, 85 विलेज पूरा जिला में बाकी है जो संवेदक को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है, ऐसे ही खाली है, कब उसमें काम होगा और कौन काम करायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को आप सब सूचना दे दीजियेगा, आप सक्षम हैं, सब माननीय मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो नई स्कीम आयी है, उसका टेंडर हो गया है, जो भी बचे हुये ग्राम हैं, दो साल में लक्ष्य है, घर-घर को बिजली देने का ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, पूरे राज्य में जो बिजली के कंट्रेक्टर काम करते हैं, मैक्सिम जगह लोकल पेटीदार बना दिये हैं और लोकल जो पेटीदार है, उनका जो काम है कि वे लोगों से पैसा मांगा करते हैं, हर जगह पैसा मांगा करते हैं । यह सबसे दु:खद बात है, दूसरी बात महोदय, मैं सूचना देना चाहता हूँ, जब इस तरह के ठीकेदार से पूछा जाता है कि क्यों पैसा मांगते हैं तो ठीकेदार महोदय, एफ0आई0आर0 दर्ज करते हैं और हमारे ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज कर दिया गया इसी पूछने के मामले पर, सिर्फ ठीकेदार से पूछा गया कि पैसा क्यों मांगते हैं, ट्रांसफर्मर नहीं लगाते हैं, इस बात पर एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाता है, इसका जवाब दिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है, 1920 ।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1920(श्री सत्यदेव राम)</u>

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. सिविल सर्जन को स्वीकृत स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित करने का निदेश दिया गया है । नये स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने की तत्काल कोई योजना नहीं है ।

अध्यक्ष : हो गया जवाब । अब योजना नहीं है तो क्या कीजियेगा ? अब अगले प्रश्न पर जाने दीजिये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, जब सरकार यह नियम बना रखी है कि 5हजार की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की तो फिर योजना क्यों नहीं है महोदय, तब नियम का क्या होगा?

अध्यक्ष : उन्होंने बता दिया न कि अभी नया स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने की योजना नहीं है ।

प्रश्न सं0-1921 ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, महोदय .....

अध्यक्ष : महोदय, आपका जवाब हो गया ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1921(श्री नरेन्द्र नारायण यादव)</u>

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. राशि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्राथमिकता पर किया जायेगा।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जहां पर जमीन हस्तांतरित की गई है, वहां पर आई0टी0आई0 संस्थान भी खुल गया है, पॉलिटेकनिक कॉलेज है, बहुत बड़ा बाजार है, 25हजार की आबादी को इसका लाभ मिलेगा । क्या वित्तीय वर्ष 2017-18 में माननीय मंत्री जी वहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलवाने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : ठीक है, इसपर विचार कर लीजियेगा ।

श्री तेजप्रताप यादव,मंत्री : विचार करके देखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1922(श्रीमती डॉ0 रंजु गीता)

श्री तेजप्रताप यादव,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

उपलब्ध चिकित्सक एवं कर्मियों द्वारा आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करायी जा रही है ।

सभी सिविल सर्जन को रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति करने का निदेश दिया गया है । बी0एम0एस0आई0सी0एल0 से उपकरण खरीदकर उपलब्ध कराया जा रहा है एवं सभी कमियों को शीघ्र दूर करने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्रीमती डॉ0 रंजु गीता : महोदय, नानपुर 17 पंचायत का और बाजपट्टी प्रखंड 20 पंचायत का है, माननीय मंत्री जी अच्छा जवाब दिये हैं, सिविल सर्जन को आदेश दिया गया है कि वहां पर संविदा के आधार पर डॉक्टरों की कमियों को पूरा किया जाय । सिर्फ उपकरण के बारे में मंत्री महोदय बता दें कि वे कब तक उन तीनों सी0एच0सी0 में उपलब्ध कराने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : शीघ्र ।

श्री तेजप्रताप यादव,मंत्री : देखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-1923(श्री अशोक कुमार सिंह)

श्रीमती अनीता देवी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से कार्यालय पत्रांक 623 दिनांक 10.03.17 द्वारा उत्तर प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जो अप्राप्त है ।

तत्काल उक्त स्थल पर माँ अम्बे महोत्सव मनाने का कोई प्रस्ताव विभाग के अधीन विचाराधीन नहीं है ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, यह अम्बा जो सतबहिनी मंदिर है, वह धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन है और वहां स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के द्वारा प्रत्येक साल महोत्सव कराया जाता है । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह से औरंगाबाद जिले में देव और उनगा बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा

कराया जाता है महोत्सव, उसी तरह से अम्बे महोत्सव भी पर्यटन विभाग द्वारा कराया जाय, यह हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0–1924(श्रीमती वर्षा रानी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, दिसम्बर, 2017 तक इस उपकेन्द्र को बनाने का काम कर लिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0–1925(श्री महबूब आलम)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. यह कार्यपालक सहायक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन है । भारत सरकार द्वारा 11हजार रू0 मानदेय निर्धारित है, जिसका भुगतान उन्हें किया जा रहा है ।

श्री महबूब आलम : किया नहीं जा रहा है महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है, प्रश्न सं0–1926 ।

टर्न–5/अंजनी/दि017.03.2017

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, किसी–किसी उत्तर में इतनी स्पष्टता होती है कि पूरक की कोई गुंजाईश ही नहीं होती है ।

तारांकित प्रश्न सं0–1926(श्री मदन मोहन तिवारी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत मंझौलिया प्रखंड के गुदरा गांव, परसा पंचायत का डुमरिया, इमिलिया टोला, महादलित बस्ती, करमवा पंचायत का भरवलिया टोला, मझरिया शेख पंचायत का वार्ड नं0 02,03 एवं 04 में विद्युतीकरण का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के 12वीं योजना के तहत किया जा रहा है। कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य जून, 2017 निर्धारित है ।

तारांकित प्रश्न सं0–1927(श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के कोयला वेलवा, नरदारवा, माधोपुर दामू एवं कोढ़वचा प्रखंड के अहिरौलिया, जसौली, पट्टी, जसौली, बंगरा आदि गांवों में मेसर्स ई0एम0सी0लिमिटेड द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के

12वीं योजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है तथा कार्य प्रगति पर है । उक्त कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य दिसम्बर, 2017 निर्धारित है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि चम्पारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मना रहा है, सोलोपट्टी वही गांव है, जहां बाबू लोमराज सिंह 16 अप्रील 1917 को महात्मागांधी को बुलाकर चम्पारण ले गये थे और यहां से आन्दोलन शुरू हुआ और आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का सौंवा दिवस मना रहा है और वहां सौ साल पूरा होने के बाद भी दो साल पहले ई0एम0सी0 कम्पनी को आपने टेंडर दिया और आज तक 20 परसेंट भी उसने काम पूरा नहीं किया...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं पूरक यही पूछ रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि दिसम्बर,2017 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा, मैंने कुछ खास चिंहित गांवों का नाम दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करता हूँ कि क्या आप इस काम को एक महीने के अन्दर पूरा कराना चाहते हैं, नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा कि दिसम्बर, 2017 ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, वे तो तीन साल से कह रहे हैं । महोदय, इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था...

अध्यक्ष : मंत्री जी कुछ कह रहे हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, जिस पर्टिकुलर गांव का जहां के स्वतंत्रता सेनानी का नाम बता रहे हैं, माननीय सदस्य उस गांव का नाम लिखकर दे दें, हम कोशिश करेंगे कि एक महीने के अन्दर हो जाय और बाकी सब का दिसम्बर 2017 में होगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1928(श्री विजय शंकर दूबे)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

छपरा जिला के जलालपुर प्रखंड के ग्राम अशोक नगर, रूसी पूरब टोला एवं हरिजन टोला, भटकेशरी दलितबस्ती, नवादा, खेमचन्द, कन्हौली, भटकेशरी नोनिया टोली गांवों का विद्युतीकरण दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के 12वीं के अंतर्गत किया जाना है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य दिसम्बर, 2017 निर्धारित है ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में जिन गांवों की चर्चा की गयी है, उन गांवों में विद्युतीकरण में सिर्फ पोल गाड़ा गया है । तीन वर्ष से पोल गाड़कर छोड़ दिया गया है, वह अधूरा काम मंत्री जी कब तक पूरा कराना चाहते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, माननीय दूबे साहेब ने कई बार इसका जिक्र किया, जो कम्पनी थी, उसका परफोरमेंस ठीक नहीं था, उसपर अपेक्षित कार्रवाई की गयी है और उसके कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया है और दिसम्बर, 2017 तक कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

श्री विजय शंकर दूबे: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कई प्रश्नों के उत्तर में कहा कि छपरा जिला में ई0एम0सी0 जो कम्पनी है, उसकी लाचार आर्थिक अर्थव्यवस्था है, काम करने में सक्षम नहीं है, उससे काम लेकर लेजर पावर कम्पनी को दिया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन गांवों का काम और जलालपुर प्रखंड को भी ई0एम0सी0 कम्पनी से लेकर किसी दूसरी कम्पनी को देकर कार्य कराने का विचार सरकार रखती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य लिखकर भेज दें, हम इसपर अपेक्षित कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1929(श्री अभय कुमार सिन्हा)

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- टिकारी प्रखंडान्तर्गत मउ, केसपा, भोरी में नियमित रूप से केन्द्र संचालित है । यहां आयुष चिकित्सक कार्यरत हैं । संडा एवं जमुआरा में चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापित नहीं रहने के कारण संचालित नहीं है ।

3- सभी सिविल सर्जनों को रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त करने का निदेश दिया गया है, ताकि इन केन्द्रों का सही ढ़ंग से संचालन हो सके ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा...

अध्यक्ष : अभय जी, माननीय सदस्यगण कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी के जवाब से आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : महोदय, आप जब कह रहे हैं तो मैं संतुष्ट हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0-1930 ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : अब तो हम आगे बढ़ गये । ऐसे आप प्रश्न पूछ लीजिए ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमने सभी सिविल सर्जन को आदेश दिया है कि डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति करें तो हम सरकार से सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि....

अध्यक्ष : आप क्या जानना चाहते हैं ?

डॉ0 सुनील कुमार : जिन-जिन अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है मुख्यालय सहित, वहां पर डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1930(श्री मो0 आफाक आलम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सब-स्टेशन बनकर तैयार है, एक महीने में लाईन कम्प्लीट हो जायेगा, चालू हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-1931(श्री सुनील कुमार)

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पकटोला के भवन मरम्मत शीघ्र करायी जायेगी । यहां आयुष चिकित्सक एवं ए0एन0एम0 द्वारा स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है ।

सभी सिविल सर्जनों को संविदा पर चिकित्सक एवं पारामेडिकल की नियुक्ति करने का निदेश दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1932(श्रीमती बेबी कुमारी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि अर्जित जमीन के विरूद्ध मुआवजा राशि डी0एस0पी0टी0सी0एल0 द्वारा भू-अर्जन कार्यालय मुजफ्फरपुर को तीन वर्ष पूर्व उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु भूमि के विरूद्ध मुआवजा राशि भुगतान हेतु विद्यालय द्वारा अंचलाधिकारी से निर्गत स्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है । इस संबंध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय, द्वारिका, नगर मुजफ्फरपुर से अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत भूस्वामी पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के बाद इसपर अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी ।

टर्न-6/शंभु/17.03.17

तारांकित प्रश्न सं0-1933(श्री शकील अहमद खॉ)

अध्यक्ष : मो0 आफाक आलम प्राधिकृत हैं।

श्री मो0 आफाक आलम : पूछता हूँ।

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : स्वीकारात्मक है। चिकित्सकों की कमी है। इस हेतु सभी सिविल सर्जनों को रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति करने का निदेश दिया गया है।

श्री मो0 आफाक आलम : धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न सं0-1934(श्री श्याम रजक)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, जल विद्युत् निगम में प्रबंध निदेशक का पद कभी रिक्त नहीं रहता है। जहां तक परियोजना बंद होने का प्रश्न है, निगम की सभी परियोजना पर प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक राशि खर्च हो गयी है। अतः पुनरीक्षित प्राक्कलन रूड़की से तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरिक्त निधि की व्यवस्था कर परियोजना को चालू कराने की कार्रवाई की जा रही है।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रहपूर्वक जानना चाहता हूँ कि चूंकि 500 करोड़ रूपये से घाटा हो गया है। 45 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था और अब घटकर मात्र 5 मेगावाट हो गया है। इसका एक ही कारण है कि स्थायी सी0एम0डी0 नहीं है। क्या माननीय मंत्री एक समय सीमा के अन्तर्गत पूरी प्रक्रिया करते हुए सी0एम0डी0 का पूर्णकालीन पोस्टिंग करने का काम या उनके मनोनयन या उनकी नियुक्ति करने का काम करना चाहेंगे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, एक समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी है और इसके विकल्प भी ढूढ़ें जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसकी रूड़की से जॉच कराकर के इसका समेकित निर्णय निश्चित रूप से एक महीने के भीतर में कर लिया जायेगा।

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि एक महीने में निर्णय ले लेंगे।

श्री श्याम रजक : निर्णय लेने की जरूरत.....

अध्यक्ष : निर्णय ही न लेना है।

तारांकित प्रश्न सं0-1935(श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : स्वीकारात्मक है। भवन निर्माण विभाग से प्रतिवेदन मांगा गया है। इसे शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

तारांकित प्रश्न सं0-1936(श्री ललन पासवान)

श्रीमती अनीता देवी,मंत्री : स्वीकारात्मक है। रोहतास गढ़ किला पर पर्यटकों की सुविधा हेतु वर्तमान में 12 करोड़ 65 लाख 15 हजार रूपये मात्र से रोपवे निर्माण की योजना पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी है। जो विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

समीक्षोपरान्त निधि की उपलब्धता के अनुसार अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

श्री ललन पासवान : मात्र एक पूरक है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि समीक्षा करा रही हैं, लेकिन एक आग्रह के साथ कि वह बहुत ही पुराना रोहतास गढ़ किला - मुझे जानकारी है कि सरकार ने रोपवे का भी निविदा निकाला है लेकिन अभी तक रोपवे का काम शुरू नहीं हुआ है। वह पूरा इलाका उग्रवादियों का है और हर साल देश के आदिवासी समाज के पुरखे वहां जाते हैं अपने कुलगुरू का पूजा करने के लिए- वहां छतीसगढ़ से, झारखण्ड से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश- 28 राज्य का कोई हिस्सा नहीं है जहां आदिवासी के पढ़े लिखे लोग और उनके समाज के लोग नहीं जाते हैं। वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और न आवागमन है- माननीय मंत्री जी, बुनियादी सुविधाएं आवागमन और पीने का पानी और ठहरने की व्यवस्था कराने का विचार आप कब तक रखती हैं ? समय सीमा निर्धारित करने का काम करेंगी, इसी वित्तीय वर्ष में ?

अध्यक्ष : इसी वित्तीय वर्ष में ?

श्री ललन पासवान : अगले वित्तीय वर्ष में।

श्रीमती अनीता देवी,मंत्री : महोदय, अभी तो रोपवे का अनापत्ति प्रमाण पत्र हर विभाग से आनेवाला है, आ जायेगा तो उसके बाद काम रोपवे पर चलेगा और निधि जब आ जायेगी पैसा तो जो अन्य सुविधा है वह भी होगा समीक्षोपरान्त।

श्री ललन पासवान : धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न सं0-1937(श्रीमती रेखा देवी)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीर किराये के भवन में चल रहा है। भवन निर्माण की कार्रवाई शीघ्र की जायेगी।

तारांकित प्रश्न सं0-1938(श्री राजेन्द्र कुमार)

अध्यक्ष : आपस में बात नहीं कीजिए, मंत्री जी आपस में बात मत कीजिए।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, यहां 63 के0वी0ए0 का एक और ट्रांसफार्मर फरवरी में लगाकर के लो-वोल्टेज की समस्या को दूर कर दिया गया है।

तारांकित प्रश्न सं0-1939(श्रीमती पूर्णिमा यादव)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : स्वीकारात्मक है। राशि उपलब्ध होते ही कौवाकोल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदला जायेगा।

तारांकित प्रश्न सं0–1940(श्री सुरेश कुमार शर्मा)

श्रीमती अनीता देवी,मंत्री : महोदय, कला एवं संस्कृति विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

तारांकित प्रश्न सं0–1941(श्री ललित कुमार यादव)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : स्वीकारात्मक है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोआमा में पद सृजन नहीं है जिसकी कार्रवाई की जा रही है।

तारांकित प्रश्न सं0–1942(श्री नन्दकिशोर यादव)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, यह कृषि विभाग को स्थानान्तरित है।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, यह प्रश्न मैंने कृषि विभाग से ही किया था, लेकिन योजना में कैसे चला गया यह मेरे लिए चिंता का विषय हो गया।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको हमलोग देखवा लेते हैं।

तारांकित प्रश्न सं0–1943(श्री रामबालक सिंह)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–1944(श्री राजेन्द्र कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है। जर्जर पोल एवं तार को बदलने का कार्य संचालन एवं संप्रेषण से कराया जायेगा। पूर्ण होने का लक्ष्य मई, 2017 है।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, स्थानीय स्तर पर बात करने पर यह स्पष्ट निदेश के बारे में बतलाता है विभाग कि कोई स्पष्ट निदेश नहीं है, कौन सी कंपनी के माध्यम से जो कई एक वर्षों से पुराना जर्जर तार और पोल है। कई एक घटना मेरे क्षेत्र में घट चुकी है। उस विषय में हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि किस कंपनी से और कब तक बदलवाने का काम किया जायेगा ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अब कंपनी के नाम से क्या मतलब मई तक मैंने कहा इसको पूरा किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न सं0–1945(श्री नन्दकिशोर यादव)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : राज्य के अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल, राजेन्द्र नगर पटना को विभागीय वर्ष मई, 2014 में आइ0 बैंक खोलने की अनुमति दी गयी है। इसके लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम द्वारा डेवलप किया जा चुका है। साथ ही साथ पदाधिकारी, कर्मचारी का भी प्रशिक्षण आर0पी0 सेंटर एम्स में करा दिया गया है। आइ0 बैंक के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए निगम को सूची दे दी गयी है। उपकरणों के खरीदने की कार्रवाई की जा रही है। आइ0 बैंक को शीघ्र चालू कराने की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्य को चार महीने के अंदर कराने का प्रयास किया जायेगा।

अध्यक्ष : नन्दकिशोर बाबू, अगर आप गंभीरता से लीजिए तो पूरक की तो गुंजाइश है नहीं चार महीने का समय है। समय चार महीने का है।

श्री नन्दकिशोर यादव : बांसुरी की आवाज पहुंच रही है महोदय।

अध्यक्ष : एक चीज तो और गौर कीजिएगा न कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने– ये आप ही का प्रश्न है कि ससमय– समय सीमा देते हुए कि हम चार महीना में कर देंगे, अभी तक इन्होंने किसी के प्रश्न में नहीं कहा।

टर्न–7/अशोक/17.03.2017

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, केवल एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिला देते हैं कि वर्ष 2014 में आई.जी.आई.एम.एस. को भी लाईसेंस मिला था और आपके राजेन्द्रनगर अस्पताल को भी मिला था, आई.जी.आई.एम.एस. ने पांच महीनें के अन्दर उसको चालू कर दिया और आपका जो सुपरस्पेशलिस्ट अस्पताल आंख का है, उसमें अब तक चालू नहीं किया गया, देखिये आई बैंक की बहुत आवश्कता हैं प्रदेश के अन्दर, बड़ी संख्या में लोग आई डोनेट करना चाहते हैं, रखने की जगह नहीं है, जब लाईसेंस मिल गया तब इतना विलम्ब करने का क्या औचित्य है, यह समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : चार महीना में करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटन पर रख दिये जायं ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 17 मार्च, 2017 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्तावकी सूचनायें प्राप्त हुई हैं:

श्री मिथिलेश तिवारी, स.वि.स.
श्री विजय कुमार खेमका, स.वि.स.
श्री विद्या सागर केशरी, स.वि.स.
श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स.वि.स.
श्री अशोक कुमार सिंह, स.वि.स.
श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह, स.वि.स.
श्री राणा रणधीर, स.वि.स.
श्री तारकिशोर प्रसाद, स.वि.स.
श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स.वि.स.
श्री विनोद कुमार सिंह, स.वि.स.
श्री जिवेश कुमार, स.वि.स. एवं

श्री विजय कुमार सिन्हा, स.वि.स.

आज सदन में गैर सरकारी सदस्यों के लिए कार्य निर्धारित हैं, जिसमें गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे, अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के 19(1) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

शून्य-काल

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, बिहार का सबसे बड़ा स्कैम है.....

अध्यक्ष : आप स्कैम की बात कर रहे हैं और वे व्यवस्था की बात कह रहे हैं ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, परमेश्वर राम ने नया खुलासा किया है और आई.ए. एस. लॉबी ने महोदय, बिहार के भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों ने भी सी.बी.आई. की मांग की थी, अब सरकार धमका रही है कि उनका वेतन की कटौती की जायेगी, निन्दन होगा महोदय, शोकॉज किया जा रहा हैं, मंत्री, विधायक का नाम जो आया है और ए.एन.एम. की बहाली में बहुत धांधली हुई है, सी.बी.आई. की जांच की मांग कर रहे हैं.....(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री अमीत कुमार ।

श्री अमीत कुमार : महोदय, सीतामढ़ी जिान्तर्गत जिला शिक्षा कार्यालय के पत्रांक-2744 दिनांक 22.10.2016 एवं पत्रांक-357 दिनांक 10.02.2017 द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रारंभिक विद्यालय में प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता हुयी है । अतएव सरकार इसकी जॉच कराकर दोषी पर कार्रवाई की जाय ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश माननीय सदस्य सदन के वेल में चले आये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री विनोद प्रसाद यादव ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, गया जिलान्तर्गत डोभी थाना के बजौरा के पास सुधार कुमार सिंह, 35 वर्षे, पिता- विजय सिंह, ग्राम-दरना, थाना आमस एवं अरूण सिंह 42 वर्ष, पिता रामबालक सिंह , ग्राम -मनरसा, थाना-टेकारी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में दिनांक 19.02.17 को हो गई । शेरघटी डोभी थाना काण्ड-103/17 दर्ज है । उनके आश्रितों को आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रूपये मुआवजा भुगतान करने की मॉग करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री मिथिलेश तिवारी ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

श्री मो0 नेमतुल्लाह ।

श्री मो0 नेमतुल्ला : गोपालगंज जिलान्तर्गत सिवान सरपुरा रोड सहित कुल 17 सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी वित्तीय वर्ष 2012-13 में OPRMP Package No. 37

H.R. Builder,Delhi को सौंपा गया जिसमें पाचं वर्ष तक देखरेख का भी अनुबंध था । तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ऐजेंसी के द्वारा अपूर्ण एवं दोषपूर्ण कार्य किया गया । एतएव उक्त ऐजेंसी के द्वारा निर्माण कराये गये सभी 17 सड़कों की जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई कर सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री सुदामा प्रसाद ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, 46 वर्ष पुरानी व अप्रसांगिक हो चुकी बागमती बांध परियोजना के खिलाफ लगातार आंदोलन के बावजूद निर्माण कार्य जारी है जबकि यह परियोजना पूरे उत्तर बिहार के लिए बेहद विनाशकारी साबित होगा, हमारी मांग है कि बांध निर्माण पर अविलंब रोक व विस्थापितयों को उचित मुअवजा देते हुये परियोजना का रिव्यू किया जाय ।

श्री महबूब आलम : महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बलरामपुर प्रखण्ड के बागडोगरा गांव से फरसरा, कटइलवारी तथा बोचामारी धार होता हुआ प्रधानमंत्री सड़क तक की ईंट की एक मात्र जर्जर सड़क, जिससे होकर बीस हजार की आबादी मुख्य बाजार दलकोला जाती है, को बोचामारी धार में पुल-सह-पक्की सड़क निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री ललन पासवान : महोदय, पटना जिलान्तर्गत राजवंशी नगर, 84 ऑफिसर्स फ्लैट के सामने झोपड़पट्टी में 15 मार्च, 2017 को अचानक आग लगने से 70 घर जलकर राख हो गया । सरकार से मांग करते हैं कि उक्त सभी पीड़ितों को दस-दस लाख रू0 मुआवजा एवं सभी सुविधायें मुहैया करावे ।

अध्यक्ष : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)।

श्री शमीम अहमद ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखंड अंतर्गत बेला चंवर से बरवा तिअर नदी तक विगत 25 वर्षो से नाला की उड़ाही नहीं होने के कारण सैकड़ों एकड़ में लगी फसल पानी में डूब जाते हैं । नाल की उड़ाही कराने पर किसान लाभान्वित होंगे । अतः सरकार शीघ्र नाला की उड़ाही करावे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री राणा रणधीर ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)।

श्री मो0 नवाज आलम ।

श्री मोहम्मद नवाज आलम :महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से हुई भीषण तबाही के कारण सरकार द्वारा शहरी इलाकों के कुल 6 वार्ड, बाढ़ ग्रस्त घोषित किया गया था, लेकिन शहरी इलाकों में बाढ़ ग्रस्त लोगों को क्षतिपूर्त्ति की राशि नहीं दी गई । मैं सरकार से क्षतिपूर्त्ति राशि उपलब्ध कराने की माँग करता हूँ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मधुबनी नगर परिषद् क्षेत्र में पार्क नहीं रहने के कारण जागरूक नागरिक मॉर्निंग वाक या व्यायाम नहीं कर पाते हैं जिसके कारण अनावश्यक रूप से सरकार को उनकी चिकित्सा पर व्यय करना पड़ता है । अतः मधुबनी नगर परिषद् क्षेत्र में एक पार्क बनाने की मांग करता हूँ।

श्री मदन मोहन तिवारी : महोदय, राज्य सरकार सभी विषयों के शिक्षकों की बहाली पूर्व में तत्परात के साथ कर रही है, लेकिन संस्कृत विषय के शिक्षकों की बहाली नहीं की जा रही है, जिसके कारण संस्कृत का अस्तित्व विलिन होता जा रहा है । संस्कृत शिक्षकों की बहाली करायी जाय ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादवः महोदय, श्रीमती शर्मिला कुमारी, स0शि0 वनिता बिहार कन्या मध्य विद्यालय राजेन्द्र नगर पटना-16 को सुनियोजित ढंग से विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अन्य शिक्षकों द्वारा मार-पीट, गाली-गलौज एवं नाना पक्कार से प्रताड़ित किये जाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जांच कर देषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखण्ड के सिरीस-जमहोर रोड में मुंशीबिगहा के पास बटाने नदी में पुल न होने से जनता को आवागमन में भारी कठिनाई होती है । अतः मैं सरकार से वारून प्रखण्ड के सिरीस-जमहोर रोड में बटाने नदी पर शीघ्र पुल निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री रामदेव राय : महोदय, बेगेसराय जिला के बछबाड़ा प्रखंड स्थित 'बछवाड़ा-समसा' सड़क निर्माण होते ही ध्वस्त होने लगी है और अब गढ्ढे में तबदील होकर आवागमन अवरूद्ध है। स्थानीय विधायक द्वारा प्रथम प्राथमिकता में होने के बावजूद सड़क यथावत् है । अतएव सरकार शीघ्र बनाकर आवागमन सामान्य करे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री अशोक कुमार सिंह ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

श्रीमती बेबी कुमारी ।

(माननीय सदस्या द्वारा नहीं पढ़ा गया)

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

श्री विजय कुमार खेमका ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

श्री विनोद कुमार सिंह ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

श्री यदुवंश कुमार यादव ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा ।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा : औरंगाबाद जिला अन्तर्गत दाउदनगर स्थित मौला बाम में गॉधी आश्रम के जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है और उसमें व्यकितगत रूप से मकान बना लिया गया है । मैं गांधी आश्रम को पुनः स्थापित करना चाहता हूँ ।

अतः इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने का सरकार से मांग करता हूँ ।

टर्न-8/17.3.2017/बिपिन

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय प्रेम बाबू, आप सदस्यों को रोकिए, नहीं तो कार्रवाई हमें करनी होगी। ये इस तरह से अराजकता नहीं फैला सकते हैं । किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती है । हम आपको भी बोलने का मौका देते हैं ।

श्री सत्यदेव राम ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत आन्दर प्रखण्ड के ग्राम आन्दर में वाटर सप्लाई योजना के तहत बहुत पहले पानी टैंक बन गया । लेकिन पानी सप्लाई आज तक नहीं हुआ । बार-बार विभाग में शिकायत के बावजूद पानी घर-घर सप्लाई नहीं हुई ।

मैं सरकार से मॉग करता हूं कि विशेष ध्यान देकर पानी घर-घर पहुँचाने की कार्रवाई की जाए ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री तारकिशोर प्रसाद ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

श्री विद्या सागर केशरी ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

श्री सुधांशु शेखर ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

श्री जिवेश कुमार ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

श्री विजय कुमार सिन्हा ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

(व्यवधान जारी)

अब ध्यानाकर्षण लिए जाएंगे ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : श्री रवि ज्योति कुमार ।

(व्यवधान जारी)

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री रवि ज्योति कुमार, सभासद से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री रवि ज्योति कुमार : अध्यक्ष महोदय, ''राज्य के प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों में नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवाकाल में जिला प्राथमिक शिक्षा संस्थान अथवा राज्य में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना है । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विगत् दो वर्षों से अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है । सत्र 2015-17 के प्रथम वर्ष की परीक्षा जून, 2016 से लंबित है तथा सत्र 2016-18 का तो अभी तक नामांकन भी प्रारम्भ नहीं किया गया है जिससे बड़ी संख्या में नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षक बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये ही अध्यापन कार्य कर रहे हैं ।

अतएव लम्बित पड़े प्राथमिक प्रशिक्षण परीक्षा को आयोजित कराने एवं विलम्बित सत्र को पुनः प्रारंभ कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, ये नेता विपक्ष हैं । शून्यकाल भी माननीय सदस्यों का बर्बाद कर रहे हैं और ध्यानाकर्षण जो माननीय सदस्य का महत्वपूर्ण है, उनका समय भी बाधित कर रहे हैं । इनको कार्य संचालन नियमावली से कोई मतलब नहीं है । जब चाहे तो कार्य स्थगन पर खड़े होते हैं, जब चाहे तो ये शून्यकाल पर खड़े हो जा रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार राज्य के 44 अध्यापक शिक्षा संस्थान (प्रारंभिक स्तर) के सम्बद्धता की

कार्रवाई पूर्ण नहीं होने के कारण सत्र 2015-17 के छात्रों के D.El.Ed कोर्स की द्वितीय वर्ष की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका है । इस संदर्भ में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मापदंड) विनियमावली 2016 तैयार की जा चुकी है । उक्त नियमावली के आलोक में सम्बद्धता संबंधी कार्रवाई की जा रही है । आगामी 20 दिनों के अंदर सम्बद्धता संबंधी कार्य पूर्ण करते हुए, परीक्षा आयोजन की कार्रवाई की जायेगी । उक्त सत्र के प्रथम वर्ष की आन्तरिक परीक्षा का आयोजन संबंधित अध्यापक शिक्षा संस्थानों में किया जा चुका है ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या 11089/2016 दिनांक-21.10.2016 में पारित आदेश के आलोक में वैसे अध्यापक शिक्षा संस्थान, जिनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं की गई है, की परीक्षा आयोजित नहीं की जानी है ।

जहाँ तक 2016-18 में सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन का प्रश्न है, वहाँ 01.07.2016 से NCTE द्वारा स्वीकृत सीटों के विरूद्ध नामांकन कर नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार सिन्हा ।

सर्वश्री विजय कुमार सिन्हा, रामप्रीत पासवान एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, ''राज्य में नये राशन कार्ड बनवाने में आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है । पदाधिकारी द्वारा गरीब मजदूरों से उनके राशन कार्ड बनाने हेतु शपथ-पत्र एवं 2011 की जनगणना की कॉपी की मॉग की जा रही है । शपथ-पत्र बनाने में कम-से-कम 200 रू0 लगते हैं । वर्ष 2011 में की गयी जनगणना की कॉपी 2017 में गरीब मजदूर कहाँ से लायेंगे । इस कार्य में बिचौलियों द्वारा आर्थिक दोहन भी किया जा रहा है । बी.पी.एल. सूची में रहने वाले कई लोग 2011 की जनगणना से वंचित हैं । इस स्थिति में गरीब लोग राशन कार्ड से वंचित रह जायेंगे ।

अतः उपर्युक्त मामले की जॉच कर गरीबों के राशन कार्ड बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

श्री मदन सहनी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बिहार लोक अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत तीन नई सेवा, यथा- नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन / नाम जोड़ना / नाम हटाना) एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पन / रद्दीकरण को

शामिल किया गया है । विदित हो कि राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर SECC के सर्वेक्षण के आधार पर कुल 8.57 करोड़ लाभुकों के NFSA के तहत आच्छादित किया गया है जो कुल ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 85 प्रतिशत् एवं शहरी जनसंख्या का लगभग 74 प्रतिशत् है । वर्ष 2014 में छूटे हुए लोगों का नाम जोड़ने हेतु विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें COTS के माध्यम से ऑनलाईन सभी आवेदन पत्रों की जांच कर कार्रवाई करते हुए नये कुल लगभग 9649340 लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त आवंटित खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है । इसके बावजूद भी छूटे हुए लोगों का नाम जोड़ने हेतु पारदर्शी तरीके से आर.टी.पी.एस.(RTPS) के माध्यम से नया राशन कार्ड बनवाने का प्रावधान किया गया है । नये राशन कार्ड के निर्गमन हेतु चेक लिस्ट के रूप में निम्न दस्तावेज की मांग की गई है ।

1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'क' में ।
2. आधार कार्ड का छायाप्रति ।
3. बैंक का प्रथम पृष्ठ का छायाप्रति जिस पर बैंक खाताधारी का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का IFSC Code रहता है ।
4. आवासीय प्रमाण-पत्र
5. विभागीय आवेदन पत्र प्रपत्र 'क' के क्रमांक 10 अथवा 11 जो लागू हो, के संबंध में शपथ-पत्र ।
6. सम्पूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ ।

प्रपत्र 'क' के क्रमांक 10 अथवा 11 में क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र के आवेदक के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मार्ग सिद्धांत के आलोक में उनकी पात्रता हेतु निजी परिसंपत्ति एवं विवरणी का शपथ-पत्र देना है, जिसके अनुसार ही उनकी पात्रता की जांच करते हुए आवेदक के राशन कार्ड निर्गत करने पर निर्णय लिया जाना है ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राशन कार्ड बनवाने हेतु 2011 की जनगणना की कॉपी की मांग नहीं की जाती है । जहाँ तक नया राशन कार्ड बनाने का प्रश्न है उसके संबंध में कहना है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थी सूची एक Dynamic सूची है जिसमें अपात्र लाभार्थियों का नाम सतत् रूप से हटाया जाना है एवं नये लाभार्थियों का नाम विहित प्रक्रिया के तहत जोड़ा जाना है । बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को दी गयी है । वैसे सुयोग्य लाभार्थियों को बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत विहित प्रक्रिया अपनाते हुए जांचोपरांत नया राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा ।

बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त सेवा हेतु नाम निर्दिष्ट लोक सेवक के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी नामित है । अनुमंडलों में आवेदकों की बढ़ती संख्या के कारण उक्त सेवा में संशोधन करते हुए प्रखंड स्तर पर आवेदन प्राप्त करने हेतु एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को उक्त सेवा हेतु निर्धारित 30 दिनों में से 15 दिनों के अन्दर प्राप्त आवेदन की जांच कर अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराने तथा शेष 15 दिनों के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए राशन कार्ड निर्गत करने के लिए नामित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से विभागीय पत्रांक 1169 दिनांक 06.03.2017 के द्वारा अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप उत्तर सदन पटल पर रख दीजिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, लगता है होली में इनलोग को नोटिस नहीं लिया गया महोदय और होली का मजा यहां आकर होली गा रहे हैं हुजूर । आपसे आग्रह करना चाहते हैं कम-से-कम अपने जगह पर जाकर होली गाते तो अच्छा होता, क्षेत्र में जाकर होती गाते।

(व्यवधान जारी)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सरकार का वक्तव्य हो । इतना बड़ा घोटाला हुआ है महोदय । ए.एन.एम. की बहाली में घोटाला हुआ है । पेपर लीक घोटाले की सी.बी.आई. से जांच कराने से सरकार क्यों भाग रही है ? क्या बचाना चाहते हैं मंत्रियों को, क्या विधायकों को बचाना चाहते हैं ? और, आई.ए.एस. पदाधिकारी को धमकी दे रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, सरकार का वक्तव्य हो ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न 09/कृष्ण/17.03.2017

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदन ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

श्री राजीव नन्दन : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं ।

अध्यक्ष : आप बराबर व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हो जाते हैं । आप की क्या व्यवस्था है ?

श्री राजीव नन्दन : महोदय, आपने कभी सुनने का प्रयास ही नहीं किया । महोदय, दैनिक विवरणिका में संख्या-11, जो कल हमलोगों को मिला था, उसमें नाम गलत टंकित किया गया है ।

अध्यक्ष : आप दे दीजिये । सुधार हो जायेगा । यह तो आप ऐसे ही मिल कर दे सकते थे । इतना समय सदन का लेने की आवश्यकता क्या थी ? आप ऐसे भी बता देते । क्लेरीकल या टाईपिंग एरर होता है ।

श्री श्रवण कुमार,संसदीय कार्य मंत्री : महोदय, यह कोई व्यवस्था का सवाल है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार मंडल ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक-1 श्री विजय कुमार मंडल

श्री विजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत कुर्साकांटा प्रखंड के कपरफोड़ा घाट के भलुआ नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेक्स्ट में जवाब दे देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री प्रह्लाद यादव ।

क्रमांक-2 श्री प्रह्लाद यादव

श्री प्रह्लाद यादव : लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड के ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, संकल्प को प्रस्तुत करने के क्रम में आप सबसे पहले शुरू करें कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि और तब यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि यहां से प्रारंभ कीजिये ।

श्री प्रह्लाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड के टोरलपुर, पूर्वी सलेमपुर एवं अरमा पंचायत के किसानों के खेतों को सिंचित करने के लिये गरखे नदी से लिफ्ट एरिगेशन की व्यवस्था करावे । ''

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, योजना का सर्वेक्षण कराया जायेगा । सर्वेक्षण के उपरांत योजना संभाव्य पाये जाने पर डी0पी0आर0 तैयार कराकर निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री प्रह्लाद यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री प्रह्लाद यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–3 श्रीमती सावित्री देवी

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिला के सोनो प्रखंड अंतर्गत राजपुर डूमरी घाट तथा गंदर बरियारपुर घाट की सुरक्षा हेतु बरनार नदी पर पुल का निमार्ण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पुलों के निर्माण से संबंधित है, जिसका विवरणी निम्न प्रकार है :

राजपुर डुमरी घाट पर पुल : उक्त पुल स्थल पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत निर्मित पथ टी 01 से भुजवनीदास टोला पथ पर अवस्थित है । उक्त पुल स्थल के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में लगभग 5, 6 किलोमीटर पर निर्मित पुल है । इस अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है

2. गन्दर बरियारपुर घाट पर पुल : उक्त पुल के स्थल पर पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत निर्मित पथ इटवा से बाराबंक तथा दूसरी तरफ पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना से ही निर्मित पथ नैयाडीह से बरियारपुर है । प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती सावित्री देवी : महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उक्त दोनों पुल बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती सावित्री देवी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–4 डा0 सुनील कुमार

डा0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ प्रखंड के सोहसराय मोड़ से बिहारशरीफ से रहुई रोड तक सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरी फ प्रखंड के बिहारशरीफ अम्बेर मोड़ से रहुई तक 8 किलोमीटर बिहार निजाय पथ का अंश है, यह एमडीआर पथ है जो ओ0पी0आर0एम0सी0 के अन्तर्गत पूरी तरह संधारित मेंटेंड है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

डा0सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमने जो गैर सरकारी संकल्प दिया था, उसमें दो शब्द छूट गये थे, सोहसराय मोड़ से रहुई रोड तक, जिसकी सूचना प्रधान सचिव कार्यालय को दो दिन पहले हम दे चुके हैं और इनके कार्यपालक अभियंतो फोन किये थे, उन को भी सूचित कर दिये ।

अध्यक्ष : अभी तो अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

डा0सुनील कुमार : जी । मंत्री महोदय से आग्रह है कि यह रहुई प्रखंड का मामला है, रहुई प्रखंड बहुत ही अविकसित प्रखंड है । मैं समझता हूं कि पूरे बिहार राज्य में रहुई प्रखंड सबसे ज्यादा अविकसित प्रखंड है और यह प्रखंड जहां से माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक जीवन की शुरूआत की थी । मैं केवल इतना ही आग्रह करता हूं कि सोहसराय मोड़ से बिहारशरीफ रहुई रोड तक सड़क का निर्माण कराने की कृपा करें ।

महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य डा0 सुनील कुमार जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–5 श्रीमती कविता सिंह

श्रीमती कविता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीवान जिलान्तर्गत महेन्द्रनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करावे ।''

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सीवान जिलान्तर्गत मेंहदार ग्राम स्थित श्री महेन्द्रनाथ शिवमंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसका निबंधन संख्या 09 है । इस न्यास के सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक न्यास समिति का गठन किया गया है । मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में न्यास समिति से अबतक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । उक्त प्राप्त गैर

सरकारी संकल्प के आलोक में न्यास समिति के सचिव श्री कर्नल नरेंन्द्र नारायण सिंह, सेवा निवृत्त से प्रस्तावित कार्य स्थल का फोटाग्राफ, प्राक्कलन आदि के साथ एक विधिवत् प्रस्ताव जो न्यास समिति द्वारा अनुमोदित हो, मांगा गया है । न्यास समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्रीमती कविता सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मंदिर सीवान जिले का प्रसिद्ध मंदिर है और यहां पर उत्तर प्रदेश ओर नेपाल के बहुत सारे श्रद्धालुगण महाशिवरात्रि पर्व के सुअवसर पर जलाभिषेक करने आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2012-13 में पर्यटन विभाग द्वारा राशि आवंटित की गयी थी और कार्य पूरा नहीं होने के कारण उस राशि को लौटा दिया गया था ।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि पुनः उसका टेंडर करवा वहां कार्य कराया जाय ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी कहा है कि वहां के न्यास समिति के सचिव श्री कर्नल नरेंन्द्र नारायण सिंह, सेवा निवृत्त से प्रस्तावित कार्य स्थल का फोटाग्राफ, प्राक्कलन आदि के साथ एक विधिवत् प्रस्ताव जो न्यास समिति द्वारा अनुमोदित हो, मांगा गया है ।

अतः मैं पुनः आग्रह करता हूं कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्रीमती कविता सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि उस मंदिर का पुनः टेंडर करवा कर मंदिर का जीर्णोद्धार करवायें, इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती कविता सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-6 श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता</u>

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे । ''

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के अनुसार संप्रति सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहां पूर्व से अंगीभूति डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है। पूर्वी चम्पारण जिले के चिरैया विधान सभा क्षेत्र सिकरहना अनुमंडल के अन्तर्गत है, जहां पूर्व से जे0एल0एन0एम0 महाविद्यालय,घोड़ासाहन एक अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित है । अतः चिरैया विधान सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह इस संकल्प को वापस ले लें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–10/राजेश/17.3.17

क्रमांकः 7, श्री शम्भूनाथ यादव

श्री शम्भूनाथ यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि यह बक्सर–कोईलवर तटबंध में बाढ़ के समय कटाव अधिक होने से तटबंध कमजोर हो गया है । बक्सर–कोईलवर तटबंध को दस फीट नीचे से बोल्डर पीचिंग करते हुए मरम्मत करावे ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बक्सर–कोईलवर गंगा तटबंध गंगा नदी के दॉये किनारे बक्सर से कोईलवर तक निर्मित है । वर्ष 2016 की बाढ़ अवधि में गंगा नदी का जलस्तर असामान्य रहा, जिसके कारण कुछ स्थलों पर वेभवॉश के कारण तटबंध के नदी भाग वाले स्लोप में आंशिक छणन हुआ है । ऐसे स्थलों पर एजेंडा संख्या–137/397 के तहत प्राक्कलित राशि 89.22681 लाख नैनीजोर एवं बिहारघाट के पास तटबंध के स्लोप एवं टॉप में किलोमीटर 41.72 से किलोमीटर 42.52 किलोमीटर, 44.20 से किलोमीटर 44.61, किलोमीटर 44.62 से किलोमीटर 44. 75 एवं किलोमीटर 45.40 पर 90 मीटर में इस प्रकार कुल 1430 मीटर की लंबाई में तटबंध के पुर्नस्थापन का कार्य कराया जा रहा है । एजेंडा संख्या–138/03 के तहत प्राक्कलित राशि 174.82 शालिग्राम सिंह के टोला के पास किलोमीटर 87.53 से किलोमीटर 89.29 एवं नेकनाम टोला के पास किलोमीटर 89.29 से किलोमीटर 90.45 तक बॉध के स्लोप की मरम्मति एवं जियो बैक पीचिंग का कार्य कराया जा रहा है । उपर्युक्त दोनों कार्य 15.5.2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त एजेंडा संख्या–138/04 के तहत प्राक्कलित राशि 4058.52 लाख के तहत बक्सर–कोईलवर गंगा तटबंध के किलोमीटर 69.240 से 90.530 के बीच गैप क्लोर एवं पॉच अदद एंटी फ्लड सुलीस बनाने का कार्यक्रम है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री शम्भूनाथ यादवः बहुत–बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी । मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री शम्भूनाथ यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 8, श्री सत्यदेव सिंह

श्री सत्यदेव सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला सीवान के प्रखंड गोरेया कोठी में सन् 1832 में स्थापित जामो अस्पताल को अधिग्रहण कर डॉक्टर एवं सहायकों की प्रतिनियुक्ति कराकर रोगियों के उपचार की व्यवस्था करावे ।''

(इस अवसर पर मा0 सभापति, श्री मो0 इलियास हुसैन ने आसन ग्रहण किया)

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्रीः महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोरेया कोठी के अधीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जामो कार्यरत है तथा इसमें एक आयुष चिकित्सक, दो ए0एन0एम0 तथा एक चतुर्थवर्गीय कर्मी कार्यरत हैं । विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को सभी रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति करने का निदेश दिया गया है । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री सत्यदेव सिंहः सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा और अनुरोध है कि जब देश गुलाम था, तो अंग्रेजों के द्वारा 1832 में जामो में अस्पताल खोला गया और यह अस्पताल अपने आप में उस समय अनुमंडल अस्पताल था और यह बहुत बड़ा अस्पताल था, जिसमें पंडित राहुल सांकृत्यायन जी का इलाज हुआ था और विनोवा जी भी आये थे भूदन के क्रम में, तो उनका भी इलाज हुआ था लेकिन आज वहॉ एक आयुष डाक्टर है, आयुष डाक्टर से उपचार नहीं होता है और 20, 22 किलोमीटर में कोई अस्पताल भी नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि उसमें ढ़ाई एकड़ जमीन भी है, अच्छी भवन है, अगर उसका मरम्मत करा दिया जाये, डाक्टर का नियुक्ति करा दिया जाय, तो वहॉ के लोगों को तकलीफ से मुक्ति मिल जायगी । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि मंत्री महोदय जी रोगियों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए कृपया वहॉ डाक्टर का व्यवस्था कराया जाय, आयुष डाक्टर का माने क्या, वह तो इजी गोईंग इलाज करते हैं, उससे तो सर्जिकल वगैरह इलाज नहीं हो पाता है, इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इसपर ध्यान दिया जाय और इसपर माननीय मंत्री महोदय आश्वासन दें कि हम इसपर कार्रवाई करने जा रहे हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन)ः क्या माननीय सदस्य, अपना संकल्प को वापस लेंगे ?

श्री सत्यदेव सिंहः महोदय, मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन)ः सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सत्यदेव सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 9, श्री रमेश ऋषिदेव

श्री रमेश ऋषिदेवः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिलानतर्गत कुमारखण्ड प्रखंड के ग्राम पंचायत रोता के वार्ड नं0-03 के महादलित टोला गोपालपुर शिवमंदिर के उत्तर दिशा में सुशील यादव के खेत के निकट नहर में आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के दोनों तरफ कोई रास्ता नहीं है, जिसके कारण यह कोरनेट में शामिल नहीं है । उक्त पुल के एक तरफ गड्डा है, जिसमें बरसात में जलजमाव रहता है तथा दूसरी तरफ खेत के अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रमेश ऋषिदेवः सभापति महोदय, बारिस के समय में चार गॉव प्रभावित रहता है गोपालपुर, बेलहा परिहारी, मचहा, इन चारों गॉवों में पानी काफी लगा रहता है और हजारों एकड़ जमीन जल से भरा रहता है तथा फसल की क्षति होती है । इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वहॉ पर पुल या सुलईस गेट बनाया जाय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन)ः माननीय मंत्री जी ने आपसे प्रस्ताव वापस लेने का आग्रह किया है ,फिर बाद में बात कर लीजियेगा ।

श्री रमेश ऋषिदेवः सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन)ः सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री रमेश ऋषिदेव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 10, श्री सैयद अबु दौजाना

श्री सैयद अबु दौजानाः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत रामनगर बेदौल पंचायत के हिरौली एवं गाढ़ा के बीच में अधवारा नदी पर सावजी टोल के सामने पुल का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, अभिस्तावित पुल अधवारा नदी पर अवस्थित है । अधवारा नदी के एक तरफ हिरौली गॉव है, जिसे सूरजपट्टी से हिरौली पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ गाढ़ा गॉव है, जिसपर सावजी टोला अवस्थित है एवं इस गॉव को मौलानगर से पुपरी पी0एम0जी0एस0वाई पथ से संपर्कता प्राप्त है, इस स्थल के अप स्टीम में एक किलोमीटर पर तथा डाउन स्टीम में सवा किलोमीटर पर पुल पूर्व से निर्मित है । अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सैयद अबु दौजाना: सभापति महोदय, मैं आग्रह करता हूँ माननीय मंत्री जी से कि यह पुल बन जाने से करीब-करीब तीन किलोमीटर का डिसटेंस कम हो जाता है और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि वे इसे बनायेंगे, इन्हीं बातों के साथ मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन):- माननीय सदस्य आपसे माननीय मंत्री जी ने आग्रह किया है । आप अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

श्री सैयद अबु दौजाना:- सभापति महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सैयद अबु दौजाना जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-11 श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत पिपरा को प्रखंड का दर्जा प्रदान करें ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: सभापति महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत चकिया प्रखंड के पिपरा को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । उक्त प्रस्ताव के समीक्षोपरान्त जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण से विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । विभाग को जिला पदाधिकारी से पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रेत्तर कार्रवाई की जायगी। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि चकिया जो प्रखंड है, वह 18 पंचायत का प्रखंड है और वहाँ जाने में 30 किलोमीटर की दूरी तय करके उस प्रखंड में जाना पड़ता है । इसलिए मैं आग्रह करुंगा कि इसको तुरत करा दिया जाय । मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-11/सत्येन्द्र/17-3-17

क्रमांक-12(श्री आबिदुर रहमान)

श्री आबिदुर रहमान: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अन्तर्गत अररिया प्रखंड के महिषाकोल में पनार नदी पर बड़े पुल का निर्माण यथाशीघ्र करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत बैच-2 में वित्तीय वर्ष 2016-17 की सूची में सम्मिलित है । यह पुल बांसवारी से सम्दा के नाम से है, की लम्बाई 206.72 मीटर है । इस पुल का डी0पी0आर0 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गयी है । स्वीकृति के पश्चात् के अभिस्तावित पुल का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य इसको वापस लीजिये ।

श्री आबिदुर रहमान: इसको वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन)सदन की सहमति से यह वापस हुआ ।

<u>क्रमांक -13 (श्री सुरेश कुमार शर्मा)</u>

श्री सुरेश कुमार शर्मा: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर शहर में अखाड़ा घाट रोड सिकंदरपुर अजगैबीनाथ चौक से करबलाह भाया मुजफ्फरपुर क्लब के पीछे,जिलाधिकारी निवास के पीछे,जुड़न छपरा रोड नं0-1,2,3,4,5 के पीछे होते हुए लक्ष्मी चौक दाउदपुर कोठी के पीछे होते हुए पुलिस लाईन एन0एच0-77 तक एक नई पथ का निर्माण करावे ।''

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिकंदरपुर अखाड़ा घाट चौक अजगैबीनाथ मंदिर से भाया जोगियामठा मुज0 क्लब के पीछे जुड़न छपरा रोड नं0 1,2,3,4,5 के पीछे से लक्ष्मी चौक नई सड़क होते हुए दाउदपुर कोठी के पीछे से एन0एच0-77 तक प्रस्तावित पूरा रैयती जमीन पड़ता है जिस पर नगर विकास/ नगर निकाय द्वारा सड़क का निर्माण नहीं कराया जा सकता है । मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा: सभापति महोदय, ये सड़क जो है यह जमीन कोई प्राईवेट नहीं है, सरकारी जमीन है इसमें रास्ता बन सकता है । मैं आग्रह करूंगा आपके द्वारा ..

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) सरकार ने अपनी असहमति बतायी है, कृपया वापस लीजिये ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा: वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–14(श्री हरिनारायण सिंह)

श्री हरिनारायण सिंह: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत हरनौत प्रखंड के ग्राम पंचायत कोलावां के सागर पर से वरूणतर ग्रामीण कार्य पथ जिसकी लम्बाई लगभग 5 कि0मी0 है, वरूणतर ग्राम के पश्चिम तरफ धोवा नदी के किनारे लगभग 1200 फीट पथ में प्रतिवर्ष कटाव हो रहा है, कटाव को रोकने हेतु 1200 फीट पथ पर बोल्डर पीचिंग करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, सागर पर वरूणतर पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से वरूणतर तक जिसकी लम्बाई 900 मीटर है शीर्ष 4515 योजना से निर्माणाधीन है । मूल प्राक्कलन में बोल्डर पीचिंग का प्रावधान नहीं है और विषयांकित पथ टाल क्षेत्र में है और चिरैया नदी का तटबंध है । वर्ष 2016 में आयी बाढ़ से इसके पथांश में कटाव हो गया था जिसे शीर्ष 3054 एफ0डी0आर0 मद से मरम्मति कराया गया । स्थायी निदान हेतु नदी के तरफ बाये तटबंध में लगभग 360 मीटर में बोल्डर पीचिंग की आवश्यकता है । निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री हरिनारायण सिंह: सभापति महोदय, मैं तो वापस ही करूंगा लेकिन प्रति वर्ष इस सड़क में ही कटाव हो जाया करता है इसलिए बरसात के पूर्व उसे बोल्डर पीचिंग अगर नहीं कराया जायेगा तो रास्ता अवरूद्ध हो जायेगा तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको बरसात के पूर्व 2017–18 में बोल्डर पीचिंग करा दें । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस भी लेता हूॅ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–15(श्री विनय वर्मा)

श्री विनय वर्मा: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिला के नरकटियागंज विधान–सभा क्षेत्र में शिकारपुर पंचायत के ग्राम बरई टोला से ग्राम भसुरारी पेट्रौल पम्प तक जर्जर सड़क का जीर्णोद्धार करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पथ आर0ई0ओ0 15 वर्ष पुरानी पथ है जो किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है तथा यह श्रेणी–1 के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है और प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया वापस लीजिये।

श्री विनय वर्मा: मैं तो वापस लूंगा लेकिन सड़क 25–30 लाख रू0 में बन जाने वाली है यह।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): आपकी महत्ता और समस्या का सरकार को जानकारी है। आशा रखिये और वापस लीजिये ।

श्री विनय वर्मा: जी,मैं वापस लेता हूॅ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक- 16(श्री नौशाद आलम)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 17(श्री निरंजन राम)

सभापति: श्री अशोक कुमार सिंह को प्राधिकृत किये हुए हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: यह माननीय सदस्य का अपना संकल्प है तो इसका अथोराईजेशन नहीं होता है, क्वेश्चन में होता है।

श्री अशोक कुमार सिंह: सभापति महोदय माननीय सदस्य श्री निरंजन राम जी ने अध्यक्ष महोदय को लिख करके दिया था और..

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) जो लिखा हुआ है आप वही पढ़िये।

श्री अशोक कुमार सिंह: सभापति महोदय, हम वही पढ़ रहे हैं, महोदय, जो कहा गया, हमें अध्यक्ष जी का लिखित पत्र मिला है कि आप माननीय श्री निरंजन राम के संकल्प को पढ़ सकते हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूॅ जो हमारे माननीय मंत्री जी बोल रहे थे..

श्री अशोक कुमार सिंह: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिलान्तर्गत कुदरा बाजार से रामपुर जाने हेतु दुर्गावती नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 8 कि0मी0 की दूरी पर एवं डाउन स्ट्रीम में 2 कि0मी0 की दूरी पर पुल निर्मित है । अभिस्तावित पुल स्थल के उत्तर में कुदरा बाजार को एन0एच0-2 से तथा दक्षिण में रामपुर को पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से एकल सम्पर्कता प्राप्त है। विभाग का लक्ष्य राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करना है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री अशोक कुमार सिंह: मैं प्रस्ताव वापस लेता हूॅ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-18(श्री रणधीर कुमार सोनी)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) श्री विनोद प्रसाद यादव को प्राधिकृत किये हैं ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शेखपुरा जिला अन्तर्गत पुलिस लाईन, वर्त्तमान में बिस्कोमान की जर्जर भवनों में कार्यरत है, पुलिस लाईन के लिए भवन का निर्माण शीघ्र करावे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः शेखपुरा से गया चला गया औथोराईजेशन।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) माननीय सदस्य का क्षेत्र पूरा बिहार होता है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि शेखुपरा जिलान्तर्गत पुलिस लाईन का अपना भवन नहीं है । वर्त्तमान में बिस्कोमान भवन में कार्यरत है जो पुराना है पुलिस लाईन शेखपुरा के भवन निर्माण हेतु अंचल शेखपुरा मौजा मटोखर खाता संख्या 272 खेसरा संख्या 252 रकवा 24.40 एकड़ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा गैर मजरूआ मालिक गृह भूमि विभाग को निःशुल्क स्थानांतरित किया गया है । शेखपुरा पुलिस लाईन के भवन निर्माण हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा आवश्यक संशोधन के पश्चात् 361722200/-रू0 का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः मैं इसे वापस लेता हूॅ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-12/मधुप/17.03.2017

<u>क्रमांक- 19 : श्री सुबोध राय</u>

श्री सुबोध राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के शाहकुंड प्रखंडान्तर्गत शिवशंकरपुर मोड़ से कजरैली मोड़ तक जर्जर पथ की मरम्मति शीघ्र करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लम्बाई 16.15 कि0मी0 है, उक्त पथ की मरम्मति हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है । निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री सुबोध राय : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूॅ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सुबोध राय का प्रस्ताव वापस हुआ ।

अगले माननीय सदस्य को आवाज देने के पहले मैं सदन को बताना चाहता हूँ, वरीय मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी ने जो बिन्दु को उठाया है, सदन के सदस्यों को, सबको जानना चाहिये । नियम-156 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली - ''परन्तु वे सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से अपनी ओर से इसे प्रस्तावित करने का प्राधिकार किन्हीं ऐसे सदस्य को दे सकेंगे, जिनके नाम पर कार्य-सूची में वही संकल्प नीचे आया हो और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य तद्नुसार इसे प्रस्तावित कर सकेंगे।''

<u>क्रमांक-21 : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह</u>

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के तिरहुत मुख्य नहर के 534 आर0डी0 से निकलने वाली मेहसी वितरणी, जो बखरी 0 आर0डी0 से मेहसी एन.एच.-64 आर0डी0, लगभग 22.5 कि0मी0 दूरी है, जिससे 30 गॉवों की 3 लाख से ज्यादा आबादी जुड़ती है, इस सेवापथ को पक्की सड़क बनावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि तिरहुत मुख्य नहर के बिन्दु 536.39 से मेहसी वितरणी निस्सरित है, जो बिन्दु दूरी 0 बखरी से बिन्दु दूरी 64 मेहसी होते हुये बिन्दु दूरी 73 तक जाती है । इसकी कुल लम्बाई 22.25 कि0मी0 है । इस वितरणी के सेवापथ की चौड़ाई तीन मीटर है, जिसे आवश्यकतानुसार मरम्मति कराकर नहर निरीक्षण हेतु उपयोग किया जाता है । जल संसाधन विभाग द्वारा आवागमन हेतु सड़क का निर्माण नहीं किया जाता है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूँ । महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा कि अभी मेरे ही जिला पूर्वी चम्पारण में रक्सौल से निकलने वाली घोड़ासहन जो नहर है, माननीय मंत्री जी उसपर पक्की सड़क बनवा रहे हैं । राज्य के दूसरे कई नहरों पर माननीय मंत्री जी सड़क बना रहे हैं और चूंकि यह भी जनहित के लिये बहुत आवश्यक है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : बिन्दु आपका अच्छा है । आप मिल लीजियेगा, मंत्री जी दयालु हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं । आप वापस ले लीजिये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : मैं मिल लूँगा । आपके आदेशानुसार माननीय मंत्री जी से आश्वासन तो करा दीजिये । मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : इशारे में भी तो कुछ बात होती है । सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-20 : श्री महेश्वर प्रसाद यादव</u>

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत पूसा सैदपुर पुल (प्रखंड-कल्याणपुर) से मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत हनुमान नगर (गायघाट प्रखंड) एन.एच.-57 फोरलेन तक की सड़क जो ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है, को पथ निर्माण विभाग अपने विभाग में लेकर उसका चौड़ीकरण एनं नवनिर्माण करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत बूढ़ी गंडक नदी पर पूसा सैदपुर पुल (प्रखंड-कल्याणपुर) से मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत हनुमान नगर (गायघाट प्रखंड) एन.एच.-57 फोरलेन तक की सड़क का सैदपुर से सैदपुर हाट मात्र 3 कि0मी0 पथ समस्तीपुर जिला में पथ निर्माण विभाग के अधीन है । उसके आगे का पथांश ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है जिसकी लम्बाई लगभग 18 कि0मी0 है, जो मुजफ्फरपुर जिला में है । ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य विभाग के पथों को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण हेतु विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका संकल्प ज्ञापांक 935(एम) दिनांक- 07.2.2017 में निर्धारित मापदंड को पूरा करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु गठित समिति द्वारा फिजिबलिटी रिपोर्ट के आधार पर समीक्षोपरांत निर्णय लिया जायेगा । समिति के निर्णय एवं निधि की उपलब्धता के बाद ही विभाग में अधिग्रहण पर विचार करना सम्भव होगा । वर्त्तमान में इस पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : महोदय, यह सड़क कृषि विश्वविद्यालय पूसा और फोरलेन सड़क मुजफ्फरपुर-दरभंगा को जोड़ती है । बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, इसमें जमीन भी उपलब्ध है । ग्रामीण कार्य विभाग से इसको बढ़िया से बनाया नहीं जा पाता है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, कृपया मेरी बात सुनें । आपका लक्ष्य अपने-आप बढ़ रहा है और सरकार कंसनट्रेट कर रही है फिजिबलिटी रिपोर्ट के लिये, About to reach your goal anytime. आप वापस ले लीजिये, प्लीज ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री महेश्वर प्रसाद यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-22 : श्री संजय सरावगी

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के श्मशान घाटों (मुक्ति केन्द्रों) के विकास के लिए आबादी के अनुपात में बजटीय प्रावधान करे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कोई घाट निर्धारित नहीं होता है, लोग अपने-अपने ढ़ंग से अपने-अपने पुरखों के दाह-संस्कार की क्रिया करते हैं । शहरों में नगर विकास विभाग के द्वारा कुछ जगहों पर इसका निर्माण किया जाता रहा है, किया भी जाता रहेगा लेकिन मानीय सदस्य का जो अनुरोध है, आज बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये इसपर समुचित रूप से नीति विषयक निर्णय करना अपेक्षित होगा । सरकार इसपर विचार करके व्यापक नीति बनाने की ओर अग्रतर कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल अभी माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, पूरे बिहार के श्मशान घाटों की, जहाँ हिन्दु धर्मावलम्बियों के शव को जलाया जाता है, स्थिति बहुत खराब है, अत्यंत दयनीय है । सरकार की जो नीति है, कब्रिस्तान की घेराबंदी का हम विरोध नहीं करते हैं लेकिन अभी तक कब्रिस्तान की घेराबंदी में 700 करोड़ रूपया सरकार खर्च कर चुकी है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आप श्मशान पर आइये न !

श्री संजय सरावगी : उसी पर आ रहे हैं, सर । हम तो समर्थन कर रहे हैं कि सरकार अच्छा कर रही है । मेरा यह कहना है, अगर 700 करोड़ रूपया कब्रिस्तानों पर खर्च सरकार कर सकती है लेकिन श्मशान घाटों पर अभी तक 25 करोड़ रूपया भी खर्च नहीं हुआ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : नहीं-नहीं । सॉरी ।

श्री संजय सरावगी : मेरा यही कहना है कि 2500 करोड़ रूपया कम से कम बजटीय उपबंध सरकार पूरे राज्य के श्मशान घाटों के लिये करे ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय मंत्री ने फरमाया है, आपके संकल्प की गम्भीरता को देखते हुये यह विचाराधीन है ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, मैं वही कह रहा हूँ । अभी तक जो हमलोग देखे हैं, 700 करोड़ रूपये खर्च हो गया लेकिन श्मशान घाटों के विकास पर 25 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ । सभापति महोदय, यह नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया शांति बनाइये ।

श्री संजय सरावगी : स्पष्ट बोले सरकार, कितना बजटीय प्रावधान इसपर करने वाली है । स्पष्ट बोलना पड़ेगा ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आसन का सुनिये । माननीय मंत्री ने सरकार की ओर से बाजिव उत्तर दिया ।

टर्न–13/आजाद/17.03.2017

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य, अब पुराने सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हैं । ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा देना पड़ेगा, आप अपना संकल्प लाये हैं, ऐसे नहीं । महोदय, महिला उत्थान का कई कार्यक्रम चलाया जाता, यह कम्परेजन नहीं किया जा सकता कि मर्द उत्थान का भी किया जाय । स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है तो स्मार्ट गांव का भी प्रोपोजल भारत सरकार का नहीं है, कम्प्रेटिव स्टेटमेंट और कोई डिमांड आवश्यक एवं उचित नहीं है । समाज के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न तरह की स्थितियां हैं । मैंने कहा कि सरकार एक व्यापक नीतियां चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है, पहले हमारे पुरखे लोग, हम भी हिन्दू हैं महोदय, लेकिन हम अपने पुरखों को अपने पोखर में जलाते हैं । कोई घाट निर्धारित नहीं है, अपने ढंग से वो बनाते हैं.....

(व्यवधान)

सुन तो लीजिए । ऐसा नहीं है कि आप ही इस पीड़ा से.....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : आप क्यों इन्टरफेयर कर रहे हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : आपकी ही केवल समस्या नहीं है, ऐसी बात नहीं है । लेकिन मैंने कहा कि जनसंख्या के घनत्व को बढ़ते रहने के चलते अब यह कठिनाईयां गरीब–गुरबा के लिए हो रही हैं तो सरकार एक व्यापक नीति बनायेगी । अभी तक नहीं है, फिलहाल मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि आप इसे वापस ले लीजिए ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सरावगी जी, वापस लीजिए ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ । सभापति महोदय, यह टालमटोल वाली बात है कि नीति बनायेगी, करेगी, करेंगे । सभापति महोदय, सरकार को स्पष्ट रूप से संकल्प को पारित करना चाहिए.....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य श्री सरावगी जी, कृपया आसन का आदेश सुनिये । आपके संकल्प पर माननीय मंत्री ने बड़ा ही पोजेटिव उत्तर दिया और प्लानिंग, योजना भविष्य की चीज है । अभी बन गया, ऐसा कहना उचित नहीं है । प्लानिंग कर रहे हैं आपके संकल्प का महत्व है और इतने सीनियर सदस्य होने के नाते आपको डिबेट में भाग लेने के पहले अपनी जानकारियों पर आ जाना चाहिए । माननीय मंत्री ने बड़ा ही वाजिब सरकार के तरफ से बेहतरीन उत्तर दिया है । जो नहीं था, वह करने ये

जा रहे हैं आपके प्रश्न और संकल्प के ऊपर । आसन आपसे आग्रह करता है कि आप संकल्प को वापस लीजिये, सरकार ने आपसे आग्रह किया है ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, आपने कहा कि सरकार बहुत गंभीर है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब इसकी सीमा है ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, ...

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : यह ध्यानाकर्षण नहीं है .....

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, हम श्मशान घाट के विकास के लिए बात कर रहे हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सरकार तैयार है ।

(व्यवधान)

आप वापस लीजिये ।

(व्यवधान)

नहीं, आप वापस लीजिये, सरकार तैयार है । आप इसको वापस लेते हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : नेता विपक्ष, आप इनको बैठाईये । सबको अपने दायरे में रहना है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : प्रश्न यह है कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के श्मशान घाटों (मुक्ति केन्द्रों) के विकास के लिए आबादी के अनुपात में बजटीय प्रावधान करे । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

क्रम सं0-23 । श्रीमती लेशी सिंह । माननीय सदस्य की कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगी ।

<u>क्रमांक-23 श्रीमती लेशी सिंह</u>

श्रीमती लेशी सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखंड अधीन बरैना तीन मुहानी धार तथा बालूटोल ग्राम के निकट कोशीधार पर पुल निर्माण करावे । ''

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : इनकी कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जानी चाहिए । ये आसन का भी निदेश नहीं मान रहे हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : इनकी कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगी । सारी बात प्रोसीडिंग्स से आऊट हो गयी है । अब बैठिये न ।

(व्यवधान)

शांति-शांति । कृपया आपलोग बैठ जाईये ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री,ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पुलों से संबंधित है । जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

बरैना तीन मुहानी धार पर पुल - उक्त पुल स्थल बग्घीबरैना से पकड़िया पर अवस्थित है .....

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, इस तरह की कार्रवाई असंसदीय आचरण का द्योतक है । इन्हें दंडित किया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय, इस तरह के आचरण के लिए इनको दंडित किया जाना चाहिए । इस तरह के असंसदीय आचरण के लिए इनपर कार्रवाई किया जाय ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, फिर से पढ़ दीजिये । आपलोग कृपया बैठ जाईये । सदन को चलाने दीजिये ।

कृपया आपलोग बैठ जाईये । बैठ गये लोग ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, जिस तरह से माननीय सदस्य ने संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया है और बार-बार आसन के अनुरोध के बाद भी माननीय सदस्य संसदीय परम्परा को और कार्य संचालन नियमावली पर ऊँगली उठाने का काम कर रहे हैं, ऐसे माननीय सदस्यों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरह से वेल में आकर टेबुल को ऊलट रहे हैं और इनको संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और टेबुल को ऊलट रहे हैं, यहां पर रिपोर्टर के हाथ से नोटबुक छीन रहे हैं महोदय और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए महोदय असंसदीय आचरण के विरूद्ध ।

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने लगे)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया आपलोग बैठ जाईए । आसन का रिक्वेस्ट है बैठिये, आपलोग कृपया बैठिये । माननीय मंत्री, श्रीमती लेशी सिंह के संकल्प पर जवाब दीजिये।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण वेल से अपनी-अपनी जगह पर चले गये)

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन)(खड़े होकर) : कृपया आपलोग बैठिये, बैठिये । बैठ जाईए । प्लीज, आपलोग बैठिये । माननीय सदस्य ललित जी, बैठिये ।

मैं तमाम माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि कृपया सदन की मर्यादा के आलोक में आपलोग बैठिये, कार्यवाही चलने दीजिये प्लीज ।

माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, श्रीमती लेशी सिंह के संकल्प पर ।

श्री शैलेश सिंह,मंत्री : महोदय, ...

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन)(खड़े होकर) : कृपया आपलोग बैठिये । बैठ जाईये, हो गया । ललित जी, कृपया आपलोग बैठिये ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पुलों से संबंधित है ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : प्रोसीडिंग्स से बात हट गयी है, आपलोग बैठिये ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पुलों से संबंधित है, जिसका विवरणी निम्न प्रकार है :-

बरैना तीन मुहानी धार पर पुल .....

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया आपलोग बैठ जाईये । अब हो गया । बैठ जाईये माननीय सदस्यगण । कार्यवाही चलने दीजिये, प्लीज बैठिये । बैठिये, बैठिये । कार्यवाही चलने दीजिये ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ।

टर्न-14/अंजनी/दि0 17.03.2017

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, सदन की शुरूआती दिनों से ही देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से विपक्ष का व्यवहार है, आचरण है, वह संसदीय परम्परा एवं संसदीय नियमों के प्रतिकूल होता रहा है । महोदय, लगातार इस तरह की प्रक्रिया चलायी जाती

रही है और आज सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का डिमांड है कि जिन लोगों ने आज संसदीय आचरण के विपरीत काम किया है, टेबुल पटकने का काम किया है, रिपोर्टर के हाथ से कलम छीन लेने का काम किया है तो हम आसन से आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की जो प्रक्रिया है और इस तरह की असंसदीय आचरण करनेवाले माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नेता विपक्ष की ओर से प्रस्ताव आना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलतियों का पुनरावृत्ति नहीं हो और सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चले, यह नेता प्रतिपक्ष की भी जवाबदेही होती है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : नेता प्रतिपक्ष ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : सभापति महोदय, पिछली बार मानसून सत्र में सत्ताधारी दल के सदस्यों ने.....

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): आप लोग बैठिए, बैठिए ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : सभापति महोदय, पिछले मॉनसून सत्र में यहीं वेल में आकर सत्ताधारी दल के सदस्यों ने टेबुल पर चढ़कर नंगा नाच करने का काम किया था तो इसपर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की ? क्यों नहीं कार्रवाई हुई और आज आप सफाई दे रहे हैं । सत्ताधारी दल के विधायकों ने इसी टेबुल पर चढ़कर हंगामा किया था । महोदय, आज कार्रवाई की बात कह रहे हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): आपका क्या सुझाव आ रहा है ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : मेरा सुझाव यही है कि मॉनसून सत्र में जो घटना घटी है, उस समय सत्ताधारी दल के सदस्यों ने जो घटना घटित की है, उनपर भी कार्रवाई हो।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय नेता प्रतिपक्ष, आज का जो विषय वस्तु है, आज के घटनाक्रम के बाबत जो सवाल उठाये जा रहे हैं, इसपर आपका सुझाव आना चाहिए, कहां आ रहा है ? आप कहां आ गये ?

(इस अवसर पर श्री महबूब आलम सदन के वेल में आकर बैठ गये)

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): कोई हाईलाईट नहीं होगा, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए । टेबुल पटकने से कोई हाईलाईट नहीं होता है । महबूब आलमजी, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपनी सीट पर जायें और जो बात कहना चाहते हैं, उनकी बात सुनी जाय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : मा0 सदस्य महबूब आलम, आप अपनी सीट पर जाकर अपनी बात को कहें ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री महबूब आलम अपनी सीट पर गये)

श्री महबूब आलम : सभापति महोदय, यह गैर सरकारी संकल्प जो तमाम् माननीय सदस्यों को पढ़ने का अधिकार है और संकल्प लेने का और इसको प्रश्नोत्तर काल की तरह, अल्पसूचित प्रश्न की तरह इसपर बहस नहीं होती है । इस तरह से माननीय सदस्य एक मुद्दा को लेकर, संकल्प को लेकर माननीय संजय सरावगी जी ने जिस तरह से सदन का अपमान किया और जिस तरह से कुर्सी, टेबुल को पटका, यह असंसदीय है । कब्रिस्तान के परिप्रेक्ष्य में श्मशान घाट का मुद्दा उठाकर यह साम्प्रदायिकता है । इनपर कार्रवाई होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : आप लोग शांत हो जाइए, बैठ जाइए, अब हो गया । माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग ।

(व्यवधान)

बैठिए ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, जवाब पढ़ें ?

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : पढ़िए ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि यह प्रश्न दो पुलों से संबंधित है । जिसका विवरणी निम्न प्रकार है । क्रम संख्या-1- बरौना - तिनमुहानी धार पर पुल। उक्त पुल स्थल बग्घी बरौना से पकड़िया बरौनी पथ पर अवस्थित है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रवण कुमार, आप आग्रह कीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, हमने अपनी बात को आपके समक्ष और सदन में रखी है और लगातार पहले दिन से माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद लगातार इस सदन में परम्परा को तोड़ा जा रहा है, नियम को तोड़ा जा रहा है, कुर्सियां उल्टी जा रही है, बेंच उल्टे जा रहे हैं, रिपोर्टर घायल हो रहे हैं तो इस तरह के आचरण और व्यवहार करनेवाले माननीय सदस्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और यह प्रस्ताव तो नेता विपक्ष को लाना चाहिए कि उनके माननीय सदस्य उनके और्डर

में नहीं हैं, असंसदीय आचरण कर रहे हैं । कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो माननीय विपक्ष के नेता को इसपर पहल करनी चाहिए और प्रस्ताव लाकर अपने सदस्य पर निलंबन की कार्रवाई करनी चाहिए ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय डिप्टी सी0एम0 कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : सभापति महोदय, जब से सत्र शुरू हुआ है तब से बिहार की जनता और देश की जनता जो बी0जे0पी0 के विपक्ष के लोग हैं, इनका व्यवहार सबके सामने आया है । ये जो चिन्ता कर रहे हैं, श्मशान बनाने की बात कर रहे हैं तो ये बी0जे0पी0 के भी लोग सरकार में शामिल रहे हैं, सरकार चलाने का काम किये हैं तो उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं ध्यान देने का काम किया ? उस समय भी बनाने का काम कर सकते थे, उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया गया । आज जब यू0पी0 के चुनाव को देखते हुए आप लोग यहां कम्युनलाइज करना चाहते हैं, एजेंडा सेटिंग करना चाहते हैं, बिहार की जनता आपके एजेंडा को, सेटिंग को नहीं होने देगी । माननीय मंत्री जी ने पॉजीटिव आंसर दिया, सही जवाब देने का काम किया । आपका संकल्प है, जरूरी बात चल रही है, महत्वपूर्ण बात है, विकास के मुद्दे की बात चल रही है तो आपलोग राजनीतिक एजेंडा सेटिंग करने का काम कर रहे हैं । आप लोग जान जाइए कि यह बिहार है और बिहार की धरती पर हमलोग ऐसा होने नहीं देंगे । भाईचारा बनाकर रहिए । जो इनका विहेवियर है, हम नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार जी को सुझाव देना चाहते हैं कि इनके विधायक इनके कंट्रल में नहीं हैं । इनकी बातों को नहीं मानते हैं, यहां आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, वेल में आकर घुस रहे रहे हैं और टेबुल पटकने का काम कर रहे हैं, ये इशारा भी कर रहे हैं लेकिन इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो आपको, प्रेम कुमार जी को माफी मांगनी चाहिए कि आपके सदस्यों ने ऐसा किया । आप विकास नहीं चाहते हैं, आप विनाश चाहते हैं । आप भाईचारा नहीं चाहते हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : नेता प्रतिपक्ष, आप सुझाव दें ताकि शांति कायम की जा सके ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, जिन लोगों ने 15 वर्षों तक बिहार को लूटने का काम किया, चारा घोटाला, दवा घोटाला, अलकतरा घोटाला , मेधा घोटाला और ये घोटालेवाज लोग हमको उपदेश दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : हमलोगों को बिहार की जनता ने चुना है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आर0जे0डी0 को बनाने का काम किया है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : आप बैठ जाइए । मेरा आप सबसे आग्रह है कि सबने अपनी बातों को रखा ....

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, हमलोग लगातार इस सदन के सदस्य रहे हैं और ऐसी परम्परा आजतक नहीं रही है, अगर किसी से कोई गलती होती है, किसी से चूक

होती है महोदय तो नेता विपक्ष को उठकर कहना चाहिए कि हमारे सदस्य ने गलती की है तो इसपर खेद प्रकट करना चाहिए, नहीं तो माननीय सदस्य को खेद प्रकट करना चाहिए । अगर खेद प्रकट नहीं करते हैं तो आप उनपर एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, यही अबतक की परम्परा रही है, यही नियम है, यही नियमावली है और इसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए ।

टर्न-15/शंभु/17.03.17

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : सरकार के मंत्री जब प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, सरकार कार्रवाई नहीं करती है, इन्होंने अब्दुल जलील मस्तान को बर्खास्त क्यों नहीं किया किस नीति के तहत- क्या बात करते हैं।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : नेता प्रतिपक्ष आसन का कुछ सुनियेगा ?

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय, हमारा आग्रह आपसे है कि आखिर अब्दुल जलील मस्तान को सरकार ने प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की- नीतीश कुमार जी ने बर्खास्त क्यों नहीं किया ?

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया बैठ जाइये। आसन की भी बात सुनिए।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : इसीलिए महोदय, कब्रिस्तान.....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) (खड़े होकर) : बैठ जाइये, कृपया बैठ जाइये। आपलोग भी बैठिए। माननीय सदस्यगण, आप तमाम सदस्यों से आग्रह है।

(व्यवधान)

अरे भाई बैठते क्यों नहीं हैं ? आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह है, आसन का आग्रह है माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी और सरकारी बेंच से भी सदन की कार्यवाही कृपया चलने दें। समस्याएं हैं समाधान होना चाहिए। गलतियां है गलती को बर्दास्त नहीं किया जाता है। सदन की कार्यवाही में इस तरह के शब्दों का कहीं स्थान नहीं है। आप सम्यक रूप से नेता प्रतिपक्ष से, सरकारी बेंच से आप तमाम साथियों से आग्रह है कि कार्यवाही चलने दीजिए समस्याओं का, जनहित के समस्याओं का निदान हो।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, कृपया बैठ जाइये। बैठिए महबूब आलम जी। आप बैठ जाइये, अच्छे मेम्बर हैं। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास लेशी सिंह जी का संकल्प है।

(व्यवधान)

क्या चाहते हैं आपलोग ? आपलोगों से मैं आग्रह करता हूँ कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, बैठ जाइये। जो जिसका होना है हो चुका, मानिए देव नहीं तो पत्थर। दंड देने से कुछ नहीं होता है सिर्फ शब्द ही काफी है। कृपया बैठ जाइये सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, संसदीय लोकतंत्र में किसी भी माननीय सदस्य को कटु से कटु और तीखा से तीखा शब्दों का इस्तेमाल करने का राइट है, नियम है, परंपरा है, लेकिन जिस तरह से बेंच उलटने का, कुर्सी उलटने की पद्धति और प्रणाली चलायी जा रही है।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : यह अच्छी बात नहीं है।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : रिपोर्टरों के हाथ से कागज छीना जा रहा है, रिपोर्टर के साथ धक्का-मुक्की की जा रही है, चोटें भी आई है इसी सदन में तो लगातार इस तरह की घटना अगर हो रही है तो इसके पूर्णविराम के लिए कार्रवाई अपेक्षित है। हम तो नेता प्रतिपक्ष से चाहते हैं कि प्रस्ताव लाएं खुद नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष समझ भी रहे हैं कि किनकी गलती है, किनसे गलती हो रही है। इसलिए इस सदन में नेता प्रतिपक्ष कम से कम अपनी बात रखें और रखते समय खेद जरूर व्यक्त करें।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया बैठ जाइये, अब सुनिये शांति से। इन समस्याओं का निदान- महबूब आलम साहब बैठिए, हो तो गया कितना बोलियेगा अकेले। बैठिए, अरे आपकी बैट्री.....

(व्यवधान)

यूं-यूं मत करिये, इसको रखिए। कीप योर फिंगर डाउन। दिस इज माइ रिक्वेस्ट।

(व्यवधान)

ये समस्याएं जो उठी हैं- बैठ जाइये, बैठ जाइये। कुछ कहने दीजिएगा आसन को बैठिए न। अरे एक से एक यहां विद्वान भरे हुए हैं, कोई कमी है क्या ? सदन का आग्रह है- संसदीय मंत्री ने जिन बातों की ओर इंगित किया है, नेता प्रतिपक्ष ने भी किया है। इन सब समस्याओं का सम्यक रूप से निदान मैं समझता हूँ कि विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति माननीय अध्यक्ष महोदय के सदारत में निपटारा करेगी। अभी समस्याओं का निदान-आपकी ही समस्या है, जनता की समस्या है, इसका निदान होने दें कृपया। कल ही बैठक करेंगे इसपर।

(व्यवधान)

दौजाना साहब, बैठ जाइये। यह व्यापक प्रश्न है, बैठ जाइये। कृपया बैठ जाइये। माननीय सदस्या लेशी सिंह, वे बोल चुकी हैं जवाब दीजिए।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : हो गया है।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्या अपने संकल्प को वापस लेंगी ?

श्रीमती लेशी सिंह : मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-24 श्री रवि ज्योति कुमार

श्री रवि ज्योति कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल राजगीर में कलकत्ता से राजगीर प्रत्येक दिन जन शताब्दी की तरह ट्रेन का परिचालन कराने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को अनुशंसा करे।''

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : मैं समझता हूँ आसन का जो सबमिशन है कि प्रस्ताव भेजने में ही प्रसन्नता होगी ।

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री : नालंदा जिला अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल राजगीर में कलकत्ता से राजगीर प्रत्येक दिन जन शताब्दी की तरह ट्रेन का परिचालन होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को भी सुविधा होगी। अतः इस हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह करेगी।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री रवि ज्योति कुमार : धन्यवाद सर।

क्रमांक-25 श्री केदार प्रसाद गुप्ता

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजप्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड के 39 पंचायत से काटकर 14 पंचायत मिलाकर मनियारी को प्रखंड बनावे।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, मुजप्फरपुर जिलान्तर्गत मनियारी को प्रखंड को दर्जा दिये जाने के संबंध में विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मनियारी को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी मुजप्फरपुर को निदेशित किया गया है। पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, कुढ़नी बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड 39 पंचायत का प्रखंड है और सरकार की जन कल्याणकारी योजना जन-जन तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए पूर्वी क्षेत्र मनिहारी के 14 पंचायत मिलाकर के अलग प्रखंड बनाया जाय। माननीय मुख्यमंत्री जी 2010 में गये थे और कहे थे कि मनिहारी को हम प्रखंड बनायेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो हम कहते हैं वह करते हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ और माननीय मंत्री जी ने जो कहा है मैं इस सदन में तीसरी चौथी बार यह गैर सरकारी संकल्प लाया हूँ और जब जब यह मामला आता है तो हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हम जिला से- जिला से सारा रिपोर्ट आ गया है।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य कृपया सुनिए, अबकी बार आपका तीर बेकार नहीं जायेगा, कृपया वापस लीजिए।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : संयोग से हुजूर भी आसन पर ही थे पिछली बार और मंत्री जी भी थे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कुढ़नी के साथ अन्याय नहीं हो और कुढ़नी को अलग करके एक अलग प्रखंड बनाया जाय। मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक-26 श्री अभय कुमार सिन्हा</u>

श्री अभय कुमार सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के टिकारी प्रखंड के तहत ग्राम खनेटू के जोगिया बाबा के पास मोरहर नदी पर ग्राम टेपा परसॉवा के सामने उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे।''

टर्न-16/अशोक/17.03.2017

क्रमांक-26- श्री अभय कुमार सिन्हा- क्रमशः

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, गया जिलान्तर्गत टेकारी प्रखण्ड के तहत ग्राम खनेटू के जोगियाबाबा के पाास मोरहर नदी की चौड़ाई 250 मीटर है, नदी के उस पार ग्राम परसावां से एक कच्ची सड़क आती है जिसकी लम्बाई 2 कि.मी. है, नदी का अप स्ट्रीम में लगभग 5 कि.मी. दूरी पर ग्राम दखनैर परईया के समीप पुल निर्मित हैं, नदी के डाउन स्ट्रीम में लगभग 2 कि.मी. की दूरी पर पंचाननपुर के समीप पुल निर्मित हैं, ग्राम खनेटू को पूर्व से एकल सम्पर्कता प्रदान है साथ ही ग्राम परसावां को मुख्यमंत्री ग्राम्य सम्पर्क योजना के पथ से एवं ग्राम टेपा को पी.एम.जी.एस.वाई.

पथ से एकल सम्पर्कता प्रदान हैं । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुनर्विचार का आग्रह करते हुये मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-27-श्री राजेन्द्र कुमार

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के हरसिद्धि प्रखंड में गायघाट से हरसिद्धि प्रखंड मुख्यालय जाने वाली आर.डब्लू.डी. रोड में उज्जैन लोहियार महावीर चौक के बगल में क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत निर्मित गायघाट से हरसिद्धि पथ में धनवतीपन के पास स्थित है, इस स्थल में पूर्व निर्मित पुलिया क्षतिग्रस्त हैं, अभिस्तावित स्थल पर 20 मीटर पुल की आवश्यकता हैं । संबंधित कार्यपालक अभियंता को स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार : धन्यवाद देते हुये मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-28-श्री लक्ष्मेश्वर राय

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्तावि करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत लौकहॉ रेलवे स्टेशन के दक्षिण स्थित रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल का निर्माण शीघ्र कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करे ।"

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री : सभापति महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत लौकहा रेलवे स्टेशन के दक्षिण स्थित रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल का निर्माण शीघ्र कराने हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

कम्रांक-29- श्री अशोक कुमार चौधरी- अनुपस्थित ।

क्रमांक-30-श्री अरूण कुमार सिन्हा

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वार्ड नं-51, संदलपुर अम्बेदकर कॉलोनी मे रह रहे अनुसूचित समाज की बस्ती को उजड़ने से बचावे ।"

श्री(डॉ.) मदन मोहन झा,मंत्री : सभापति महोदय, यह नगर विकास विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : क्या माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग इसका जवाब देंगे?

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: अभी नहीं ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : यह स्थानान्तरित हुआ, यह बाद में आयेगा ।

क्रमांक-31- श्री विनोद प्रसाद यादव

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मेरा संकल्प का कुछ अंश कट गया है जो दिया था मूल रूप में, उसको भी जोड़ते हुये अभिस्ताव कर देता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : यह तो नियम नहीं है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय से इस संबंध में बात की थी ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : हमको तो सूचना नहीं है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : उन्होंने कहा था कि आप उसको जोड़ सकते हैं । चैम्बर में उनसे मिले थे।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत गया-शेरघाटी भाया चेरकी MDR पथ को SH में परिणत करे तथा शेरघाटी थाना से चितारकला तक सात कि.मी. लम्बाई में पी.सी.सी. सड़क का निर्माण करावे ।"

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, गया शेरघाटी भाया चेरकी पथ की कुल लम्बाई 32.20 कि.मी. एवं रोड सरफेस पथ पर टू लेन की चौड़ाई 7 मीटर है, फ्लैंक 2 से 3 मीटर हैं, यह पथ गया जिला मुख्यालय से शेरघाटी अनुमण्डल से जोड़ने वाली एम.डी.आर. पथ है, वर्त्तमान में इस पथ को ओ.पी.आर.एम.सी. पैकज नं.-71 के तहत दिनांक 3.06.2020 तक संधारित किया जाना हैं । सम्प्रति इस पथ को राज्य उच्च पथ के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव नहीं हैं । अंत में मैं माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य श्री विनोद जी वापस लीजिए ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मननीय उप मुख्यमंत्री जी का जवाब है कि उस पथ की मरम्मिति की जा रही है OPRMC से, मैं उस संदर्भ में माननीय उप मुख्यमंत्री

जी को संज्ञान में लाना चाहता हूँ, सूचना में केवल, चूंकि उत्तर में, उत्तर में उन्होंने सभापति महोदय बताये हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी की इसकी मरम्मिति कार्य चल रही हैं, उस संदर्भ में उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ उत्तर के आलोक में कि जो OPRMC का कार्य चल रहा हैं, सड़क की महत्ता के अनुसार बिल्कुल ठीक नहीं है और अनुमण्डल मुख्यालय जो NHI पर अवस्थित हैं और जिला मुख्यालय, दोनों को जोड़ती है, बहुत ही महत्वपूर्ण पथ हैं इसलिए इसको SH में शामिल कराया जाय और OPRMC से जो कार्य हो रहा हैं, वह गुणवत्ता के अनुसार नहीं हो रहा हैं और सात कि.मी. में बिल्कुल मिट्टी उखड़ गया हैं, जहां हैबिटेशन है ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : इस सुझाव के साथ वापस लीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : हमलोग खुद भी मॉनिटर करते हैं ज्यादातर रोड इसके माध्यम से मैन्टेन्ड रहता हैं, अगर इसमें मरम्मिति कार्य ठीक से नहीं चल रहा हैं या कहीं कुछ दुविधा आयेगी तो इसको हमलोग दिखवा कर उचित कार्रवाई करेंगे और गलती पाये जाने पर जो संवेदक है जिसके अधीन OPRMC पैकेज है, अगर गलत होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : शुक्रिया, शुक्रिया ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : धन्यवाद, लेकिन सात कि.मी. में पी.सी.सी.कराना जरूरी हैं.....

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : यह ध्यानाकर्षण नहीं है, कृपया बैठिये ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : मैं सुझाव दे रहा हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : आप मंत्री भी रह चुके हैं ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-32-श्री अमित कुमार</u>

श्री अमित कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बैरगनिया प्रखंड स्थित मसहा आलम, मसहा नरोत्तम एवं आदमवान गांव के बागमती नदी पर वर्ष 1978 में बॉध बनने के कारण 500(पॉच सौ) परिवार प्रभावित हुए थे, जिसमें से मात्र 300(तीन सौ) परिवारों को ही पुनर्वासित किया गया, शेष 200(दो सौ) परिवारों को जमीन की उपलब्धता नहीं रहने के कारण आज तक पुनर्वासित नहीं किया गया है, उन्हें पुनर्वासित कराने का कार्य अविलम्ब प्रारंभ करावे ।"

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक हैं । सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बैरगनिया प्रखण्ड स्थित मसहा आलम, मसहा निरोत्तम एवं आदमवान

गांव के बागमती नदी पर वर्ष 1978 में बॉध बनने के कारण लगभग 898 परिवार विस्थापित हुये थे, जिनमें से आदमवान गांव के लगभग 200 एवं मसहानरोत्तम गावं के लगभग 300 परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है । मसहाआलम गांव के कुल 398 विस्थापित परिवरों मे से 81 परिवार को भखुरहर एवं नंनवारा गांव में पुनर्वासित करा दिया गया हैं, शेष 317 परिवारों के लिए बेल्डूमरवाना में 17.26 एकड़ भूमि का भू अर्जन, विशेष भू अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर द्वारा की जा रही हैं, भूमि अधिग्रहण के पश्चात शेष सभी परिवारों को पुनर्वासित कर दिया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध हैं कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य 1

श्री अमित कुमार : मैं वापस लेता हूॅ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-33-श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम</u>

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रमः महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूॅः

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिलान्तर्गत बौंसी प्रखंड में उपलब्ध सरकारी जमीन पर अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय स्थापित करावे ।"

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : बॉका जिलान्तर्गत बौंसी प्रखण्ड में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु आवश्यक तीन से पॉच एकड़ भूमि उपलब्ध नहीं है ।

जिला पदाधिकारी, बॉका को विभागीय पत्रांक-3836 दिनांक 28.04.2016, पत्रांक-5537 दिनांक-26.09.2016 तथा पत्रांक-6695 दिनांक 21.12.2016 द्वारा बॉका जिला में आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । पुनः अर्द्ध सरकारी पत्रांक-628 दिनांक 09.03.2017 द्वारा विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

जिला पदाधिकारी, बॉका के पत्रांक-10 दिनांक 09.01.2017 द्वारा बॉका जिला के चांदन प्रखण्ड में भूमि उपलब्ध करायी गयी है । बॉका जिला में अनुसूचित जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है ।

सम्प्रति बॉसी प्रखण्ड में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि मेरा कटोरिया विधान सभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं और जहां तक जमीन की बात

हैं, जमीन उपलब्ध भी हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह मैन रोड हैं इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि इस पर पुनर्विचार करें और मैं सदन की सहमति से अपना संकल्प वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-17/17.3.2017/बिपिन

क्रमांक-35 श्री राम विलाश पासवान

श्री राम विलाश पासवान : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करता है कि वह भागलपुर जिला के कहलगॉव प्रखंड के कुर्मा पंचायत अंतर्गत चन्नो ग्राम में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करावे ।''

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कुर्मा पंचायत के कुर्मा ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत एवं कार्यरत है । कुर्मा पंचायत के चन्नो ग्राम में नवस्वीकृत स्वास्थ्य उपकेन्द्र अभी कार्यरत नहीं है । इसे शीघ्र शुरू कराया जाएगा ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राम विलाश पासवान: माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि पूरा देहाती क्षेत्र है ग्राम चन्नो और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वहां भी शीघ्र ही बनवाने की कृपा करेंगे । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-36 श्री राज कुमार राय

श्री राज कुमार राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत बिथान प्रखंड के कमला नदी पर कौरनी वाहा में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पुल पी.एम.जी.एस.वाई. बैच-2 के तहत प्रस्तावित पथ एल-45 टी.1 के जिरैताना पथ में 80/50 मीटर पर अवस्थित है । पुल का डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है जिसे एस.टी.ए. के स्वीकृति के उपरांत एन.आर.आर.डी.ए., नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु समर्पित की जाएगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राम विलाश पासवान: धन्यवाद । वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-37 श्रीमती अमिता भूषण

श्रीमती अमिता भूषण: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला अंतर्गत बेगूसराय प्रखंड में रजौड़ा-चॉंदपुरा पथ अत्यंत जर्जर अवस्था में है, का अविलम्ब निर्माण कार्य पूर्ण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पथ की लंबाई 10 कि0मी0 है । पथ श्रेणी-वन में सम्मिलित है । पथ का डी.पी.आर. मरम्मती हेतु तैयार किया जा चुका है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार मरम्मती कार्य कराया जा सकेगा ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती अमिता भूषण : समापति महोदय, संकल्प वापस लेती हूं । धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): शुक्रिया । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-38 श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय

(माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार अनुपस्थित)

क्रमांक-39 श्री राम बालक सिंह

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन): श्री राज कुमार राय । प्राधिकृत है ।

श्री राज कुमार राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड में आई.टी.आई. महिला कॉलेज खोलने हेतु स्वीकृति प्रदान करे ।''

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय मंत्री, श्रम संसाधन ।

(व्यवधान)

शांति । शांति । टेक्निकल मैटर है, थोड़ा डीले होता है । आगे बढ़ते हैं, बाद में हम इसको निपटा लेंगे ।

क्रमांक-40 श्री सुवाष सिंह

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन): यह प्राधिकृत है श्री विजय कुमार सिन्हा जी को ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मोकामा बाटा मोड़ से मुंगेर तक के बीच बचे बाइपास तहदिया से हेमजा तक 8 किलोमीटर का शीघ्र निर्माण करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री: महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80 पर बड़हिया बाइपास का निर्माण स्वीकृत है जिसके आठवें किलोमीटर में हेमजा एवं 15वें किलोमीटर में तहदिया अवस्थित है । इस निर्माण हेतु भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया पर सी.बी.आई. एवं भारतीय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय के सतर्कता विभाग द्वारा जांच के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्यालय स्तर से भूस्वामियों के मुआवजों के भुगतान पर रोक लगा दिया गया है एवं भू-अर्जन नहीं होने के कारण इसका निर्माण प्रारभ्भ नहीं कराया जा सका है ।

अंत में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें।

श्री विजय कुमार सिन्हा: सभापति महोदय, यह मामला पहले का है । इधर करेंट जो रिपोर्ट है दो महीने के अंदर का, यह सारा मामला समाप्त करके इसमें प्रगति के लिए सरकार की ओर से प्रस्ताव जाने पर केन्द्र सरकार से वह कार्य शीघ्र हो सकता है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ये प्रस्ताव भेजें ताकि वहां की बहुत बड़ी जनसमस्या है, उसका निदान हो सके ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय मंत्री ने कहा है कि लंबित कुछ कारणों से है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री: इस पर रोक लगा हुआ है । मार्च से ही रोक लगा हुआ है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: महोदय, इधर करेंट एक महीने, डेढ़ महीने के अंदर का, इधर करेंट रिपोर्ट है कि वहां से सब क्लीयर हो चुका है । माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री का लेटर भी हमारे पास आया है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): आप मिल लीजिएगा । प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री: किसी प्रकार से सूचना मिला है या कॉपी कोई होगी तो वह हमको उपलब्ध करा दीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-41 श्री मनोहर प्रसाद सिंह</u>

श्री मनोहर प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत मुस्लिम टोला, हटकोला, अवधपुर, बाघमारा, बौलिया, मनिहारी यहॉ तक कि कारीकोसी बांध के कट जाने की पूरी संभावना से संभावित अपूरणीय क्षति की रक्षा के लिए शीघ्र कटाव निरोधी कार्रवाई करे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड के अंतर्गत मुस्लिम टोला, हटकोला, अवधपुर, बाघमारा, बौलिया, मनिहारी में हो रहे भू-क्षरण के बचाव के लिए गंगा नदी के बाएं किनारे पर केवाला ग्राम से बाघमारा ग्राम तक 5200 मीटर के लंबाई में बाढ़ सुरक्षात्मक योजना जो तकनीकी सलाहकार समिति के एजेंडा सं0 133/198 द्वारा अनुशंसित है । वर्तमान में यह योजना गंगा बाढ़ नियंत्रण आर.इ.ओ. के समक्ष तकनीकी एप्रेजल हेतु विचाराधीन है । इस योजना में मुस्लिम टोला, हटकोला, अवधपुर, बाघमारा, बौलिया एवं मनिहारी के बचाव हेतु बाढ़

सुरक्षात्मक कार्य सम्मिलित हैं । कोसीकारी तटबंध से रिवर एज की न्यूनतम दूरी वर्तमान में 501 मीटर है । बाढ़ नदी में कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंहः संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न : 18/कृष्ण/17.03.2017

क्रमांक–42 श्री भोला यादव

श्री भोला यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत बहादुरपुर प्रखंड के छपरार टोला एवं घोरघट्टा गांव के बीच कमला नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल पर निर्माण हेतु नाबार्ड योजनान्तर्गत संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है । तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री भोला यादव : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से मा0सदस्यश्री भोला यादव का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–43 श्री मुन्द्रिका सिंह यादव

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला मुख्यालय से अरवल जिला मुख्यालय को रेलवे लाईन से जोड़ने के लिये भारत सरकार से अनुशंसा करे । ''

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री : महोदय, जहानाबाद जिला मुख्यालय से अरवल जिला मुख्यालय को रेलवे लाईन से जोड़ने के लिये राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी । अतः सदन की सहमति से इसको स्वीकृत किया जा सकता है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से मा0 सदस्य श्री मुन्द्रिका सिंह यादव जी का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, धन्यवाद ।

क्रमांक-44 श्रीमती वर्षा रानी

श्रीमती वर्षा रानी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्रांक 28016/113/2015-SSH(phase-iv), दिनांक 10.12.2015 के आलोक में भागलपुर जिला मुख्यालय स्थित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा संस्थान के समीप स्वास्थ्य विभाग के 200 एकड़ भूमि पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करावे । ''

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : महोदय, राज्य में दूसरे एम्स की स्थापना के लिये जिला का चयन करने के संबंध में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारत सरकार द्वारा चयनित जिले में आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी गयी है । इस आलोक में जिले का चयन कर सूचित करने का भारत सरकार से अनुरोध किया गया है । भारत सरकार से निर्देश अभी नहीं मिला है । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्रीमती वर्षा रानी : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से मा0 सदस्या श्रीमती वर्षा रानी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-45 श्री नन्द कुमार राय

श्री नन्द कुमार राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल का कार्यालय मोतीपुर प्रखंड में पूर्व से चिन्हित स्थल पर निर्माण करावे । ''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल का कार्यालय मोतीपुर स्थानान्तरित करने के सबंध में प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसके अन्य दो सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर एवं जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर हैं, की अनुशंसा एवं प्रासंगिक कागजात उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त, तिरहुंत प्रमंडल से पत्रांक 12622 दिनांक 16.09.16 के द्वारा अनुरोध किया गया है ताकि सरकार के स्तर पर समुचित निर्णय लिया जा सके । इस संबंध में अद्यतन स्मार पत्र 1226 दिनांक 2.1.2017 द्वारा पुनः प्रासंगिक कागजात उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । कागजात उपलब्ध होते ही इस मामल में समुचित विचार किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री नन्द कुमार राय : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से मा0सदस्य श्री नन्द कुमार राय जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-46 श्री गिरिधारी यादव

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्रमांक-47 श्री राजेश कुमार

श्री राजेश कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड के टण्डवा-जपला आर0ई0ओ0 पथ में ग्राम मुनगा के पास होल्या नदी पर पुल निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद नवीनगर प्रखंड के टण्डवा-जपला आर0ई0ओ0 पथ में ग्राम मुनगा के पास होल्या नदी पर पुल नहीं है ।

2. पुल के एक तरफ टण्डवा की ओर से 170 मीटर एप्रोच निजी जमीन पर पड़ता है । पुल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता प्राप्त है । अतः दोहरी संपर्कता का अभी कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, वह पुल जो है, मेरे कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र का 10 पंचायत ऐसा है, जिसकी कोई कनेक्टीविटी नहीं है । मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि इसको विशेष ध्यान देकर इसको जल्द से जल्द कराने का कष्ट करें । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से मा0सदस्यश्री राजेश कुमार जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-48 श्री रामप्रीत पासवान

श्री रामप्रीत पासवानः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के कमला नदी पर भदुआर गांव के समीप जनहित में एक पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय,अभिस्तावित स्थल मधुबनी जिला के कमला नदी पर भदुआर गांव के समीप पुल की लंबाई लगभग 200 मीटर होगी । भदुआर गांव को योजना शीर्ष एम0एन0पी0 से निर्मित पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं दूसरी ओर ओलीपुर गांव है, से

पी0एम0जी0एस0वाई0 से संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री रामप्रीत पासवान : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से मा0सदस्य श्री रामप्रीत पाासवान जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-49 श्री रविन्द्र यादव

श्री रविन्द्र यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के बालिका विद्यापीठ, जिसमें महिला यूनिवर्सिटी के लिये जगह भी पर्याप्त है, बालिका विद्यापीठ को महिला यूनिवर्सिटी बनावे । ''

श्री श्रवण कुमार,संसदीय कार्य मंत्री : महोदय, माननीय मंत्री कौंसिल में हैं ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : ठीक है । अभी इसको स्थगित करते हैं ।

क्रमांक-50 श्री भाई वीरेन्द्र

श्री भाई वीरेन्द्र : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड के मंगरपाल, कित्ता चौहत्तर पूर्वी, मध्य, पश्चिमी, रामपुर एवं स्वरमरवा नदी के तेज कटाव से प्रभावित है, वर्णित स्थल पर जान-माल की सुरक्षा हेतु बोल्डर पीचिंग करावे । ''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंडान्तर्गत स्वरमरवा पंचायत, कित्ता चौहत्तर मध्य पंचायत सोन नदी के दायें किनारे तथा कित्ता चौहत्तर पश्चिमी पूर्वी एवं मंगरपाल पंचायत सोन गंगा संगम स्थल के निम्न प्रवाह में गंगा नदी के दायें किनारे अवस्थित है । सोन नदी से कटाव की प्रवृत्ति नहीं रहने के कारण स्वरमरवा एवं कित्ता चौहत्तर मध्य पंचायत सुरक्षति है । परन्तु 2016 बाढ़ अवधि में सोन नदी में आी अप्रत्याशित बाढ़ के कारण कित्ता चौहत्तर पूर्वी पंचायत के महावीर टोला के निकट पूर्व में कराये गये कटाव निरोधी कार्य 940 मीटर में क्षतिग्रस्त हुआ है । क्षतिग्रस्त भाग को एजेंडा संख्या 137/376 के तहत पुनर्स्थापित कराया जा रहा है, जिसे दिनांक 15.05.2017 तक पूर्ण कराने का कार्यक्रम है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का प्रस्ताव बहुत उत्तम है । लेकिन हम यह जानकारी दे दें कि जो सोन नदी के किनारे स्वरमरवा रामपुर तौफिर दियारा है, वहां भी कहीं-कहीं कटाव लगा हुआ है । इसलिये मेरा आग्रह होगा कि इसकी भी जांच

करवा लें । मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से मा0सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-51 श्री जय वर्द्धन यादव

श्री जय वर्द्धन यादव: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल को रेल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करे । ''

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री : महोदय, पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल को रेल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी । सदन की सहमति से यह स्वीकृत किया जा सकता है ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : प्रश्न यह है कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल को रेल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करे । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जय वर्द्धन यादव : धन्यवाद ।

क्रमांक-52 श्री मनोज कुमार

श्री मनोज कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के गोह एवं हसपुरा बाजार में जनसुविधायुक्त सामुदायिक शौचालय का निर्माण करावे । ''

महोदय, यह ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है ।

सभापति : यह ग्रामीण विकास विभाग को चला जायेगा ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, सामुदायिक शौचालय निर्माण की प्रक्रिया है । ग्राम सभा से, आम सभा से पारित करा कर के सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा ।

सभापति : ठीक है ।

टर्न–19/राजेश/17.3.17

क्रमांकः 53, श्री मो0 आफाक आलम

श्री मो0 आफाक आलमः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियॉ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के सौरा नदी के धनखनियॉ घाट पर स्क्रू पाईल पुल 15 वर्षें से जर्जर है, के स्थान पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि स्क्रू पाईल पुल गरबनैली से सरहा बथना जाने वाली निर्मित पथ पर अवस्थित है । उक्त पुल 15 वर्ष पूर्व सांसद निधि से बना है तथा वर्तमान में वाहन के दबाव के कारण उक्त पुल कमजोर हो गया है लेकिन अभिस्तावित पुल के अप स्टीम में लगभग पॉच किलोमीटर पर एवं डाउन स्टीम में 6 किलोमीटर पर पुल निर्मित है । उक्त पुल के स्थान पर नया आर0सी0सी0 पुल बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 आफाक आलमः सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा कहना है कि वह सिंगल रोड है, उसके अगल–बगल कहीं पुल है नहीं और वह दो प्रखंड मुख्यालय को जोड़ता है, इसलिए हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि हमारे प्रस्ताव ले लेगे, इसी के साथ मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य मो0 आफााक आलम जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 54, श्री राम विशुन सिंह

श्री राम विशुन सिंहः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो प्रखंड में जीतौरा मध्य विद्यालय से गोकुल टोला होते हुए सनयोतार पथ तक कच्ची सड़क का पक्कीकरण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, अभिस्तावित पथ का बसावट जीतौरा मध्य विद्यालय मुख्य पथ पर अवस्थित है। जीतौरा मध्य विद्यालय से गोकुल टोला होते हुए सनयोतार पथ जिसकी लंबाई 2.20 किलोमीटर है तथा गोकुल टोला की आबादी ढ़ाई सौ से अधिक है, जो किसी भी कोरनेट वर्क में शामिल नहीं है, इस पथ को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में शामिल कर निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया जा सकेगा । अतः वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य ।

श्री राम विशुन सिंहः महोदय, अनुरोध है कि बन जाय । मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री राम विशुन सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 55, श्री कुमार सर्वजीत

श्री कुमार सर्वजीत: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत बोध गया प्रखंड के बन्धुऑ गुमटी से करीयातपुर होते हुए पहाड़पुर तक जर्जर सड़क का पुन: निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, यह ट्रान्सफर हो गया है पथ निर्माण विभाग में ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): यह पथ निर्माण विभाग को ट्रान्सफर हो गया है । इसका जवाब माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग दे रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप-मुख्यमंत्री: महोदय, वर्तमान में बोध गया प्रखंड के बन्धुऑ गुमटी से करीयातपुर होते हुए पहाड़पुर तक पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत है । ग्रामीण कार्य विभाग या अन्य विभाग के पथों को पथ निर्माण विभाग के अधिग्रहण हेतु विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका, संकल्प, ज्ञापांक-935 दिनांक 7.2.2017 में निर्धारित मापदंड को पूरा करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु गठित समिति में फिजिबिलिटी रिर्पोट के आधार पर समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जायेगा । समिति के निर्णय एवं निधि की उपलब्धता के बाद ही विभाग में अग्रेत्तर कार्रवाई किया जायेगा । वर्तमान में इस पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव को वापस लीजिये ।

श्री कुमार सर्वजीत: महोदय, पर्यटन के दृष्टिकोण से, इसकी महत्ता को समझते हुए, हम आग्रह करेंगे और इसी के साथ मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-56, श्री अनिल सिंह

श्री अनिल सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लंबित पड़े भूमिहीन सवर्णों के सर्वेक्षण कार्य को पूरा कराकर भूमिहीन सवर्णों के नाम वासगीत जमीन की बंदोवस्ती करावे ।''

डा0 मदन मोहन झा, मंत्री: सभापति महोदय, राज्य के महादलित, अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, पिछड़ा वर्ग के एनेक्सचर-1 एवं पिछड़ा वर्ग एनेक्सचर-2 के वासगीत परिवारों को वास की भूमि उपलब्ध कराने की योजना विभाग स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है।

भूमिहीन एवं गृह विहीन प्रत्येक परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराये जाने की योजना विभाग के स्तर पर विचाराधीन है और सरकार इसमें बहुत ही गंभीर है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपने संकल्प को वापस ले लें ।

श्री अनिल सिंह: सभापति महोदय, सरकार बनने के बाद माननीय मंत्री जी का एक वक्तव्य आया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि भूमिहीन सवर्णों को भी वास जमीन उपलब्ध करायेंगे लेकिन अभी तक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है । महोदय, सवा वर्ष, डेढ़ वर्ष आज इस सरकार को होने को है, तो इस प्रक्रिया को ये अविलंब पूरा करें, क्योंकि बहुत से सवर्ण भूमिहीन हैं, जिनका इंदिरा आवास स्वीकृत हुआ है लेकिन उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोग आज झोपड़ी बनाकर या खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि इस संकल्प को माननीय मंत्री जी मान लें और एक समय सीमा निर्धारित करें कि ये कब तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा कराकर भूमिहीन सवर्णों को भी आप वास हेतु जमीन देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी भी स्थिति एस0सी0/एस0टी0 से बदतर है । इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि वे हमारे संकल्प को मान लें और इसपर कुछ आश्वासन दें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय मंत्री महोदय आपके सुझाव को गंभीरता से लेते हैं, आप माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कीजिये और अपना प्रस्ताव वापस लीजिये, यह विचाराधीन है ।

श्री अनिल सिंह: सभापति जी, माननीय मंत्री जी से इसपर आश्वासन तो दिलवा दिया जाय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय मंत्री जी ने तो कहा है आपको ?

श्री अनिल सिंह: ये आश्वासन तो कम से कम दे दें, मैं तो वापस लूंगा ही ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): इन्होंने तो कहा है कि विभाग में विचाराधीन है ।

श्री अनिल सिंह: महोदय, आश्वासन तो दिलवा दिया जाय, मैं तो वापस लूंगा ही ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): आप बैठ जाइये । आप तो जानकार विधायक हैं, कोई नया हैं नहीं । बैठिये ।

श्री अनिल सिंह: सभापति महोदय, जब आपका आदेश है, तो मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 57, श्री नरेन्द्र कुमार नीरज

(माननीय सदस्य अनुपस्थित) ।

क्रमांक: 58, श्रीमती गुलजार देवी

श्रीमती गुलजार देवी: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत

मधेपुर प्रखंड स्थित बकुआ पंचायत में कोसी नदी की धारा पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पुल पी0एम0जी0एस0वाई फेज-2 में प्रस्तावित पथ भेजालंगड़ा चौक से धरवा जाने वाले पथ में भरगामा एवं बकवॉ के बीच कोशी नदी पर है । पथ एवं पुल का सर्वेक्षण कार्य करा लिया गया है, तदुपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायगी । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्रीमती गुंलजार देवी: सभापति महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती गुलजार देवी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक: 59, श्री अवधेश सिंह</u>

श्री अवधेश सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के हाजीपुर नगर परिषद् कौनहारा घाट से महात्मा गॉधी सेतु के पाया नं0-16 होते हुए विदुपुर प्रखंड के कंचनपुर ग्राम के बीच एक रिंग बॉध का निर्माण करावें ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिला के हाजीपुर नगरपरिषद् कौनहारा घाट से महात्मा गॉधी सेतु के पाया नं0-16 होते हुए विदुपुर प्रखंड के कंचनपुर ग्राम के बीच एक रिंग बॉध का निर्माण तकनीकी एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से संभाव्य नहीं है । उल्लेखनीय है कि महात्मा गॉधी सेतु के नीचे गंगा नदी में कुल 46 अदद स्पैन है, जो नदी का वाटर वे है, नदी में जलस्तर के अनुरुप सेतु के विभिन्न पायों के बीच जल श्राव प्रवाहित होता है । उक्त स्थल के बीच रिंग बॉध बन जाने की स्थिति में 16 स्पैन का वाटर वे ब्लॉक होने से नदी का वाटर वे अत्यन्त सीमित हो जायेगा । फलस्वरुप महात्मा गॉधी सेतु के हाईड्रोलिक पारामीटर यथा अधिकतम जलस्तर गति आदि में परिवर्तन से तकनीकी रुप से सेतु पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ-साथ पटना, सोनपुर आदि शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ना अवश्यंभावी है । उक्त बिन्दु पर गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से छपरा जिलान्तर्गत घाघरा, सोंधी, तेलमाही, गंडक, दाहा नदियों में बैक वाटर फ्लो से सिताबदियारा एवं नदी के आस-पास के क्षेत्रों में जल जमाव होगा तथा जल जमाव आदि की क्षति भी होगी ।

क्रमश:

टर्न-20/सत्येन्द्र/17-3-17

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री(क्रमश:)बाढ़ अवधि में यह समस्या निश्चित रूप से उत्पन्न होगी क्योंकि वर्त्तमान स्थिति में भी गंगा में जलस्तर बढ़ने से उपर्युक्त क्षेत्रों में इस तरह की समस्या विगत वर्षो में देखी जा चुकी है । इस प्रकार कोनहारा घाट से महात्मा गांधी सेतु के पाया संख्या 16 होते हुए विदुपुर प्रखंड के कंचनपुर गांव के बीच

रिंग बांध का निर्माण तकनीकी तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से संभाव्य नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अवधेश सिंहः वापस लेते हैं।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन)ः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

सभापतिः माननीय सदस्यगण, आज के लिए सूचीबद्ध कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक-60 श्री मुजाहिद आलम

श्री मुजाहिद आलमः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अन्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के डेरामारी में पावर सब-स्टेशन का निर्माण करावें ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय,कोचाधामन प्रखंड में वर्त्तमान में तीन अदद विद्युत उपकेन्द्र है। सराय 2X5 एम0भी0ए0, विशनपुर 2X3.5 एम0भी0ए0, मधवाहाट 2X10 एम0भी0ए0 से विद्युत आपूर्त्ति की जा रही है । सराय विद्युत उप केन्द्र से डेरामारी की दूरी लगभग 15 कि0मी0 है । डेरामारी में 10 कि0मी0 की दूरी पर स्थित बहापुर प्रखंड अन्तर्गत अलकावारी में एक विद्युत उपकेन्द्र स्थापना का स्वीकृत है प्रस्ताव, जो दिसम्बर, 2018 में निर्धारित है इसका लक्ष्य पूरा करने का । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री मुजाहिद आलमः जी वापस लेता हूॅ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन)ः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-61श्रीमती सुनीता सिंह चौहान

(मा0स0 अनुपस्थित)

क्रमांक- 62 श्री नीरज कुमार

श्री नीरज कुमारः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड के काढ़ागोला घाट के गंगा नदी पर सड़क एवं पुल का निर्माण करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उपमुख्यमंत्रीः महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड के फुलवरिया से काढ़ागोला घाट पथ की लम्बाई 13 कि0मी0 है, के चौड़ीकरण का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन केन्द्र सड़क निधि सी0आर0एफ0 से स्वीकृत हेतु भारत सरकार को भेजा गया है । स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कराया जायेगा । काढ़ागोला घाट पर गंगा नदी में पुल निर्माण

का प्रस्ताव तत्काल विभाग में विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री नीरज कुमारः हम तो वापस लेंगे ही महोदय लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वहां गंगा का धारा, कहा जाय चौड़ाई बहुत कम है, कम लागत में गंगा में ब्रीज बन सकता है तो कृपा होगी उनकी उसे भविष्य में देखा जाय । हम संकल्प वापस लेते हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन)ः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-63 श्री प्रमोद कुमार

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) ये अधिकृत किये है श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी को ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी पकड़ी दयाल स्थित पी0डब्लू0डी0 सड़क के बगल में सुहागमन नदी के निकट सिरसा शिवमंदिर गढ़ी स्थान पर श्मशान की खतियानी जमीन पर विद्युत शवदाहगृह का निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः काउन्सिल में गये हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) इसको स्थगित करता हूॅ ।

क्रमांक-64 श्री सरोज यादव

श्री सरोज यादवः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के बड़हरा विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत बहुद्देशीय पेयजल परियोजना, जिसकी कुल लागत 01 अरब 39 करोड़ है तथा योजना का डी0पी0आर0 तैयार है, का कार्य प्रारम्भ करावे ।''

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजपुर जिला के अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित नेकनाम टोला एवं अन्य निकटवर्त्ती 70 टोलों में सतही जल के उपयोग से पाईप जलापूर्त्ति योजना के निर्माण हेतु 138 करोड़ 29 लाख 40 हजार मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक 621011/2011-2664 दिनांक 1-2-12 द्वारा दी गयी है । इस योजना से 18 अदद पंचायतों के 70 अदद आर्सेनिक प्रभावित टोलों में रहने वाली 2 लाख 18 हजार जनसंख्या लाभान्वित होगी इस योजना के लिए आवश्यक भूमि के भू-अर्जन के नयी भू-अर्जन नीति 2014 के अनुसार बड़हरा प्रखंड के बड़हरा अंचल के बड़हरा ग्राम में 20.81 भूमि का अधियाचना प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 68 दिनांक 9-15 द्वारा जिला पदाधिकारी को समर्पित किया गया था । समाहर्त्ता, भोजपुर के पत्रांक 46 दिनांक 2-2-15 द्वारा उक्त कार्य हेतु

नयी भू–अर्जन नीति 2014 के अन्तर्गत राजस्व एवं कृषि पदाधिकारी एवं अधियाची निकाय के पदाधिकारी को सम्मिलित करते हुए भू–अर्जन की धारा 10 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के संबंध में प्रतिवेदन देने हेतु एक जांच दल का गठन किया गया है । जांच दल के पत्रांक 617 दिनांक 26–3–15 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कृषक अपनी जमीन देने में असहमत हैं तत्पश्चात् समाहर्त्ता भोजपुर से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला भू–अर्जन पदा0 द्वारा उनके पत्रांक 265 दिनांक 22–6–15 के माध्यम से भूमि अधिग्रहण का संशोधित अधियाचना प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 1039 दिनांक 8–6–16 तथा 1310 दिनांक 25–7–16 द्वारा अपर समाहर्त्ता, भोजपुर से भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। अपर समाहर्ता, आरा अपने पत्रांक 267 दिनांक 21–2–17 द्वारा अंचलाधिकारी, बड़हरा को उक्त योजना हेतु अधिग्रहण करने की जाने वाली भूमि को चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके फलस्वरूप अंचलाधिकारी, बड़हरा भोजपुर द्वारा पत्रांक 243 बड़हरा दिनांक 23–2–17 द्वारा बहुगामी जलापूर्त्ति योजना के निर्माण हेतु गंगा तट पर जल शुद्धिकरण हेतु पंचायत सेमरिया पररिया में 26 एकड़ भूमि का..

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) माननीय मंत्री, संक्षेपण का सहारा लीजिये । ये महाभारत सुनाने से समस्या का निदान होगा। जैसा क्वेश्चन उसी रूप में इशारे से समस्याओं को, तथ्यों को रखते हुए आप अपनी सहमति व्यक्त कीजिये ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: हम इसके तथ्य से वाकिफ कराना चाहते थे । चिन्हित भूमि के अधिग्रहण के साथ रिभाईन्ड डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है । भूमि अधिग्रहण होने के उपरांत एवं रिभाईन्ड डी0पी0आर0 के आलोक में योजना का कार्य प्रारम्भ करने की कार्रवाई की जायेगी इसलिए हम माननीय सदस्य गुजारिश करेंगे कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

टर्न–21/मधुप/17.03.2017

श्री सरोज यादव : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र का जो पानी है इतना दूषित हो गया है कि लोगों को पीने में काफी कठिनाई हो रही है और तरह–तरह की बीमारी हो रही है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सरोज जी, प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सरोज यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ मगर आग्रह करूँगा माननीय मंत्री जी से कि इस महत्वपूर्ण योजना को चालू करायें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

पीछे क्रम सं0 39 का संकल्प बाकी रह गया था, श्री राम बालक सिंह का । इन्होंने इसके लिये राज कुमार राय जी को अधिकृत किया था । माननीय मंत्री, श्रम संसाधन ।

क्रमांक- 39 : श्री राम बालक सिंह

श्री विजय प्रकाश, मंत्री : महोदय, राज्य सरकार के सात निश्चय के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रत्येक अनाच्छादित अनुमंडल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्णय लिया गया है । समस्तीपुर जिला के सभी अनुमंडलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये चिन्हित भूमि का निम्नवत विवरण है ।

ऐसे भी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिये जिला में एक ही प्रस्तावित है सरकार के माध्यम से । इसलिये माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य श्री राज कुमार राय जी, कृपया प्रस्ताव वापस लें ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-65 : श्री प्रकाश राय

श्री प्रकाश राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत पी0सी0सी0 सड़क निर्माण, मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग कार्य, नाला एवं पुलिया निर्माण कार्य तथा सरकारी पुराने भवनों की मरम्मति कार्य योजना सूची में शामिल करावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, मुख्यमंत्री के सात निश्चय के तहत सड़क, गली एवं नाली निर्माण, नाला एवं पुलिया निर्माण कराये जाने का प्रावधान किया गया है। योजनाओं का दोहरीकरण न हो इसे ध्यान में रखते हुये मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की अनुशंसा अनुमान्य योजनाओं की सूची में इन्हें शामिल नहीं किया गया है । मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत किसी प्रकार के चल-अचल परिसम्पत्ति की मरम्मति एवं अनुरक्षण योजना का कार्यान्वयन प्रतिबंधित है । वर्त्तमान में इस प्रकार की योजनाओं को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत क्रियान्वित कराये जाने वाले मार्गदर्शिका की अनुमान्य योजनाओं की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री प्रकाश राय : महाशय, यह पूरे सदन की बात है । हम सभी विधायक क्षेत्र में जब जाते हैं, हमारे ही क्षेत्र में पिछले डेढ़ साल में अभी तक एक ईंच रोड नहीं बना गाँव में, निश्चय

में तो है लेकिन बना नहीं । यह पूरे सदन की बात है कि हमलोग विधायक जब जाते हैं तो हमलोगों से पुलिया, सड़क, पी0सी0सी0 की मॉग होती है तो हमलोगों को बड़ी दिक्कत होती है इसलिये मैं पुनः राज्य सरकार से चाहूँगा मंत्री महोदय से कि इसपर विचार करके विधायकों की यह जो मॉग है, उसको स्वीकार करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आपका संकल्प बड़ा ही मधुर है, लुभावना भी है लेकिन जितना सहयोगी रूप में आप मंत्री से पेश आइयेगा, समझते हैं कि इसका रिजल्ट उत्तम होगा । कृपया प्रस्ताव वापस लें ।

श्री प्रकाश राय : वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-66 : श्री महबूब आलम

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के शिकारपुर, शिवानंदपुर, नलसर, हरनारोई, चापाखोड़, धरमपुर, आबादपुर, लगुआ, बेलुआ, दासग्राम, बांसगॉव, भवानीपुर पंचायतों को मिलाकर आबादपुर प्रखंड का गठन करे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत आबादपुर को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विभाग को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । आबादपुर को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, कटिहार को निर्देशित किया गया है । पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री महबूब आलम : महोदय, कटिहार जिला में आबादपुर क्षेत्र जो अल्पसंख्यक 80 प्रतिशत बहुल आबादी का है, गरीबी का इलाका है और महानंदा नदी नालों से घिरा हुआ है । कटिहार जिला में इससे कम आबादी का क्षेत्र मनसाही, डनखोरा, हसनगंज जैसे क्षेत्र को प्रखंड का दर्जा दे दिया गया है । इसलिये मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूँगा कि जल्दी पहल करके प्रखंड का दर्जा दे दिया जाय । इस आग्रह के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-67 : श्री प्रभुनाथ प्रसाद

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के अगियाँव प्रखंड अन्तर्गत पंचायत डिलियाँ के ग्राम डिलियाँ में आरा-राजवाहा (बड़ी नहर) में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : जल संसाधन विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : यह जल संसाधन विभाग को ट्रांस्फर हुआ, बाद में आयेगा ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : स्वयं समझदार हैं । सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-68 : श्री सुनील कुमार (क्षेत्र सं0 28)

श्री सुनील कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सीतामढ़ी शहर एवं डुमरा नगर पंचायत स्थित लखनदेई नदी की धारा को स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर घर बना लिये जाने से नदी की धारा बंद हो गयी है, उक्त नदी की धारा को अतिक्रमणमुक्त करावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, इसका जवाब तो हम दे देते हैं लेकिन इसके बाद मेरा एक आग्रह है कि क्रम सं0 67 पर माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ प्रसाद जी का जो संकल्प था, यह संकल्प तो ट्रांसफर होता नहीं है । माननीय सदस्य ने वापस ले लिया है लेकिन इसके बाद इसकी अनुमति दे दीजिये कि उसके बारे में भी जो कहना है, वह कह दें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : ठीक है ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : क्रम सं0 68 के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि नेपाल में करीब 35 वर्ष पूर्व हुये भयंकर भूस्खलन के दौरान भारत-नेपाल सीमा से लगभग 8 कि0मी0 अप-स्ट्रीम में लखनदेई नदी के मुहाने पर काफी मात्रा में मिट्टी जमा हो जाने के कारण नदी की मूल धारा में जल प्रवाह बंद हो गया था एवं नदी एक दूसरे मार्ग से प्रवाहित होने लगी । उक्त स्थिति में लखनदेई नदी की पुरानी धारा जो सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सीतामढ़ी शहर एवं डुमरा नगर पंचायत से होकर गुजरती थी, कालांतर में मृत हो गई ।

जल प्रवाह बंद होने के चलते स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करा लिया गया है । उक्त अतिक्रमण को जिला प्रशासन के सहयोग से

अतिक्रमणमुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुनील कुमार : माननीय सभापति महोदय, सीतमाढ़ी माता सीता की जन्मभूमि है और सीतामढ़ी शहर के बीचोबीच लक्ष्मणा नदी प्रवाहित होती थी, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में भी कहा, 20-25 वर्षों पूर्व बंद हो गया है । नदी की धारा बंद हो गई और शहर की सारी नालियाँ नदी में प्रवाहित कर दी गईं और अब नदी के दोनों तरफ शहर के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, नदी की धारा में ही मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, नदी की धारा को अतिक्रमित कर रहे हैं । सीतामढ़ी का जो ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है, उसके हिसाब से नदी की धारा को पुनर्जीवित करना भी बहुत जरूरी है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार जी, सीता माँ का वहाँ जन्म स्थान है, वहाँ के लोगों को स्वयं डर-भय नहीं है भगवानों से भी, तो उनका तो माँ-बाप क्या होगा, आप ही समझ लो । आपने प्रस्ताव पेश किया, मंत्री ने जवाब दिया, इस आशय के साथ आप वापस ले लीजिये ।

श्री सुनील कुमार : मंत्री महोदय के आश्वासन के आलोक में मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ प्रसाद जी वाला जवाब दे देने दीजिये । माननीय सदस्य संकल्प तो वापस ले लिये थे लेकिन हम जवाब दे देते हैं कि जो नहर है, नहर पर कोई पुल का या नदी पर पुल का निर्माण जल संसाधन विभाग नहीं करता है । पुल का निर्माण या तो पथ निर्माण विभाग करता है या ग्रामीण कार्य विभाग करता है जिसका दोनों तरफ सड़क होता है उस सड़क के कनेक्टिविटी के लिये।

माननीय सदस्य ने प्रस्ताव वापस ले लिया है पूर्व में ही, लेकिन मैंने वस्तुस्थिति आपको बताई ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये, अंग्रेजों के जमाने में और बाद में भी कई नहरों पर सिंचाई विभाग ने पुल बनाया है, बनता है । खैर अपने सुधार के लिये इसका उदाहरण हम दे देंगे । प्रभुनाथ प्रसाद जी का यह प्रस्ताव वापस हो गया है ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : हुजूर, वह जो पुल बनता है, वह पतला वाला पुल बनता है जो नहर के इस पार से उस पार जाने के लिये पैदल पुल ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : पुल और पुला का फर्क हो सकता है ।

टर्न–22/आजाद/17.03.2017

क्रमांक–69 : श्री अचमित ऋषिदेव

श्री अचमित ऋषिदेव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :–

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के चरैया हाट में एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा स्थापित करावे । ''

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : महोदय, जनगणना 2011 के अनुसार प्रश्नगत ग्राम की जनसंख्या 3559 है । ग्राम चरैया हाट ग्राम पंचायत खुटहा बैजनाथपुर में है । ग्राम चिरैया हाट की जनसंख्या 3559 है जबकि खुटहा पंचायत की जनसंख्या 9595 है । ग्राम चिरैया हाट और ग्राम पंचायत खुटहा पंचायत में कोई भी बैंक अवस्थित नहीं है । उत्तर बिहार, ग्रामीण बैंक की शाखा वीरनगर से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो रही है । वीरनगर की दूरी 7 कि0मी0 है । ग्राम में भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की तीन ग्राहक सेवा केन्द्र, बैंक मित्र कार्यरत हैं । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये 5हजार से ऊपर की आबादी वाले शाखाविहिन गांवों में कुल 1640 ब्रिक एवं मोर्टार शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अब तक दिसम्बर,2016 तक मात्र 114 शाखायें खोली गई है, जो लक्ष्य का मात्र 6.95 प्रतिशत है । राज्य में करीब 17हजार की संख्या पर एक बैंक शाखा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 11हजार की जनसंख्या पर एक बैंक शाखा है । 4 जनवरी, 2017 को केन्द्रीय वित्त मंत्री के द्वारा राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलायी गयी थी, जिसमें बैंक की समुचित शाखा खोलने के लिये मेरे द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री को प्रस्ताव दिया गया था, उनसे अनुरोध किया गया था कि बिहार में बैंक शाखा खोलने के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास अपने स्तर पर भी किया जाय । साथ ही मेरे द्वारा अलग से वित्त मंत्री, भारत सरकार को पत्र लिखा गया । दिनांक 17.2.2017 को एस0एल0बी0सी0 की 59वीं बैठक में भी इस विषय को उठाया गया । सरकार पूरी कोशिश में है कि बिहार राज्य में बैंक की शाखायें बढ़े ताकि ग्रामीण इलाकें में लोगों को बैंकिंग की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके ।

प्रश्नगत ग्राम चिरैया हाट में बैंक की शाखा खोलने के संबंध में अगले एस0एल0बी0सी0 की बैठक में प्रसताव रखा जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : ऋषिदेव जी, कृपया वापस लीजिये ।

श्री अचमित ऋषिदेव : सभापति महोदय, सरकार के प्रति पूर्ण विश्वास है, इसलिए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-70 : श्री मनीष कुमार

श्री मनीष कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के निजी क्लिनिक में होने वाली चिकित्सा में परामर्श शुल्क एवं जॉच शुल्क इत्यादि की राशि निर्धारित करे । ''

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : महोदय, राज्य के निजी क्लिनिक में होने वाली चिकित्सा में परामर्श शुल्क एवं जॉच शुल्क नियंत्रण करने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा श्री के0पी0 सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । समिति द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार एवं झारखंड सरकार से वहां लागू किये गये सूची को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । साथ ही पी0एम0सी0एच0 एवं कुछ निजी अस्पतालों से भी शुल्क सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मनीष कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी का बहुत सकारात्मक जवाब है, बहुत अच्छा पहल है, इसलिए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए, खासकर के ट्रेजरी बेंच के लिये, इस गैर-सरकारी संकल्प को साधारण नहीं लें । यहां मेम्बर जिनके सवाल का आदान-प्रदान हो जाता है, वे चुपचाप निकल जा रहे हैं । कब वोटिंग हो जाय, किसी को पता नहीं , कृपया सावधानी बरतें । महिला शाखा तो एकदम नदारद है दो-चार को छोड़कर । इसको अदरवाईज मत लीजियेगा, जिसका-जिसका हो गया है, रास्ता नाप लिये । यह कौन संसदीय प्रणाली है, मैं आपलोगों से आग्रह करता हूँ ।

क्रमांक-71 : श्री रामचन्द्र सहनी

श्री रामचन्द्र सहनी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के प्रखंड-सुगौली अन्तर्गत बेलवतिया-श्यामपुर, प्रधानमंत्री पथ में शीतलपुर हरिजन बस्ती के आगे ध्वस्त लचका के स्थान पर नये पुल का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल पर 30 मीटर लम्बे पुल की आवश्यकता है । जिसका पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत सर्वे किया जा चुका है । स्वीकृति उपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया वापस लीजिये, आपका तो पोजेटिव ही है ।

श्री रामचन्द्र सहनी : महोदय, वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-72 : श्री यदुवंश कुमार यादव

श्री यदुवंश कुमार यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कोशी बराज के दोनों सुरक्षा तटबंधों के नीचे कोशी नदी पर निर्मित सभी महासेतु के सुरक्षा तटबंधों को समानांतर एक दूसरे से जोड़कर नदी तल की सफाई करावे । ''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : सभापति महोदय, कोशी नदी की सतत् परिवर्तनशीलता के मद्देनजर पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी तटबंध के बीच प्रश्नगत कार्य का निर्माण तकनीकी रूप से संभाग नहीं है । कोशी बराज के अपस्ट्रीम में कि0मी0 27.88, स्पर से कि0मी0 24.78 स्पर तक के सामने 4 कि0मी0 लम्बाई में कोशी बराज के 500मीटर डाऊन स्ट्रीम में 3 कि0मी0 लम्बाई में, कोशी बराज से 4 कि0मी0 डाऊन स्ट्रीम में 17 कि0मी0 लम्बाई में तथा कोशी महासेतु के डाऊन स्ट्रीम में 4.60 कि0मी0 लम्बाई में चैनल का सक्रियकरण एवं मेनटेनेन्स ड्रेजिंग कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इसके अतिरिक्त कोशी महासेतु के नीचे 2.80 कि0मी0 में पूर्व निर्मित्त चैनल के सक्रियकरण कार्य की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : सभापति महोदय, कोशी का जो दोनों तटबंध है, वह 7 कि0मी0 से 27 कि0मी0 के चौड़ाई में है । 7 जिला से गुजरती है और लाखों लोग उस बीच में बसे हुये हैं हजारों गांवों में । जो चौड़ाई है, नदी का अब तो कई महासेतु का निर्माण हो चुका है और जिसका गाईड बॉध है, समानान्तर अगर इसको जोड़कर के नदी तल की सफाई करा दी जाय तो इस इलाके में बसे हुये हजारों लोगों को सुविधा होगी । सभापति महोदय, यह राज्य सरकार से संभव भी नहीं है, इसलिए मैं .....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, समय का ख्याल रखिये ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको पारित करके केन्द्र सरकार को भेज दिया जाय ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : नहीं, माननीय सदस्य, कृपया वापस ले लीजिए ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : सभापति महोदय, इसको केन्द्र को पारित करके भेज दीजिये ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : इसको वापस लीजिये ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, यह प्रस्ताव पारित करके केन्द्र को भेज दिया जाय हुजूर ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : यह भी वापस होता है, कृपया आप सहयोग कीजिए ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह वापस हुआ ।

यदुवंश बाबू, माननीय सदस्यों को जानकारी के लिये बैठ जाईए, पहले बैठ जाईए ।

वाकई में यह कोशी नदी बड़ी ही खुराफाती नदी है । क्या करे सरकार, इधर बनाये तो यूं भागे, उधर बनाये तो यूं भागे । सरकार लगातार प्रयास कर रही है । लेकिन मुकाबला प्रकृति का है, ईश्वर मालिक है । अब बैठ जाईए ।

टर्न-23/अंजनी/दि0 17.03.2017

क्रमांक-73,श्री सत्यदेव सिंह

(अनुपस्थित)

क्रमांक-74, श्री बशिष्ठ सिंह

श्री बशिष्ठ सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला में प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रोहतास जिला के करगहर प्रखंड में करावे ।"

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, सासाराम जिला में शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम की स्थापना हेतु पूर्व में चयनित भूमि शिवसागर अंचल के मौजा करूप थाना संख्या-361, खाता संख्या-229, खेसरा संख्या-2043, 2044 एवं 2046, कुल संख्या 10.26 एकड़ केसरेहिन्द किस्म पुरानी परती भूमि का नि:शुल्क हस्तांतरण विभाग को किया गया है । शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम के स्थापना हेतु समाहर्त्ता के द्वारा वैक्लिपक भूमि चिंहित कर विभाग को संसूचित किया गया है । भूमि की विवरणी निम्नवत् है- प्रखंड करगहर, मौजा-सिवंत, थाना संख्या-78, संख्या 382, खेसरा संख्या-2014, 2218, 2216, 1875, 1873 एवं रकवा 11.25 एकड़ किस्म जमीन पैन रैयत अनावाद बिहार सरकार उपरोक्त वैक्लिपक भूमि के संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लेकर इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जायेगी, अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री वशिष्ठ सिंह: सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-75, श्री विजय कुमार खेमका

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियां जिला में एम्स की शाखा खोलने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।"

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : महोदय, राज्य में दूसरे एम्स की स्थापना के लिए जिला का चयन करने के संबंध में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारत सरकार के द्वारा चयनित जिले में आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी । इस आलोक में जिले का चयन कर सूचित करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है । भारत सरकार से अभी निर्देश नहीं मिला है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): आप जो चाहते हैं, वह हो चुका है । सरकार प्रत्याशा में बैठी हुई है ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, यह उत्तर-पूरब का क्षेत्र है पूर्णियां प्रमंडल और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने बिहार को एक अलग से एम्स दिया है । हमारे मंत्री युवा हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने कहा है कि जहां जगह है, हम एम्स के सिफारिश के लिए तैयार हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : आपका प्रस्ताव गया है, प्रत्याशा में है, वहां से जैसे ही आयेगा, उसको किया जायेगा । आप भी मेहनत कीजिए और संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

आपने एक और आपत्तिजनक बात कह दी कि मंत्री जी युवा हैं तो क्या आप उनको बूढ़ा समझते हैं ?

श्री विजय कुमार खेमका : जी नहीं, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा था और इस कार्य के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ ।

क्रमांक-76,श्री बृज किशोर बिन्द

(अनुपस्थित)

क्रमांक-77, डॉ0 राजेश कुमार

श्री राजेश कुमार: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण एन0एच028 दुबोली बांध (खुजरिया) से पकड़ी डुमरिया होते हुए संग्रामपुर को जाने वाली कच्ची सड़क का पक्कीकरण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 12.8 किलोमीटर है, जो एन0एच0 28 से शुरू होकर दुबोली खुजरिया बांध पकड़ी डुमरिया होते हुए संग्रामपुर एस0एच0 को जोड़ती है । एन0एच0 28 से दुबोली बांध की दूरी 1.8 किलोमीटर है जो पक्की है, शेष 11 किलोमीटर सिंचाई विभाग के बांध से होकर गुजरती है जो किसी भी कोरनेट वर्क में सम्मिलित नहीं है । अभिस्तावित पथ में अंकित बसावट पकड़ी डुमरिया से लगभग 350 मीटर की दूरी पर एस0एच0 74 गुजरती है, संग्रामपुर एस0एच0 के किनारे अवस्थित है । अभिस्तावित पथ के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजेश कुमार : सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-78,श्री शकील अहमद खाँ

सभापति(मो0 इलियास हुसैन): मा0 सदस्य मो0 आफाक आलम को प्राधिकृत किया गया है ।

श्री मो0 आफाक आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के सचिवालय स्थित सभी विभागों, सभी प्रमंडलीय कार्यालयों, सभी समाहरणालयों, सभी अनुमंडल कार्यालयों, सभी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों, सभी आरक्षी कार्यालयों, सभी थानों, सभी निबंधन कार्यालयों एवं सभी जिला शिक्षा कार्यालयों में उर्दू भाषा के अनुवादक, लिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति राजभाषा (उर्दू) निदेशालय से करावे।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन है। वर्त्तमान में 27 जिला 50 अनुमंडल एवं 388 प्रखंडों में उर्दू अनुवादक के कुल 314 पद, सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 449 पद, उच्चवर्गीय और निम्नवर्गीय लिपिक उर्दू-हिन्दी टंकक के कुल 471 पद सृजित हैं । शेष जिलों में समाहरणालयों में, अनुमंडलों में, प्रखंड कार्यालयों में, विभाग आदि में पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि तत्काल अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 आफाक आलम : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-79, श्रीमती बेबी कुमारी

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुशहरी प्रखंड को पुनर्गठित करते हुए मुशहरी प्रखंड के 7 पंचायतों झपहा, जमालाबाद, भीखनपुर, शेखपुर, अब्दुलनगर उर्फ माधोपुर, बड़ा जगन्नाथ एवं शहबाजपुर को सम्मिलित करते हुए भीखनपुर प्रखंड का गठन करे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत भीखनपुर को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । भीखनपुर को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निर्देशित किया गया है । पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती बेबी कुमारी : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-80, श्री अनिल कुमार यादव

श्री अनिल कुमार यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के खजुरी पंचायत में बिननिया धार के गोढ़ियारी घाट पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल से एक तरफ एम0एन0जी0एस0वाई0 अंतर्गत सुकैला पेट्रोल पंप से खजुरी मिल तक पथ निर्माणाधीन है तथा दूसरी तरफ जी0टी0एस0एन0वाई0 अंतर्गत टी-02 से खजुरी मिल्कवाद 6 पथ शामिल है । इस प्रकार इन दोनों पथों के निर्माण से उक्त पुल स्थल के दोनों ओर से बसावटों को सम्पर्कता प्राप्त हो जायेगी । उक्त पुल स्थल से अपस्ट्रीम में लगभग दो किलोमीटर तक पुल निर्मित है । अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अनिल कुमार यादव : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-24/शंभु/17.03.17

क्रमांक-81 श्री राजीव कुमार ऊर्फ मुन्ना यादव

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजप्फरपुर जिला के मीनापुर विधान सभा अंतर्गत अमर शहीद जुब्बा सहनी के जन्मस्थली चैनपुर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करावे।''

श्रीमती अनीता देवी,मंत्री : महोदय, बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए विभाग द्वारा एक पर्यटन रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तद्नुसार चरणबद्ध तरीके से निधि की उपलब्धता के आधार पर पर्यटकीय मापदंडों को पूरा करनेवाले विभिन्न स्थलों को विकसित किया जायेगा। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री राजीव कुमार ऊर्फ मुन्ना यादव : सभापति महोदय, एक तो कटौती किया गया हमारे प्रस्ताव में 1942 भागलपुर सेंट्रल जेल में जुब्बा सहनी जी को फांसी दिया गया।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : मालूम है।

श्री राजीव कुमार ऊर्फ मुन्ना यादव : अभी तक हमारे देश में उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। मेरा आग्रह होगा कि सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से.....

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : शहादत का दर्जा केन्द्र से मिलता है यहां से नहीं न मिलता है?

श्री राजीव कुमार ऊर्फ मुन्ना यादव : यहां से प्रस्ताव भेजा जायेगा।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : ठीक है, वह अलग विषय हो गया। अभी आप इसको वापस लीजिए, प्लीज।

श्री राजीव कुमार ऊर्फ मुन्ना यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : ठीक है, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-82 श्रीमती गायत्री देवी

श्रीमती गायत्री देवी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अन्तर्गत खैरवा से भॉसर जाने वाली पथ के बीच बहने वाली अधवारा नदी पर पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल भॉसर से खैरवा जानेवाली कच्ची सड़क पर अवस्थित है। अधवारा नदी के एक तरफ भॉसर गांव है जिसको पी0एम0जी0एस0वाइ0 पथ से संपर्कता प्राप्त है, दूसरी तरफ खैरवा गांव है जिसको आर0सी0डी0 पथ से संपर्कता प्राप्त है। इस कारण इस पथ को किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस स्थल के अपस्ट्रीम में 4 कि0मी0 पर तथा डाउन स्ट्रीम में ढाई

कि0मी0 पर पुल पूर्व से निर्मित है। अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अधवारा नदी में जब बाढ़ आती है उस समय आवागमन बंद हो जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि पुल थोड़ा बना तो दें और गरीबों के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है, आवागमन बंद रहता है।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय मंत्री ने आपके दर्द को सुना, समझा फिलहाल अपनी असमर्थता जाहिर की है। जिस समय कार्य होने लायक रहेगा.....

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, जब बाढ़ आती है उस समय बड़ा कष्ट होता है।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : मैं आपके दर्द को समझता हूँ, माननीय मंत्री से भी आग्रह करता हूँ।

श्रीमती गायत्री देवी : मंत्री जी से मैं आग्रह करती हूँ कि कृपया इसको बनवा दें।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : आप प्रस्ताव वापस लेती हैं ?

श्रीमती गायत्री देवी : वापस लेती हूँ, लेकिन मंत्री जी से कहती हूँ कि बनवा तो दें।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-83 श्री मदन मोहन तिवारी

श्री मदन मोहन तिवारी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प0 चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया प्रखंड के पीपरा पकड़ी पंचायत के रानी पकड़ी सोनारपट्टी के समीप कोहड़ा नदी में पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल ग्रामीण कार्य विभाग के पथ के रेखांकन पर नहीं है। प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री मदन मोहन तिवारी : जी वापस लेता हूँ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-84 श्री लाल बाबू राम

श्री लाल बाबू राम : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा प्रदान करे।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0-532, दिनांक 07.04.16 के द्वारा मंत्रियों के समूह का पुनर्गठन उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। जिसके सदस्य मंत्री, जल संसाधन विभाग, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हैं। प्रस्तुत गैर सरकारी संकल्प पुनर्गठित मंत्रियों के समूह के समकक्ष विचारण हेतु रखने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को प्रेषित किया गया है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि फिलहाल वे अपने प्रस्ताव को वापस लें।

श्री लाल बाबू राम : वापस लेता हूँ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-85 श्री आनंद शंकर सिंह

श्री आनंद शंकर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव प्रखंड अवस्थित प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के प्रांगण में चैत्र एवं कार्तिक मास में लगने वाले सुप्रसिद्ध छठ मेले को राजकीय मेला घोषित करे।''

डा0 मदन मोहन झा,मंत्री : बिहार राज्य मेला प्राधिकार, 2008 की धारा (3) के उपधारा (5) में निहित प्रावधान के तहत राज्य सरकार प्राधिकार की अनुशंसा तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का आकलन करते हुए किसी अन्य मेलों को जो प्राधिकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है, प्राधिकार के प्रबंधन में लाने के लिए अधिसूचित कर सकती है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद की अनुशंसा प्राप्त है। वर्तमान में मेला प्राधिकार गठित नहीं हैं। मेला प्राधिकार के गठन के पश्चात् जिला पदाधिकारी औरंगाबाद से प्राप्त प्रस्ताव देव सूर्य कुण्ड मंदिर एवं सूर्य कुण्ड के पौराणिक एवं ऐतिहासिक मान्यताओं कार्तिक छठ मेला के अवसर पर अपार भीड़ एवं श्रद्धालुओं के आगमन एवं देव मंदिर को राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर लाने हेतु देव कार्तिक छठ मेला को राजकीय मेला घोषित करने की कृपा की जाय, को मेला प्राधिकार के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा। माननीय सदस्य से अनुरोध कर रहे हैं कि इनके प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। अतः अपना प्रस्ताव अभी वापस ले लें।

श्री आनंद शंकर सिंह : जी धन्यवाद। वापस लेता हूं।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-86 श्री सूबेदार दास

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य सुबेदार दास जी थोड़ा रूक जाइये, माननीय मंत्री परिषद् में गये हैं, आते हैं तो आपको कॉल कर लेंगे।

श्री सूबेदार दास : ठीक है।

क्रमांक-87 श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखंड में तोल, ढेंगो, नाउर, केरका पंचायतों के लिए जिसकी आबादी लगभग 35000 है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हेतु तोल में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करावे।''

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि तोल से 2 कि0मी0 दूर नवीनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रेफरल अस्पताल कार्यरत है एवं ढेंगो में भी स्वास्थ्य उप केन्द्र कार्यरत है, जहां से जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है। वर्तमान में ग्राम तोल में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना नहीं है। अत: माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लीजिए कृपया।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : जी वापस लिया।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-88 श्री रामसेवक सिंह

श्री रामसेवक सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज बरवा कपरपुरा के पास मीरगंज भागीपट्टी समऊर पी0डब्लू0डी0 पथ पर स्थित सेतु विगत कई वर्ष पहले टूट चुकी है, का यथाशीघ्र पुनर्निर्माण करावे।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, गोपालगंज जिला में मीरगंज, भागीपट्टी, समऊर पथ की कुल लंबाई 37.70 कि0मी0 है। इस पथ का 27 कि0मी0 पथांश इन्टरमीडियेट लेन एवं शेष 10.70 कि0मी0 डबल लेन है। पथ संधारण हेतु ओ0पी0आर0एम0सी0 के पैकेज सं0-37 में शामिल है। इस पथ के 2 कि0मी0 में ग्राम पंचायत राज बरूआ, कपरपुरा में एक पुलिया पूर्व से निर्मित है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है एवं पुलिया पर पथ का कैरेज वे मात्र 4 मीटर है। पथ में पुलिया के उपर आवागमन चालू है। क्रमश:

टर्न-25/अशोक/17.03.2017

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : क्रमश: इस स्थल पर एक अदद 10 मीटर कैरजवे का Box Culvert के निर्माण हेतु OPRMC के Provisional Sum की

राशि से कार्यपालक अभियंता से प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं, मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग द्वारा उसकी स्वीकृति प्रदान कर जून के पूर्व पुलिया का निर्माण कराने का लक्ष्य है । अतः मानीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री रामसेवक सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-89- सुश्री पूनम कुमारी

सुश्री पूनम कुमारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के फलका प्रखंड के बरण्डी नदी के कमला घाट पर पुल का निर्माण करावे।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के डाऊन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम क्रमशः 5 कि.मी. एवं 7 कि.मी. पर निर्मित पुल है । अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्य के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

सुश्री पूनम कुमारी :माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करती हूँ कि अगर वह पुल बन जाते तो वहां के करीब दस पंचायतों का आवागमन में, प्रखण्ड के आवागमन में काफी सुविधा होगी इसलिए मैं आग्रह करती हूं कि उसको अपने स्तर से बनाने की कृपा करे और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

आपकी जानकारी के लिए माननीय सदस्य श्री रामसेवक सिंह जी भागीपट्टी समऊर रोड पर ही आपका कंस्टीच्यूऐंसी है क्या ? भागीपट्टी समऊर जो आपने ये संकल्प लाया है इस रोड के अगल-बगल ही आपकी कंस्टीच्यूऐंसी है क्या ?

श्री राम सेवक सिंह : जी, जी । उसी में है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : भागीपट्टी समऊर तक हमारा दौरा हुआ था, बीच का सारा पुल और रोड बनाये थे, एतिहासिक रोड हैं, बनना चाहिए ।

क्रमांक-90-श्री राणा रणधीर

श्री राणा रणधीर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ीदयाल प्रखंड के सिसहनी पंचायत में कछुआ नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल के एक तरफ सिसहनी ग्राम में एवं दूसरे तरफ बेला को पक्की सड़क से सम्पकर्ता प्राप्त हैं, सिसहनी से बेला पथ किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं हैं एवं इस मार्ग के रेखांकन पर अन्य कोई बसावट नहीं है। अभी प्रस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध हैं कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री राणा रणधीर : सभापति महोदय, प्रस्ताव मैं वापस में लूंगा । पिछले साल गैर सराकरी संकल्प मैं लाया था, यह नक्सल प्रभावित गांव है और वहां के लोगों से यह मांग आई है, यह तो दो विधान सभा को जोड़ने वाला पुल है और मंत्री महादेय से आग्रह करूंगा कि जो जानकारी विभाग ने दी हैं कि बसावट नही है तो वहां पर बसावट है, बसावाट है और चिरैया और मधुवन दोनों को जोड़ने वाला हैं तो मंत्री महोदय से आग्रह होगा सरकार से आग्रह होगा....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सरकार सम्यक रूप से संज्ञान लेती है, इसकी महत्ता को हमलोग भी जानते हैं । आप प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री राणा रणधीर : प्रस्ताव तो वापस लूंगा ही, दो पंक्तियां, सर चूंकि आप बैठे हैं, कहना चाहूंगा

"कितनी करूणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग,
गाता प्राणों का तार तार, जो कछुआ नदी पर पुल बन जाता एक बार ।"

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माशा अल्लाह, माशा अल्लाह ।

श्री राणा रणधीर : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूॅ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक -91- श्री रामनारायण मंडल</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय शिक्षा मंत्री विधान परिषद् में हैं, वे आ रहे हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया बैठ जाइये, इतने सिनियर मेम्बर को बैठाने में भी डर लगता है, कृपया बैठ जाइये ।

श्री रामनारायण मंडल : सभापति महोदय, मुझे आपत्ति है । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य ने जो जवाब दिया, जो बताया आपको, ये उनके विभाग से लेकर के जवाब भी दे सकते थे । ऐसी व्यस्था है, मंत्रिमंडल की ज्वायंट रिसपौंसिब्लिटी है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : आपका सुझाव सर आंखों पर । बहुत सिनियर मैम्बर, कृपया बैठ जाइये ।

<u>क्रमांक-92-श्री फराज फातमी</u>

श्री फराज फातमी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवारा प्रखंड के टेक्टार से कोठिया पथ में कमलानदी पर पुल का निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल के एक तरफ टेक्टार गांव अवस्थित हैं जो एस. एच. 75 पर हैं और दूसरी तरफ कोठिया गांव हैं जो पी.एम.जी.एस.वाई. पथ पर अवस्थिति हैं । अभिस्तावित स्थल के अप स्ट्रीम में डेढ़ कि.मी. और डाऊन स्ट्रीम में चार कि.मी. में पुल पूर्व से निर्मित हैं, अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रताव विचाराधीन नहीं हैं । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध हैं कि उक्त संकल्प को वापस लने की कृपा करेंगे ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री फराज फातमी : सभापति महोदय मैं तो वापस लेता हूँ लेकिन गुजारिश करूंगा कि वह कम से कम दो प्रखण्ड को जोड़ता हैं वह पुल और वहां पर कम से कम दस पंचायत को इससे फायदा होगा तो मै निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दें माननीय मंत्री जी ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : मेरा भी आग्रह होगा माननीय मंत्री जी से कि ऐसे नौजवान साथी जिसका मुस्तकबिल है, बेरहम नहीं होना हैं, थोड़ा रास्ता निकालना है । माननीय सदस्य, आप वापस लेते हैं ।

श्री फराज फातमी : जी, मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-93- श्री सरफराज आलम</u> (माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-94- श्री दिनेश चन्द्र यादव</u>

श्री दिनेश चन्द्र यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मानसी से हरदी-चौघरा राज्य उच्च पथ(एस.एच.)-95 का निर्माण (कोशी, कात्यायनी एवं बागमती नदी पर पुल सहित) करावे ।"

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, राज्य उच्च पथ संख्या-95 मानसी एन.एच.-31 सहरसा-चौघारा पथ का विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन डी.पी.आर का कार्य परामर्शी एम.एस. रॉयल हौसकोनिइंग डी.एच.वी., निदरलैंड बी.वी. के द्वारा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0 के देख-रेख में तैयार कराया जा रहा है । डी.पी.आर. तैयार होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध हैं कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : माननीय उप मुख्यमंत्री के जवाब के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-95-श्री अशोक कुमार सिंह(203)

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के कोचस प्रखंड अंतर्गत गार्रा पंचायत के धर्मावती नदी में परिखन के डेरा के पास पम्प कैनाल का निर्माण कर चतरा गॉव के पास करगहर राजाबाहा में पानी गिराकर खेतों की सिंचाई करावे ।"

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि करगहर वितरणी की लम्बाई 37 कि.मी. तथा परिखन जल स्राव 620 क्यूसेक है, खरीफ 2016 में इसके अंतिम छोर तक पानी पहुंचा कर निर्धारित लक्ष्य 14607 हैक्टेयर के विरूद्ध 12 805 हैक्टेयर में सिंचाई उपलब्धि हासिल की गई हैं, सोन जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा कम होने तथा बराज में पानी की कमी होने के कारण इस वितरणी के अंतिम छोर तक पानी पहुचाने में कठिनाई होती है, परंतु तात्कालिक व्यवस्था लागू कर नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचा कर कृषकों सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं । जहांतक धर्मावति नदी पर पम्प नहर योजना के निर्माण का प्रश्न हैं इस संबंध में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डेहरी को तकनीकी सम्भावता प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है अतः माननीय सदस्य से अनुरोध हैं वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लीजिये, पोजेटिव जवाब जा रहा है ।

श्री अशोक कुमार सिंह : माननीय मंत्री जी धन्यवाद ,सभापति जी, सभापति महोदय जी, माननीय मंत्री जी ने ...

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : मैं मध्य में, बीचा बीच किया कोई धन्यवाद नहीं !

श्री अशोक कुमार सिंह : आपको भी, आसन को भी । आसन को भी शुक्रिया । माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, करगहर वितरणी की लम्बाई 34 कि.मी. लेकिन सभापति महोदय जिस सिस्टम से पानी लेते हें, सोन सिस्टम से, वहां से हमारे खेत की दूरी 70 कि.मी. है सभापति महोदय, 70 कि.मी.।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय मंत्री, सिंचाई ने जो अतिरिक्त नहर का सृजन कर रहे हैं ये पूर्ण होने के बाद बाढ़ आ जायेगी, क्या आप बात करते हैं ? न आप बचेंगे न वितरणी बचेगी ।

श्री अशोक कुमार सिंह : मैं सहमत हूँ सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया है, हमें विश्वास है कि हमारा काम होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-26/17.3.2017/बिपिन

क्रमांक-96 श्री मो0 नवाज आलम

श्री मो0 नवाज आलम: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के आरा विधान सभा क्षेत्र के एन.एच.-30 से अहिरपुरवा घाट के बगल से शिवम भवन के सामने नहर पर पुल निर्माण करावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, संकल्पाधीन स्थल आरा मुख्य नहर के आरा ब्लॉक से 2.30 कि.मी. डाउन स्ट्रीम में अवस्थित है । उक्त स्थल के 800 मीटर अप स्ट्रीम में एकपथीय सेतु एवं 700 मीटर डाउन स्ट्रीम में एन.एच-30 पर एक द्विपथीय सेतु पूर्व से ही निर्मित है । उक्त परिस्थिति में संकल्पाधीन स्थल पर नए पुल का निर्माण अनुमान्य नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 नवाज आलम:सभापति महोदय, में आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिस जगह, जिस स्थल की बात मैं कर रहा हूं, वहां आरा का सबसे ज्यादा छठ के लोग छठव्रती लोग वहां छठ करते हैं और पूरे शहर के लोग छठ करने आते हैं और वहां आए दिन कोइ-न-कोई घटना होती है, लोग डूब जाते हैं । दोनों तरफ, उस तरफ भी पूरी आबादी बसी हुई है और इस तरफ भी कसी आबादी है । इसलिए माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि अगर वहां पर एक पुल का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से वह पूरे दस हजार की आबादी उससे लाभान्वित होगी ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय मंत्री, इसकी फिजिबिलिटी पर एक्सरसाइज कर लें। वापस लीजिए तो पहले ।

श्री मो0 नवाज आलम: मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-97 श्री मो0 नेमतुल्लाह

श्री मो0 नेमतुल्लाह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंल जिला के बरौली को अनुमंडल घोषित करे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, राज्य के जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना संख्या के द्वारा मंत्रियों के समूह का पुनर्गठन उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है जिसके सदस्य मंत्री, जल संसाधन विभाग, मंत्री, ग्रामीण विकास तथा मंत्री, राजस्व भूमि सुधार विभाग हैं । प्रस्तुत गैर सरकारी संकल्प पुनर्गठित मंत्रियों के समूह के समक्ष विचारण हेतु रखने के लिए मंत्रिमंडल समन्वय विभाग को प्रेषित किया गया है ।

अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि फिलहाल वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह: बहुत बहुत धन्यवाद । माननीय मंत्रीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है । इसलिए वहां कोई दिक्कत नहीं होगी । इसलिए मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-98 श्रीमती पूर्णिमा यादव

श्रीमती पूर्णिमा यादव: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिलान्तर्गत रोह प्रखंड का अनुमण्डल रजौली से हटाकर नवादा सदर अनुमण्डल में समायोजित करावे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, संपूर्ण प्रदेश में नए प्रमण्डल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड या अंचल बनाने या पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन अभी नहीं है । मंत्रिमंडलीय उपसमिति उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई है । माननीय सदस्या से कमिटी अपना विचार करेगी ।

फिलहाल माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):माननीय सदस्या पूर्णिमा जी, अपना संकल्प वापस लीजिए ।

श्रीमती पूर्णिमा यादव: माननीय मंत्री जी के उत्तर के आलोक में मैं यह प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-99 श्री उपेन्द्र पासवान

श्री उपेन्द्र पासवान : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी प्रखंड के सलौना एवं चकहमीद पंचायत के मध्य स्थित वर्ष 1998 में अर्द्धनिर्मित पुल को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पुल का निर्माण सांसद कोटा से किया गया है । इसकी स्थिति खराब है । इस स्थल के अप स्ट्रीम में 3 कि.मी. पर तथा डाउन स्ट्रीम में ढाई

कि.मी. पर पुल पूर्व से निर्मित है । अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य उपेन्द्र जी, कृपया अपना संकल्प वापस लीजिए ।

श्री उपेन्द्र पासवान : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-100 श्रीमती आशा देवी</u>

श्रीमती आशा देवी: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह डेन्टल कांउंसिल ऑफ इंडिया नवम्बर, 16 में चिकित्सकों के आयु के संबंध में दिये गये अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार कार्रवाई करे ।''

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री: महोदय, डेंटल कौंसिल ऑफ इंडिया के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा पटना दंत महाविद्यालय अस्पताल के संबंध में दी गई अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा डा0 नवल किशोर सिंह, कार्यकारी प्राध्यापक, ओरल सर्जरी विभाग, पटना दंत महाविद्यालय, अस्पताल, पटना को पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के दंत विभाग में प्राध्यापक के पद पर प्रतिनियुक्ति कर दी गई है ।

माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्या आशा देवी जी, अपना संकल्प वापस लीजिए ।

श्रीमती आशा देवी : मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-101 श्री अशोक कुमार सिंह,क्षेत्र सं0-224</u>

श्री अशोक कुमार सिंह,क्षेत्र सं0-224: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्र्तत रफीगंज नगर पंचायत के वार्ड नं0-02 में हाजीपुर गोला के पास रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कराने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा करे ।''

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री: महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज नगर पंचायत के वार्ड नं.-2 में हाजीपुर गोला के पास रेलवे ओवर ब्रीज का निर्माण कराने हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, आपका प्रस्ताव पास हुआ ।

श्री अशोक कुमार सिंह,क्षेत्र सं0-224: धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>क्रमांक-102 श्री विनोद कुमार सिंह</u>

श्री विनोद कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार से मनिहारी उच्च पथ में गौशाला रेलवे क्रासिंग के ऊपर फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार, रेल मंत्रालय से सिफारिश करे ।''

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री: महोदय, बस स्टैंड से बाजार आने-जाने के लिए कटिहार मनिहारी मुख्य सड़क में गौशाला के निकट रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है । गौशाला रेलवे गुमटी से पटना की ओर जाने वाली रेलवे लाइन पर स्थिति है । रेलगाड़ी की अत्यधिक परिचालन होने की स्थिति में गुमटी बंद रहने के कारण आम व्यक्तियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अत: उक्त स्थल पर ओवरब्रीज के निर्माण हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>क्रमांक-103 श्री जितेन्द्र कुमार</u>

श्री जितेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शेखपूरा-नालंदा जिला के बरबीघा से सरमेरा एन.एच.-82 को टू-लेन का निर्माण करावे।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उपमुख्यमंत्री: महोदय, एन.एच.ए.आई. के द्वारा बिहार शरीफ-बरबीघा-मोकामा एन.एच.-82 खंड का निर्माण दो लेन के शोल्डर के साथ करवाया जा रहा है । संकल्पाधीन शेखपूरा नालन्दा जिला के बरबीघा से सरमेरा एन.एच. -82 का भाग भी इसके अंतर्गत आता है । निर्माण के हेतु संवेदक को चयन कर उसके साथ एकरारनामा भी किया जा चुका है । वर्तमान में संवेदक के द्वारा निर्माण कराने कार्य प्रारंभ कराने की प्रक्रिया, यथा-यूटिलिटि शिफ्टिंग कैम्प आदि का कार्य किया जा रहा है। फॉरेस्ट फेज-वन क्लीयरेंस के अभाव में संवेदक के द्वारा कार्य प्रारभ्भ नहीं किया जा रहा है । फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय, एम.ओ.इ.एफ. रांची में है तथा संभावना है कि अगले महीने तक फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल जाएगा । क्लीयरेंस प्राप्त होते ही एकरारनामा के अनुसार शर्त्ते पूरी हो जाने के उपरांत एप्वायंटेड डेट देकर कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य जितेन्द्र कुमार जी, अपना संकल्प वापस लीजिए।

श्री जितेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । लेकिन, अस्थावां विधान सभा की जनता की ओर से इन्हें साधुवाद देता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न : 27/कृष्ण/17.03.2017

क्रमांक 104 श्री मिथिलेश तिवारी

श्री मिथिलेश तिवारी :अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर उड्यन सेवा प्रारंभ करने के निमित्त गोपालागंज जिले के हथुआ अनुमंडल में वर्षों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में अतिक्रमण का दंश झेल रहे सबेया हवाई अड्डा के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को अनुशंसा करे । ''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत हथुआ अनुमंडल में स्थित सबेया हवाई अड्डे का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में विश्व युद्ध के समय वायु सेना के विमानों के आवागमन हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा हुआ था । इस हवाई अड्डे का स्वामित्व रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायु सेना, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है । उक्त हवाई अड्डे के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण कराने एवं क्षेत्रीय स्तर पर घरेलू उड़ान की सुविधा बहाल करने हेतु सरकार रक्षा मंत्रालय,भारत सरकार से अनुरोध करेगी ।

अत: इसको सदन की सहमति से स्वीकृत किया जा सकता है ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री मिथिलेश तिवारी : धन्यवाद महोदय ।

क्रमांक 105 श्री विद्या सागर केशरी

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के पीपरा पंचायत के पीपरा घाट के परमान नदी पर पुल का शीघ्र निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल के निर्माण हेतु शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत सर्वे कार्य करा लिया गया है एवं प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है जिसे वित्तीय वर्ष 2016-17 के बैच 3 के अंतर्गत समर्पित किया जायेगा ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विद्या सागर केशरी : सभापति महोदय, सामरिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है । एस0एस0बी0 कैप का मुख्यालय है और थर्ड कंट्री नेपाल से लगी हुई है । आजादी के बाद से परमान नदी पर एक भी पुल नहीं बना है । दूसरी बात है कि नेपाल से बेटी-रोटी का संबंध है। यह पुल बहुत जरूरी है । यह समझ लीजिये कि उस इलाके

का लाईफ लाईन है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पुल का शीघ्रताशीघ्र निर्माण करा दिया जाय। इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक 106 श्री सीताराम यादव

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्रमांक 107 श्री समीर कुमार महासेठ

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिले के एक मात्र चीनी मिल लोहट को चालू करावे ।''

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : महोदय, बंद चीनी मिलों को अपने स्तर से चालू करने की सरकार की कोई योजना नहीं है । परन्तु इन बंद इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील रही है । राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम के नियंत्रणाधीन बंद चीनी मिलों के क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों कृषकों एवं मजदूरों के हित में उन्हें एक पारदर्शक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी सार्वजनिक सहकारिता क्षेत्र के निवेशकों को एक लंबी अवधि के लीज पर करते हुये गन्ना आधारित उद्योग या अन्य उद्योग के रूप में पुनर्जीवित कराने का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के आलोक में वित्तीय सलाहकार एस0बी0आई0 कैप के माध्यम से अबतक पांच निविदा प्रक्रिया संपन्न हुई है । परन्तु इन पांचों निविदा प्रक्रियाओं में मधुबनी जिलान्तर्गत बंद पड़े लोहट चीनी मिले के पुनर्जीवन हेतु कोई सफल निवेशक उपलब्ध नहीं हो पाये हैं ।

इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, इस प्रस्ताव के साथ कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया में पूरी तरह सफल हों और जल्द से जल्द चीनी मिल चालू करावें, हम वापस लेते हैं ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक 108 श्री राजू तिवारी

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पहाड़पुर प्रखंड के मझरिया गांव के सामने चन्द्रावत नदी पर पुल का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के किसी भी कोर नेटवर्क के मार्ग रेखन पर नहीं है । अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने का कष्ट करें ।

श्री राजू तिवारी : आग्रह के साथ में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक 109 श्री सुरेन्द्र कुमार

श्री सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कटरा प्रखंड स्थित शक्ति पीठ के रूप में मां चामुण्डा स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करावे । ''

श्रीमती अनीता देवी,मंत्री : महोदय, बिहार सरकार के धार्मिक,सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक महत्व के विभिन्न स्थलों के विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा एक पंचवर्षीय रोड मैप तैयार किया जा रहा है । तदुपरांत निधि की उपलब्धता के अनुसार पर्यटकीय मापदंडों को पूरा करनेवाले स्थलों को चरणबद्ध रूप से विकास किया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने का कष्ट करें ।

श्री सुरेन्द्र कुमार : महोदय, मैं अपन प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र कुमार जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक 110 डा0 रंजु गीता

डा0 रंजु गीता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत भीसा,परसौनी,पकरी,बसहा,बाजितपुर,जबाही,सुरसंड,भिट्ठामोड़,चोरौत मधुबनी जिला के मधवापुर,मठिहानी,फुलहर,खिनहर होते हुये मधुबनी तक रेल लाईन निर्माण की स्वीकृति हेतु भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय से सिफारिश करे । ''

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत भीसा, परसौनी, सपकरी, बसहा, बाजितपुर, जबाही, सुरसंड, भिट्ठामोड, चोरौत, मधुबनी जिला के मधवापुर, मठिहानी, फुलहर, खिनहर होते हुये मधुबनी तक रेल लाईन निर्माण की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय,भारत सरकार को अनुरोध करेगी ।

अतः सदन की सहमति से इसे स्वीकृत किया जा सकता है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती रंजु गीता जी का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा. रंजु गीता : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं । 1981 में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डा0 जगन्नाथ मिश्र के बिहार में 25 रेलवे लाईन हेतु इनके द्वारा केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया था जिसमें 23 रेलवे लाईन बनें और उस पर गाड़ियां दौड़ रही है । मात्र दो रेलवे लाईन, जो सीतामढ़ी होते हुये मधुबनी,जयनगर तक जोड़ती है, वह बचा हुआ है और दूसरा मुजफ्फरपुर से तिलकी होते हुये दरभंगा जायेगी, बचे हुये हैं । मात्र दो रेलवे लाईन बचे हुये हैं, जो अतिआवश्यक है । मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं कि और विशेष रूप से आग्रह करती हूं कि आप केन्द्र सरकार को एक दायित्व के रूप में इन दोनों रेलवे लाईनों को बनाने का अनुरोध किया जाय।

क्रमांक 111 श्री ललन पासवान

श्री ललन पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के ग्राम बड्डी के 1857 की क्रांति के शहीद नायक स्व0 निशान सिंह की याद में उक्त ग्राम में 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं इनके शहादत के दिन 07 जून को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था, जो चार वर्षों से बंद है । उक्त तिथियों को वहां पर पुनः राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था करें ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, शहीद स्व0 निशान सिंह की स्मृतिमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं उनकी पूण्यतिथि पर राष्ट्रीय ध्वज फराये जाने या नहीं फहराये जाने का आदेश राष्ट्रीय ध्वज संहिता के आलोक में इस विभाग से निर्गत नहीं किया गया है । इस संबंध में एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग विभागीय पत्र संख्या 940 दिनांक 29.11.2016 के द्वारा जिला पदाधिकारी,रोहतास से की गयी है । पुनः उन्हें पत्रांक 190 दिनांक 10.03.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी को स्मारित करते हुये उत्तर सामग्री की मांग की गयी है । उत्तर सामग्री प्राप्त होने पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने का कष्ट करें ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, सरकार का उत्तर स्वीकारात्मक है । ठीक है मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं एक सवाल करते हुये कि सन् 1857 के गदर के समय ही मंगल पाण्डेय, वीर कुवंर जी के साथ शहीद निशान सिंह बड्डी के रहनेवाले थे और 6 जून,1858 को कैमूर पहाड़ियों से उनको गिरफ्तार करके, वह देश के पहले स्वतंत्रतता सेनानी हैं, जिन्हें सासाराम गौरक्षनी पर...

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन) : उनका कोई लिखित इतिहास है क्या ?

श्री ललनपासवान : जी हां ।

सभापति : आप उसका कॉपी दे दीजियेगा । आप कृपया बैठ जाईये

सदन की सहमति से मा0सदस्य श्री ललन पासवान जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–28/राजेश/17.3.17

<u>क्रमांकः 112, श्री राहुल तिवारी</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित) ।

<u>क्रमांकः 113, श्री शमीम अहमद</u>

श्री शमीम अहमदः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती हैकि वह पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंडन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड सुरहॉ से सिसवॉ गॉव तक सड़क का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, अभिस्तावित पथ की लंबाई ढ़ाई किलोमीटर है जो ईटकृत है,यह पथ सुरहॉ से सिसवॉ गॉव को जोड़ती है । इस पथ के मार्गरेखन पर अन्य कोई योग्य बसावट नहीं है । सुरहॉ ग्राम एवं सिसवॉ ग्राम को अलग–अलग पी0एम0जी0एस0वाई0 से संपर्कता प्राप्त है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य श्री शमीम साहब,कृपया आप अपना प्रस्ताव को वापस लीजिये ।

श्री शमीम अहमदः सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह पथ कैसे बने और इसको बनवाने का कष्ट करें । मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री शमीम अहमद जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांकः 114, श्री विजय कुमार सिन्हा</u>

श्री विजय कुमार सिन्हा: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के बड़हिया को अनुमंडल का दर्जा प्रदान करे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, उप-मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में जिसमें माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसमें सदस्य हैं । मंत्री समूह को इस विचारणीय प्रस्ताव को भेज दिया जायेगा और फिर हाल माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को गैर सरकारी संकल्प पर बोलने का अधिकार है.....

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): बोलिये न, आपको देते हैं समय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: इसलिए मैं आपसे अनुमति लेकर कि आज दलहन और तेलहन पूरे बिहार का पूरा करने वाला वह क्षेत्र है महोदय, टाल और दियारा का केन्द्र स्थल है, माँ वैष्णो देवी का लघु माँ बाला त्रिपु सुन्दरी का पर्यटक स्थल है,यह पर्यटक स्थल का बड़ा केन्द्र है महोदय और शक्ति और सरस्वती का समागम स्थल भी है,हलाँकि इस क्षेत्र के अनुमंडल के संबंध में माननीय मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक जवाब दिये हैं कि बनाया जाता है,तो एक अच्छा संदेश, पर्यटक का एक अच्छा विकास होगा,इनके आश्वासन पर हम अपना संकल्प को वापस लेते हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक: 115, श्री निरंजन कुमार मेहता</u>

श्री निरंजन कुमार मेहता: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिलान्तर्गत उदाकिशुनगंज प्रखंड में श्याम चौक से उदाकिशुनगंज पथ में धार पर एक उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल राज्य कोरनेट वर्क के क्रम संख्या-63 पर अंकित पथ पर अवस्थित है । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त पथ के साथ अभिस्थावित पुल का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ एवं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 116, श्री मो0 तौसीफ आलम

श्री मो0 तौसीफ आलम: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकारसे अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला के दिघलबैंक प्रखंड के पथड़घट्टी पंचायत के कुरैली कटिंग के बीच मटियारी घाट पर 10 वर्षों से ध्वस्त पुल का नवनिर्माण कराये ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल पी0एम0जी0एस0वाई0 के पथ टेढ़ागाछ से बालूबारी भाया मटियारी पथ पर अवस्थित है । उक्त पुल स्थल पर नये पुल निर्माण का डी0पी0आर0 तैयार कर जांच हेतु एस0टी0एफ0को भेजा गया है । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्यसे अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 तौसीफ आलम: महोदय, मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री मो0 तौसीफ आलम जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 117, श्री फैयाज अहमद

श्री फैयाज अहमद: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंडन्तर्गत ग्राम औंसी बभनगॉवा के तिब्बी शफाखना में स्वीकृत पथ पर डॉक्टर एवं कर्मचारियों को पदस्थापित कर शफाखाना को चालू करावे ।''

श्री कपिलदेव कामत, मंत्री: सभापति महोदय, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिलापरिषद् मधुबनी के पत्रांक-543 दिनांक 16.3.17 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिस्फी प्रखंडन्तर्गत ग्राम औंसी बभनगॉवा के तिब्बी शफाखना में पत्रांक-499 जिलापरिषद् मधुबनी, दिनांक 14.2.17 के द्वारा एक देशी चिकित्सक श्री देव नारायण मिश्र एवं पत्रांक-538 जिलापरिषद् मधुबनी दिनांक 15.3.17 के द्वारा अनुसेवक का पदस्थापन कर शफाखाना चालू करा दिया गया है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री फैयाज अहमद: माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री फैयाज अहमद जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 118, श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादवः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राजगीर को बिहार राज्य की उप राजधानी घोषित करें ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राजगीर को बिहार राज्य की उप राजधानी घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले ।

श्रीअत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादवः सभापति महोदय पंच पहाड़ियों के बीच में बसा यह सुन्दर सा शहर राजगीर, आप जानते हैं कि एकीकृत बिहार था, तो रॉची उप राजधानी हुआ करता था लेकिन महोदय समय को देखते हुए माननीय प्रभारी मंत्री जी से आग्रह है कि वे इसपर विचार करेंगे,इसी के साथ मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापतिः सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 119, श्री तारकिशोर प्रसाद

श्री तारकिशोर प्रसादः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार नगर निगम क्षेत्र में डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद पथ पर जाम से मुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये ।''

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य तारकिशोर प्रसाद जी इतने क्लिष्ट विषय को आपने संकल्प में रखा है, यहॉ धारा प्रवाह चीज आनी चाहिए, आया-गया, आया-गया । इसको स्थगित करता हूँ, बाद में लाईये प्रश्न बना करके, यह बहुत कंप्लीकेटेड है, आप तो समझदार आदमी हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, इसको प्रश्न में कनवर्ट किया जाय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): इस गैर सरकारी संकल्प को प्रश्न में कनवर्ट किया जाता है ।

क्रमांकः 120, श्री जर्नादन मांझी

श्री जर्नादन मांझीः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बॉका जिला के शम्भूगंज प्रखंड के कुर्मा पंचायत के धर्मपुर मध्य विद्यालय को माध्यमिक उच्च विद्यालय में प्रोन्नत करावें ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्रीः सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कुर्मा पंचायत के धर्मपुर मध्य विद्यालय उत्क्रमण हेतु मानक के अनुरुप भूमि से संबंधित शर्त को पूरा नहीं करता है । इसलिए हम आग्रह करते हैं माननीय सदस्य से कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प को वापस लेंगे ।

श्री जर्नादन मांझी: महोदय, कुर्मा पंचायत में कोई भी विद्यालय नहीं है और कुर्मा पंचायत में यह जो विद्यालय है .....

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): आदरणीय मांझी जी, आप अपना संकल्प को वापस लीजिये । माननीय मंत्री जी तो मौजूद है ।

श्री जर्नादन मांझी: ठीक है । मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री जर्नादन मांझी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-29/सत्येन्द्र/17-3-17

क्रमांक-121- श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कु सिंह

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): ये अधिकृत किये हैं रवि ज्योति जी को ।

श्री रवि ज्योति: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प0 चम्पारण जिला अन्तर्गत बगहा-2 प्रखंड के बगहा-बाल्मिकीनगर रोड में स्थित मदनपुर से पनियवहा पथ का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित हो गया है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उपमुख्यमंत्री: मदनपुर से पनियवहा एन0एच0-28 बी के चैनेज 104.20 कि0मी0 से चैनेज 109.80 कि0मी0 के बीच अवस्थित है परन्तु वहां वन क्षेत्र होने के कारण वन विभाग के द्वारा इस पथांश में कार्य कराने की अनुमति नहीं प्रदान की गयी है। वन विभाग की सहमति से इस पथांश के वैकल्पिक मार्गरेखन की स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है । यह वैकल्पिक मार्ग एन0एच0-28 बी0 के चैनेज 95.25 कि0मी0 से प्रारंभ होकर गंडक नदी के किनारे होते हुए पनियवहा तक जायेगी। मंत्रालय के मार्ग रेखन की स्वीकृति के पश्चात् इस पथांश का निर्माण कराया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) माननीय सदस्य प्रस्ताव वापस लें कृपया । पोजिटिव उत्तर है, कोई गुंजाइश नहीं है ।

श्री रवि ज्योति:प्रस्ताव वापस लेता हूँ आपके आदेश से ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक 122(श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी)

श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा जो अनुमंडल बनने की सभी अहर्त्ताएं को पूरी करता है,को अनुमंडल का दर्जा प्रदान करे।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय,राज्य के जिला अनुमंडल प्रखंड अंचल के पुनर्गठन के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-532 दिनांक 7-4-16 के द्वारा मंत्रियों के समूह का पुनर्गठन उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । इसके सदस्य मंत्री,जल संसाधन विभाग, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हैं । पस्तुत गैर संकल्प पुनर्गठित मंत्रियों के समूह के समक्ष विचारण हेतु रखने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को प्रेषित किया गया है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि फिलहाल वे इस संकल्प को वापस ले लें ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, जमुई का 1864 से 1859 तक सबडिवीजन हेडक्वार्टर सिकन्दरा था और सिकन्दरा विश्व प्रसिद्ध जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जन्म भूमि भी है इसलिए इसको अनुमंडल बनाने पर विचार किया जाय। इसी के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और ये प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 123(श्री रामदेव राय)

श्री रामदेव राय: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड स्थित सूर्यपुरा ग्रामीण क्षेत्र के बैंती नदी पर आजादी पूर्व का बना हुआ क्षतिग्रस्त गाड़ा पुल का शीघ्र पुनर्निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पुल स्कुपाईल ब्रीज है । बेगुसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड स्थित श्रीपुरा ग्रामीण क्षेत्र से बैंती नदी पर अवस्थित है । इसका निर्माण आजादी पूर्व हुआ था जिसकी स्थिति खराब है । पुल के पश्चिम छोर पर 100 मीटर की दूरी पर पी0एम0जी0एस0वाई0 जगदीशपुर बुचौली पथ एवं पूर्वी छोर से 150 मीटर की दूरी पर बीरपुर संजाद पी0डब्लू0डी0 पथ अवस्थित है । अभिस्तावित स्थल के अप स्ट्रीम में पांच कि0मी0 की दूरी पर पुल निर्मित है एवं डाउन स्ट्रीम में 1 कि0मी0 की दूरी पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कराया जा रहा है । पुल राज्य कोर नेटवर्क में छुटे हुए पुलियों की सूची प्रपत्र-8 में सम्मिलित नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामदेव राय: महोदय, जब 5 और 7 कि0मी0 की दूरी पर कोई पुल नहीं बन सकता है तो फिर दूसरा कैसे बना इस पुल को रहते हुए । यह पुल जब निर्मित था तो दूसरा कैसे बन गया वहां 7 कि0मी0 की दूरी पर और 5 कि0मी0 की दूरी पर, यह टेक्निकल प्रश्न है इसका समाधान होना चाहिए और दूसरा वह अंग्रेज के टाईम का बना हुआ है इसकी आवश्यकता थी तब तो बना था । पुल आवागमन की सुविधा देखकर बनाया जाता है न कि पांच कि0मी0 और सात कि0मी0की दूरी पर फिर ये गांधी सेतु पर और राजेन्द्र पुल पर कैसे बन रहा है दूसरा समानांतर पुल? क्या तुक है, इसका जवाब चाहिए। जवाब को धरफड़ में नहीं पूरा करवा दीजिये।

अध्यक्ष: इसको दिखवा लीजियेगा । माननीय सदस्य जो कह रहे हैं जांच करा लीजियेगा और आप अनुरोध करिये कि वापस ले लें ।

श्री शैलेश कुमार:माननीय सदस्य ये अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस ले लें कृपा कर के।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 124(श्रीमती समता देवी)

श्रीमती समता देवी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखंड के लाडु पंचायत में निरंजना नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: मोहनपुर प्रखंड के अन्तर्गत ग्राम लाडु के पास निरंजना फल्गु नदी पर पुल ग्रामीण कार्य विभाग के रेखन पर नहीं पड़ता है । इस नदी के एक तरफ मोहनपुर प्रखंड का लाडु गांव तो दूसरी तरफ बोधगया प्रखंड का कोशिला गांव पड़ता है । दोनों गांव को एकल सम्पर्कता प्राप्त है । विभाग का लक्ष्य राज्य के सभी वसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करना है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती समता देवी: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूॅ कि पुल बन जाने से आवागमन में सुविधा हो जायेगी ।

अध्यक्ष: इसमें जानना थोड़े ही है । उनसे जो कहना हो वह अनुरोध कर के कहिये, प्रस्ताव पर फैसला करना होगा न।

श्रीमती समता देवी: ठीक है। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूॅ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक- 125(श्री दिनकर राम)

श्री दिनकर राम: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा विधान-सभा क्षेत्र के बथनाहा को परिहार प्रखंड से जोड़ने वाले बथनाहा प्रखंड के लोहखर चौक से पूरब अधवारा नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पुल के अप स्ट्रीम में 2 कि0मी0 पर तथा डाउन स्ट्रीम में ढाई कि0मी0 पर पुल पूर्व से निर्मित है। अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री दिनकर राम: महोदय,मैं तो वापस ले ही लिया ।

अध्यक्ष: ले लिया तो बात ही खत्म हो गया । सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-126(श्री रत्नेश सदा)

श्री रत्नेश सदा:अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला के सोनवर्षा विधान-सभा क्षेत्र के पतरघट प्रखंड मेन सड़क हॉस्पीटल से मानिकपुर, सुरमहा किशनपुर नहर होते हुए भजनपट्टी, पहाड़पुर, रेशना बाजार तक जर्जर कच्ची सड़क का पक्कीकरण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय,जवाब लम्बा है अगर माननीय सदस्य कहें तो संक्षिप्त में हम बतला दें।

अध्यक्ष: संक्षिप्त में बतला दीजिये।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ के तीन पथांश हैं जिसकी स्थिति निम्नवत है: होस्पीटल से मानिकपुर तक पथ श्रेणी-1 का अहर्त्ता रखता है । दूसरा है मानिकपुर से सुरमाहा किसनपुर होते हुए भजनपट्टी तक पथ, यह श्रेणी-1 का अहर्त्ता रखता है । तीसरा है भजनपट्टी से पहाड़पुर रोसना बाजार तक पथ, यह मुख्यमंत्री ग्राम सेतु निर्माण एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के संचालन समिति की बैठक में विषयांकित योजना के सम्यक विचारोपरांत स्थगित करने का निर्णय लिया गया। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में एकरारनामा बंद करने की कार्रवाई की जा रही है साथ ही पुनरीक्षित प्राक्कलन भी तैयार की जा रही है । पुनरीक्षित प्राक्कलन के स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्य को कराया जाना संभव हो सकेगा । अत: वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रत्नेश सदा:अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ और संकल्प को वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-127(श्री नीरज कुमार सिंह)

श्री नीरज कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला अन्तर्गत नगर परिषद के बार्ड नं0-03 में नया बाजार चौक से परियर पंचायत होते हुए एस0एच0-66 को जाने वाली सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से स्थानांतरित कर पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करते हुए सड़क का जीर्णोद्धार करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री: महोदय, सहरसा जिलान्तर्गत नगर परिषद के बार्ड नं0-3 में नया बाजार चौक से नरियर पंचायत होते हुए एन0एच0 तक जाने वाली पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है । ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य विभाग के पथों को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण हेतु विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका और संकल्प ज्ञापांक 935 एस दिनांक 7-2-17 में निर्धारित मापदंड को पूरा करने के संबध में निर्णय लेने हेतु गठित समिति द्वारा फिजिब्लिटी रिपोर्ट के आधार पर समीक्षोपरांत निर्णय लिया जायेगा । (क्रमश:)

टर्न-30/मधुप/17.3.2017

..क्रमश:...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : समिति के निर्णय एवं निधि की उपलब्धता के बाद ही विभाग में अधिग्रहण पर विचार करना सम्भव होगा ।

वर्त्तमान में इस पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करने का प्रस्ताव नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री नीरज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, अत्यंत जर्जर सड़क है और सहरसा शहर से निकलने की एकमात्र सड़क यह है जो एस0एच0 को निकलती है, सुपौल को जाती है । मात्र 5 कि0मी0 सड़क है और सबसे बड़ी बात है कि सड़क को इतना अतिक्रमण कर लिया कि एक गाड़ी जाने में भी कठिनाई होती है और बहुत महत्वपूर्ण सड़क है ।

अध्यक्ष : अभी प्रस्ताव वापस लेकर अलग से लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री नीरज कुमार सिंह : ठीक है । माननीय मंत्री महोदय के जवाब के आलोक में प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-128 : श्री मुद्रिका प्रसाद राय</u>

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना करावे ।''

श्री राम विचार राय, मंत्री : महोदय, सारण जिला के तरैया प्रखंड में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव वर्त्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि यह प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–129 : श्री सुधांशु शेखर

श्री सुधांशु शेखर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी प्रखंड में उमगॉव से राघोपुर जाने वाली सड़क में जमूनी नदी में सुबा पुल स्थान पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित स्थल के एक तरफ अवस्थित उमगॉव हरलाखी प्रखंड में पड़ता है जो एन0एच0 4 पर अवस्थित है । दूसरी तरफ अवस्थित राघोपुर नेपाल देश में पड़ता है । इसी पथ के 1.5 कि0मी0 पर जमूनी नदी पर सुबा पुल अवस्थित है जो क्षतिग्रस्त है । इसके आगे राघोपुर नेपाल में पड़ जाता है । अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुधांशु शेखर : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक– 130 : श्री नारायण प्रसाद

श्री नारायण प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुदूर गॉवों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु प0 चम्पारण जिला को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में शामिल करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2012–13 तक लागू थी । 2013–14 से 27 जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना लागू है । पश्चिमी चम्पारण आई0ए0पी0 जिला है जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 250 या उससे अधिक आबादी वाले बसावटों को जोड़ती है । इसलिये पश्चिमी चम्पारण जिला में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना लागू नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जी0टी0एस0एन0वाइ0 योजना में पश्चिमी चम्पारण जिला के 17.5 हजार रोडों को चयन किया गया है लेकिन मात्र एक रोड ही बनने का स्वीकृति प्रदान हुआ है । इस हिसाब से पूरा जिला जो हमारा पश्चिमी चम्पारण है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई भी यात्रा हो या पदयात्रा हो ।

अध्यक्ष : इस समय लम्बी बात तो करनी नहीं है । या तो वापस लेना है या फिर हमको वोट पर रख देना होगा ।

श्री नारायण प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई.....

अध्यक्ष : इसमें अध्यक्ष जी आपकी क्या मदद कर पायेंगे ? सरकार ने कह दिया कि अभी विचार नहीं है । अब आपको या तो वापस लेना है या हमको वोट पर रख देना होगा तो खारिज हो जायेगा । च्वॉयस आपका है ।

श्री नारायण प्रसाद : सहानुभूति पूर्वक माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : आग्रह करके वापस ले लीजिये ।

श्री नारायण प्रसाद : मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पश्चिमी चम्पारण को भी रखा जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 131 : श्री नरेन्द्र नारायण यादव

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पथ निर्माण प्रमंडल, मधेपुरा के अधीन माइल खुरहान से बड़गॉव, पड़ैल, रतवाड़ा कपसिया तक क्षतिग्रस्त पथ में 12 कि0मी0 से 15 कि0मी0 तक पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, खुरहान, पड़ैल, रतवाड़ा, कपसिया पथ की कुल लम्बाई 15 कि0मी0 है । इस पथ का शून्य से 7वें कि0मी0 तक निर्माण हो चुका है तथा 8वें से 12वें कि0मी0 पथ निर्माणाधीन है । इस पथ का बड़गॉव से कपसिया तक 12 कि0मी0 से 15 कि0मी0, 3 कि0मी0 का निर्माण अद्यतन नहीं हो सका है । अगले वित्तीय वर्ष इस पथांश के निर्माण पर निर्णय लिया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें । 3 कि0मी0 है, इसको हम करवा देंगे ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : धन्यवाद देते हुये मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 132 : श्री अशोक कुमार (क्षेत्र सं0-208)

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत तिलौथू के सेवही भरखोआ पथ में क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्निमाण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित क्षतिग्रस्त पुल सेवही के भरखोआ पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ पर अवस्थित है । क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता होगी । निधि की उपलब्धता के अनुसार इसके निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अशोक कुमार : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक - 133 : श्री चन्द्रसेन प्रसाद

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दनियावा से हिलसा, एकंगरसराय, इसलामपुर होते हुए राजगीर तथा बोधगया तक जाने वाली एस0एच0-4 सड़क का फोरलेन निर्माण करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, दनियावा, हिलसा, एकंगरसराय, इसलामपुर, उल्लासगंज राज्य उच्च पथ संख्या 4 की कुल लम्बाई 43 कि0मी0 है । रोड सरफेस (पथ परत) की चौड़ाई 7 मीटर दो लेन है । वर्ष 2013-14 में स्वीकृत योजना मद के अन्तर्गत इसका उन्नयन कार्य 31.1.2016 को सम्पन्न हुआ है । एकरारनामा की शर्त्तों के अधीन अगले 5 वर्षों तक 31.1.2021 इस पथ का संधारण उसी संवेदक द्वारा किया जाना है । सम्प्रति इस पथ को चार लेन में चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : संकल्प तो वापस ले ही रहे हैं लेकिन थोड़ा विचार कीजियेगा ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 134 : डॉ0 रामानुज प्रसाद

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वर्ष 2015 में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत आधार पर कराई गई जनगणना के आंकड़ों को अविलम्ब प्रकाशित करने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, 2011 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराई गई है । सर्वेक्षण एवं जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का प्रकाशन वर्ष 2015 में भारत सरकार के वेबसाइट एवं राज्य के सभी जिलों में कराई जा चुकी है । सभी जिलों में इस सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़े भौतिक रूप से सुलभ उपलब्ध हैं । जातिगत आधार की जनगणना के आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होने के कारण इन आंकड़ों को अविलम्ब प्रकाशित करने हेतु राज्य सरकार भारत सरकार से सिफारिश करेगी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने बताया ।

अध्यक्ष : अब तो मान लिया आपकी बात सरकार ने, अब क्या बोलना है !

सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, प्रमोद कुमार जी का संकल्प रह गया है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : ग्रामीण विकास विभाग का भी एक और बचा है, महोदय ।

अध्यक्ष : क्रम सं0 1 भी बाकी है । उसी को लेते हैं ।

टर्न-31/आजाद/17.03.2017

क्रमांक-01 : श्री विजय कुमार मंडल

श्री विजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत कुर्साकॉटा प्रखंड के कपरफोड़ा घाट के भलुआ नदी पर पुल का निर्माण करावें । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल वित्तीय वर्ष 2016-17 के पी0एम0जी0एस0वाई0 बैच 2 के हाथा चौक से परासी के नाम से सम्मिलित है । उक्त पुल का डी0पी0आर0 एस0टी0ए0 के अनुमोदन के उपरान्त एन0आर0आर0डी0ए0, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु समर्पित है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री विजय कुमार मंडल : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-16 : श्री नौशाद आलम

श्री नौशाद आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अन्तर्गत पौआखली को प्रखंड का दर्जा प्रदान करें ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा पौआखली को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है ।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उक्त मामले को सचिवों के समिति के समीक्षार्थ रखा जाना है । सचिवों के समिति के अनुशंसा के आलोक में इस मामले को मंत्रियों के समूह के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा । तदुपरान्त इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नौशाद आलम : महोदय, धन्यवाद के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक -49 : श्री रविन्द्र यादव

श्री रविन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के बालिका विद्यापीठ जिसमें महिला यूनिवर्सिटी के लिए जगह भी पर्याप्त है, बालिका विद्यापीठ को महिला यूनिवर्सिटी बनावे । ''

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि लखीसराय जिले में महिला विश्वविद्यालय स्थापना का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है । मुँगेर प्रमंडल के विद्यार्थियों के हित में मुँगेर विश्वविद्यालय, मुँगेर की स्थापना हेतु अधिनियम अधिनियमित हो चुका है । इस विद्यालय के संचालन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं कि इस संकल्प को वापस ले लें ।

श्री रविन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, 100 एकड़ जमीन इस विद्यापीठ के पास है और राज्य में एक भी महिला यूनिवर्सिटी नहीं है सर । सरकार इसपर विचार करे ।

अध्यक्ष : अभी तो सरकार ने कहा है, अनुरोध किया है वापस लेने का, विचार करने का कहां है ?

श्री रविन्द्र यादव : हमारी तो ड्यूटी है न सर, हम जिस काम के लिए भेजे गये हैं, हमलोग आग्रह कर सकते हैं ।

अध्यक्ष : विचार करने का अनुरोध करते हुये वापस कर लीजिये ।

श्री रविन्द्र यादव : ठीक है सर, वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-63 : श्री प्रमोद कुमार

अध्यक्ष : क्रम सं0-63, माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार जी का अधिकृत किया हुआ है । माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, संकल्प तो पढ़ा हुआ था, हम पुनः पढ़ देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी पकड़ी दयाल स्थित पी0डब्लू0डी0 सड़क के बगल में सुहागमन नदी के निकट सिरसा शिवमंदिर गढ़ी स्थान पर श्मशान की खतियानी जमीन पर विद्युत शवदाहगृह का निर्माण करावे । ''

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह स्थानान्तरण है । चूँकि यह ग्रामीण इलाका में पड़ता है । माननीय सदस्य जो संकल्प दिये हैं, वह ग्रामीण इलाका में पड़ता है, इसलिए पी0एच0ई0डी0 में स्थानान्तरित किया गया है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, अगला दिन रहेगा । इसको अगले डेट में रखवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : अभी तो इसको वापस कर लीजिये, तब न ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : वापस ले लेते हैं महोदय, लेकिन इसको अगले दिन के लिए रखवा दिया जाय ।

क्रमांक-86 : श्री सूबेदार दास

श्री सूबेदार दास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिलान्तर्गत मकदुमपुर प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय प्रभात नगर का विद्यालय भवन जर्जर होने से पठन-पाठन कार्य बाधित हो रहा है, उक्त विद्यालय भवन का निर्माण अतिशीघ्र करावे । ''

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि उच्च विद्यालय प्रभातनगर, मकदुमपुर का माध्यमिक विद्यालय शाखा का भवन जर्जर है । वर्तमान में माध्यमिक शाखा का पठन-पाठन का कार्य उच्च माध्यमिक के नवनिर्मित भवन में संचालित हो रहा है । राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में 4 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष एवं पुस्तकालय कक्ष स्वीकृत है । परन्तु भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण विद्यालय को वहां से स्थानान्तरित नहीं की गई है । राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं राज्य संसाधन के उपलब्धता होने के उपरान्त प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं कि वे अपना प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री सूबेदार दास : अध्यक्ष महोदय, वहां जो विद्यालय के भवन की स्थिति है, बरसात के मौसम में सारा छत अन्दर से गिर रहा है और टप-टप पानी गिरता है, उसमें एक भी छात्र एवं छात्रायें विद्यालय में नहीं पढ़ पाते हैं । इसलिए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ लेकिन मंत्री जी इसपर जरा ध्यान दें ।

अध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-91 : श्री रामनारायण मंडल</u>

श्री राम नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के वित्तरहित शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की बदहाल आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु इनके बंद पड़े अनुदान को अविलम्ब चालू करावे । ''

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, विभागीय संकल्प सं0-538 दिनांक 09.05.2009 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुये स्थापना अनुमति के प्रस्वीकृत प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय को अनुदान देने का निर्णय लिया गया । विभाग द्वारा अनुदान वितरण हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को शैक्षणिक सत्र 2012-13 तक के लिये राशि उपलब्ध कराया जा चुका है । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सूचित किया गया है कि 602 महाविद्यालय के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2008-10 में 504, 2009-11 में 317 तथा 715 माध्यमिक विद्यालयों के विरूद्ध 2009-10 में 297 एवं 2010-11 में 583 का अनुदान निर्गत किया जा चुका है । समिति द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि अनुदानित संस्थाओं को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियम के आलोक में माह, 2017 तक अनुदान स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं कि वे अपना प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री राम नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, वापस तो करेंगे ही, लेकिन एक आग्रह के साथ कि माँ और पिता जी अपने बाल-बच्चों को कितना मेहनत से पढ़ाते-लिखाते हैं और उसको एम0ए0, बी0ए0, पी0एच0डी0 सब कराते हैं । एक तो सरकार ने उनको नौकरी नहीं दी और वित्तरहित शिक्षक के रूप में काम करना प्रारम्भ किया और इतना ही नहीं इन्होंने काम प्रारम्भ किया, वह सेवानिवृत्त के कगार पर जा रहे हैं । इसलिए सरकार ने अपनी बात जो कही है कि अनुदान देने की बात, वह कम से कम जल्द से जल्द अनुदान मिले, ऐसा मैं सरकार से आग्रह करता हूँ और मंत्री जी से भी आग्रह के साथ मैं इसको वापस लेता हूँ लेकिन मैं एक बार अनुरोध करता हूँ कि समय सीमा निश्चित करते तो ज्यादा अच्छा रहता ।

अध्यक्ष : ठीक है, धन्यवाद । सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-32/अंजनी/दि0 17.03.2017

<u>क्रमांक-30, श्री अरूण कुमार सिन्हा</u>

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा क्रमांक-30 रह गया है ।

अध्यक्ष : यह नगर विकास एवं आवास विभाग का है । यह वार्ड नं0-51, संदलपुर अम्बेदकर कॉलोनी में रह रहे अनुसूचित समाज की बस्ती को उजड़ने से बचाने के लिए । क्या यह शहरी क्षेत्र है ?

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, शहरी क्षेत्र का होना चाहिए लेकिन बुकलेट में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लिख दिया है ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय मंत्री जी इसको संज्ञान में लेते हुए देखवा लीजियेगा । अभी माननीय सदस्य से अनुरोध कीजिए कि वापस ले लें ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, इसको हम एक बार पढ़ देते हैं ।

अध्यक्ष : आप पढ़े भी नहीं हैं ?

श्री अरूण कुमार सिन्हा : पढ़े थे ।

अध्यक्ष : तो हो गया, पढ़े थे तो यह ऑलरेडी मूव्ड है ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : मूव्ड है तो इसमें हम दो-तीन बात कहना चाहते हैं । एक तो पटना नगर निगम वार्ड नं0-51 के अन्तर्गत सन्दलपुर अम्बेदकर कॉलोनी आता है, जहां अनुसूचित जाति एवं अति गरीब लोग करीब 50 वर्षों से रहते हैं । इस जमीन को पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने सन् 1992 में दलित गरीबों के नाम पर पर्ची देकर रहने-बसने का आदेश निर्गत किया था । साथ ही उक्त जमीन को एस0डी0ओ0, पटनासिटी ने स्पष्ट किया कि उक्त जमीन सरकारी है लेकिन इस जमीन पर बसे दलित एवं गरीब समाज के लोगों को बराबर भू-माफियों द्वारा उजाड़ा जाता है .....

अध्यक्ष : ठीक है, आप लिखकर संक्षेप में दे दीजियेगा । सारी सूचनायें आप सरकार को दे दीजियेगा ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : सर, अब समाप्त ही कर रहे हैं, एक मिनट सर, बसे हुये गरीब लोगों को सुरक्षा एवं बसे हुये लोगों को उजाड़ने से बचाने हेतु हम सरकार से आग्रह करते हैं, आश्वासन चाहते हैं और इस आश्वासन के आधार पर मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

अब हम उम्मीद करते हैं कि सभी सूचीबद्ध संकल्पों का निष्पादन हो चुका है ।

आज दिनांक 17 मार्च, 2017 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-46 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिये जायं ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शनिवार, दिनांक 18 मार्च, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....